लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)

[२७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)]

(May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka))

आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक ३—सोमवार, १ जून, १९६४/११ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		९१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९२—११७
	विषय	**पृष्ठ**
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
६२	बर्मा में भारतीय	९२—९७
६३	पाकिस्तान का आसाम के गांव पर अवैध कब्जा	९७–९८
६४	भूटान में गुप्त रेडियो	९९—१०२
६५	नागा विद्रोहियों की घुसपैठ	१०२—०४
६६	उच्चशक्ति वाले ट्रांसमिटर	१०४–०५
९०	रूस से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर की खरीद	१०५—०८
६७	नागा विद्रोहियों की गतिविधियां	१०९—१२
६८	बोनस आयोग का प्रतिवेदन	११२—१५
६९	नेफा सचिवालय की इमारत	११५–१६
७०	भारत-चीन सीमा विवाद	११७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		११८—२०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	११८–१९
२३	बैंक आफ चाइना	११९
२४	चौथी योजना	१२०
२५	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	१२०
२६	स्वास्थ्य बीमा योजना	१२१
२७	गारो पहाड़ियों और मिजो पहाड़ियों में शरणार्थी	१२१–२२
२८	जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण योजना	१२२
२९	महंगाई भत्ते में वृद्धि	१२२–२३
३०	नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले	१२३
३१	राज्य वित्त निगम	१२३–२४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 3—Monday, June 1, 1964/Jyaistha 11, 1886 (Saka)

MEMBER SWORN 91

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS— . 92—117

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
62	Indians in Burma	92—97
63	Illegal Occupation of Assam Village by Pakistan .	97—99
64	Pirate Radios in Bhutan	99—102
65	Infiltration of Naga Hostiles	102—04
66	High Power Transmitters	104-05
90	High Power Transmitter from U.S.S.R. . . .	105—08
67	Activities of the Hostile Nagas	109—12
68	Bonus Commission Report	112—15
69	NEFA Secretariat Building . .	115-16
70	Sino-Indian Border Dispute . .	117

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS— 118—207

*Starred Questions Nos.		
22	Refugees from East Pakistan .	118-19
23	Bank of China	119
24	Fourth Plan	120
25	Development of Eastern U.P. .	120
26	Health Insurance Scheme .	121
27	Refugees in Garo and Mizo Hills . .	121-22
28	L.I.C. Housing Scheme	122
29	Increase in Dearness Allowance	122-23
30	Affairs of Sri Sriram Durga Prasad of Nagpur .	123
31	State Financial Corporations	123-24

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२	मध्य प्रदेश में पारगमन शिविर	१२४
३३	हथकरघा उद्योग से अभ्यावेदन	१२४–२५
३५	अमरीकी व्यापारियों का भारत का दौरा	१२५
३६	तीसरी योजना में कमी	१२५–२६
३७	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	१२६
३८	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये शिविर	१२६–२७
३९	आवास योजनाओं के लिये निर्धारित रकम का अन्य कार्यों में प्रयोग	१२७
४०	वृद्धावस्था पेंशन	१२७–२८
४१	चेकोस्लोवाकिया से ऋण	१२८
४२	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	१२९
४३	दामोदर घाटी निगम	१२९–३०
४४	इस्पात कारखाने	१३०
४५	सरकारी उपक्रम	१३०–३१
४६	विकासोन्मुख देशों के लिये विशेष सहायता कोष	१३१
४७	"टिस्को" तथा "इस्को" को ऋण	१३१
४८	नया इस्पात कारखाना	१३२
४९	दुर्गापुर में "स्लैग" से सीमेंट तैयार करने का कारखाना	१३२
५०	लौह अयस्क का निर्यात	१३३
५१	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग	१३३
५२	कच्चे लोहे के कारखाने	१३४
५३	आगामी आम चुनाव	१३४
५४	मोटर गाड़ी उद्योग	१३४–३५
५५	बोकारो इस्पात संयंत्र	१३५–३६
५६	राष्ट्रीय उत्पादित परिषद्	१३६
५७	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की छूट	१३६–३७
५८	केरल में आम चुनाव	१३७
५९	चाय का निर्यात	१३७
६०	ऐल्यूमिनियम परियोजनायें	१३७–३८
६१	कच्चे माल का आयात	१३८–३९
७१	पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न	१३९
७२	राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन	१३९
७३	नागालैंड में शान्ति वार्ता	१४०
७४	विदेशों से सैनिक सहायता	१४०
७५	नये आयुध कारखाने	१४१
७६	गोआ	१४२
७७	अफ्रीकी देशों को भारतीय शिष्टमंडल	१४२–४३
७८	सूती वस्त्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	१४३
७९	पत्तन और गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड	१४३

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
32	Transit Camps in M.P.	124
33	Representations from Handloom Industry	124-25
35	Visit of U.S. Businessmen	125
36	Third Plan Shortfalls	125-26
37	C.G.H.S.	126
38	Camps for Refugees from East Pakistan	126-27
39	Diversion of Housing Funds	127
40	Old Age Pension	127-28
41	Loan from Czechoslovakia	128
42	C.G.H.S.	129
43	Damodar Valley Corporation	129-30
44	Steel Plants	130
45	Public Undertakings	130-31
46	Special Aid Fund for Developing Countries	131
47	Loans to TISCO and IISCO	131
48	Additional Steel Plant	132
49	Slag Cement Plant, Durgapur	132
50	Export of Iron Ore	133
51	Fire Incident at Heavy Engineering Corporation, Ranchi	133
52	Pig Iron Plants	134
53	Next General Elections	134
54	Automobile Industry	134-35
55	Bokaro Steel Plant	135-36
56	National Productivity Council	136
57	Sales-Tax Exemption on Export Goods	136-37
58	General Elections in Kerala	137
59	Tea Exports	137
60	Aluminium Projects	137-38
61	Import of Raw Materials	138-39
71	Harassment of Minorities in East Pakistan	139
72	Commonwealth Prime Ministers' Conference	139
73	Peace Talks in Nagaland	140
74	Foreign Military Aid	140
75	New Ordnance Factories	141
76	Goa	142
77	Indian Delegations to African Countries	142-43
78	Wage Board for Cotton Textile Industry	143
79	Wage Board for Port and Dock Workers	143

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	**विषय**	**पृष्ठ**
८०	आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलने वाले विमानों के निर्माण के लिये अमरीकी सहयोग	१४३–४४
८१	अखबारी कागज़	१४४
८२	प्रतिरक्षा योजना	१४४–४५
८३	पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का शिलांग स्थित कार्यालय	१४५
८४	पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय की नृशंस हत्या	१४५–४६
८५	सीमा पर होने वाली घटनायें	१४६
८६	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक	१४६–४७
८७	टेलिविज़न	१४७
८८	भारतीय वायु सेना के लिए एच० एफ०—२४ विमान	१४७–४८
८९	भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या	१४८
९१	लाओस में स्थिति	१४८–४९

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५२	दामोदर घाटी निगम	१४९
५३	विद्युत् परियोजनायें	१४९
५४	कोयले के परिवहन की समस्या	१४९–५०
५५	चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन-स्तर में वृद्धि	१५०
५६	कृत्रिम हृदय	१५०
५७	जवान बनाने वाला तेल	१५०–५१
५८	अमेरिका से दुग्ध चूर्ण	१५१
५९	टिकरापाड़ा बांध परियोजना	१५१–५२
६०	माताटीला बांध	१५२
६१	दण्डकारण्य में महामारी	१५२
६२	गुर्दे का फिर से लगाया जाना	१५३
६३	अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में औजारों का होना	१५३
६४	ग्रामीण विद्युतीकरण	१५३
६५	लेखापालन प्रणाली	१५४
६६	भारत में पौष्टिक भोजन	१५४
६७	जीवन बीमा निगम का व्यापार	१५४
६८	अकबर होटल	१५५
६९	रामचन्द्र भंज मेडिकल कालिज अस्पताल, कटक	१५५
७०	केरल में इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना	१५५
७१	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	१५६
७२	वृद्धावस्था पेंशन योजना	१५६
७३	मद्रास में गन्दी बस्तियां	१५६

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
80	U.S. Collaboration for Supersonics	143-44
81	Newsprint	144
82	Defence Plan	144-45
83	Office of Asstt. High Commissioner for Pakistan in Shillong	145
84	Indian hacked to Death by Pakistanis	145-46
85	Border Incidents	146
86	U.N. Observers in Kashmir	146-47
87	Television	147
88	H.F.-24 for I.A.F.	147-48
89	Assassination of Bhutanese Prime Minister	148
91	Situation in Laos	148-49

Unstarred Questions Nos.		
52	D.V.C.	149
53	Power Projects	149
54	Coal Transport Problem	149-50
55	Rise in Pay Scale of Medical Personnel	150
56	Transister Heart	150
57	Oil Stimulant Rejuvenator	150-51
58	Milk Powder from U.S.A.	151
59	Tikkerpara Dam Project	151-52
60	Matatila Dam	152
61	Epidemics in Dandakaranya	152
62	Transplantation of Kidneys	153
63	Loss of Instruments in A.I.I.M.S., New Delhi	153
64	Rural Electrification	153
65	Accounting System	154
66	Nutrition in India	154
67	L.I.C. Business	154
68	Akbar Hotel	155
69	Ramachandra Bhanja Medical Hospital, Cuttack	155
70	Idikki Hydel Project in Kerala	155
71	Willingdon Hospital, New Delhi	156
72	Old Age Pension Scheme	156
73	Slums in Madras	156

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
७४	उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत् योजनायें	१५६—५७
७५	विदेशी मुद्राकी आवश्यकता	१५८
७६	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता	१५८
७७	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था	१५८—५९
७८	दुर्गापुर परियोजना का विद्युत् संयंत्र	१५९
७९	आसाम में बाढ़	१५९—६०
८०	सरकारी कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा	१६०
८१	तुंगभद्रा परियोजना	१६०
८३	सहायता महानिदेशालय	१६१
८४	राजशाही के शरणार्थी	१६१
८५	आवास सम्बन्धी अध्ययन दल	१६२
८६	उड़ीसा के लिए केन्द्रीय उत्पादन कर वसूली कार्यालय	१६२
८७	टीकों से सन्तति निरोध	१६२—६३
८९	कोठागुडम तापीय संयंत्र	१६३
९०	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	१६३
९१	यूरोप को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमंडल का भेजा जाना	१६३—६४
९२	छोटी कार परियोजना	१६४
९३	कुवैत में कच्चा लोहा संयंत्र और इस्पात मिल	१६४
९४	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के मजदूरों के लिये प्रोत्साहन बोनस	१६४
९५	हिन्दुस्तान मोटर्स	१६५
९६	कानपुर में मिश्र-धातु इस्पात संयंत्र	१६६
९७	रूस को ब्लेडों का निर्यात	१६६
९८	नई दिल्ली में चौथा भारी बिजली के सामान का कारखाना	१६६—६७
९९	बिहार में कोयले की खानें	१६७
१००	सहकारी विभागों द्वारा खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति नियुक्त करना	१६७—६८
१०१	दामोदर नदी के किनारों पर कोयले की तहें	१६८
१०२	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के यूनिट	१६८
१०३	पालघाट में मशीनी औजार संयंत्र	१६८—६९
१०४	विदेशों में भारतीय फिल्मों से प्राप्त विदेशी मुद्रा	१६९
१०५	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	१६९
१०६	टायर के कारखाने	१६९
१०७	तम्बाकू का निर्यात	१७०
१०८	एक तकुवे वाली स्वचालित खरादें	१७०—७१
१०९	मद्रास राज्य में गन्धक के निक्षेप	१७१

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
74	Irrigation and Power Schemes in Orissa	156-57
75	Foreign Exchange Requirements	158
76	Assistance under Colombo Plan	158
77	Institution of National Award by the Medical Council of India	158-59
78	Durgapur Project's Power Plant	159
79	Floods in Assam	159-60
80	Medical Examination for Government Servants	160
81	Tungabhadra Project	160
83	Directorate General of Relief	161
84	Refugees from Rajsahi	161
85	Study Team on Housing	162
86	Central Excise Collectorate for Orissa	162
87	Birth Control by Vaccination	162-63
89	Kothagudam Thermal Plant	163
90	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	163
91	M.M.T.C.'s Delegation to Europe	163-64
92	Small Car Project	164
93	Pig Iron Plant and Steel Mill at Kuwait	164
94	Incentive Bonus to H.E.L. Workers	164
95	Hindustan Motors	165
96	Alloy Steel Plant at Kanpur	166
97	Export of Blades to Russia	166
98	Fourth Heavy Electricals Plant at New Delhi	166-67
99	Coal Mines in Bihar	167
100	Committee regarding use of Khadi by Government Departments	167-68
101	Coal Seams on the Banks of Damodar	168
102	Units of Hindustan Machine Tools	168
103	Mechanical Instruments Plant at Palghat	168-69
104	Foreign Exchange from Indian Films Abroad	169
105	Hindustan Salt Co. Ltd., Jaipur	169
106	Tyre Factories	169
107	Export of Tobacco	170
108	Single Spindle Automatic Lathes	170-71
109	Sulphur Deposits in Madras State	171

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११०	सैलम इस्पात परियोजना	१७१
१११	औद्योगिक बस्ती, बरहामपुर (उड़ीसा)	१७२
११२	भारत से आयात किये गये माल के बारे में शिकायतें	१७२
११३	पालना लिगनाइट निगम	१७२--७३
११४	पश्चिम बंगाल में स्कूटर बनाने वाला कारखाना	१७३-१७४
११५	बिहार में पटसन मिल	१७४
११६	कांगड़ा में सीमेंट कारखाना	१७४
११७	चीनी मिलों में कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग	१७४
११८	कोयले का शैलवर्ग विवरण तथा उसकी रचना	१७५
११९	कोयले का उत्पादन	१७५
१२०	लोहे का विनियंत्रण	१७६
१२१	सीमेंट निगम	१७६—७६
१२२	सशस्त्र बल के लिये घड़ियां	१७७
१२३	उड़ीसा में इस्पात संयंत्र	१७७
१२४	ऐच्छिक वस्त्र मूल्य नियंत्रण योजना	१७८
१२५	अखबारी कागज के मूल्य	१७८
१२६	केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम	१७८--७९
१२७	निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र	१७९
१२८	मेंगनीज तथा लौह अयस्क खानें	१७९--८०
१२९	न्यूनतम मजूरी	१८०
१३०	लक्कदीव में नौसेना का अड्डा	१८०
१३१	सिक्किम में अस्पताल	१८०--८१
१३२	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	१८१
१३३	कलकत्ता में पाकिस्तान का उप-उच्चायोग	१८१
१३४	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां	१८२
१३५	ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त चीनी राष्ट्रजन	१८२
१३६	विमान निर्माण निगम	१८२—१८३
१३७	पाकिस्तान द्वारा घात लगा कर किया गया आक्रमण	१८३
१३८	भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण दल	१८४
१३९	पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण	१८४--८५
१४०	पत्रिकाओं का प्रकाशन	१८५
१४१	पाकिस्तान द्वारा राजस्थान सीमा पर सड़कों का निर्माण	१८५
१४२	इंग्लैंड में भारतीय दूतावास भवन	१८६
१४३	कारखाना श्रमिकों की वास्तविक मजूरी	१८६
१४४	पाकिस्तानियों द्वारा छम्ब क्षेत्र में गोली चलाया जाना	१८६--८७
१४५	पहाड़ी तोप	१८७
१४६	अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तानी अत्याचार	१८७

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
110	Salem Steel Project	171
111	Industrial Estate, Berhampur (Orissa)	172
112	Complaints re. Imported Indian Goods	172
113	Palana Lignite Corporation . .	172–73
114	Scooter Manufacturing Unit in West Bengal	173–74
115	Jute Mill in Bihar	174
116	Cement Factory, Kangra	174
117	Coal Fuel in Sugar Mills .	174
118	Coal Petrography and Coal Constiution	175
119	Coal Production	175
120	Decontrol of Iron	176
121	Cement Corporation .	176–77
122	Watches for Armed Forces	177
123	Steel Plant in Orissa .	177
124	Voluntary Textile Price Control Scheme	178
125	Newsprint Price . . .	178
126	Central Cottage Industries Emporium	178–79
127	Low Temperature Carbonisation Plant	179
128	Manganese and Iron Ore Mines	179–80
129	Minimum Wages .	180
130	Naval Base in Laccadives	180
131	Hospital in Sikkim	180–81
132	N.C.C.	181
133	Dy. High Commission for Pakistan in Calcutta	181
134	Submarines for Indian Navy . .	182
135	Chinese Nationals holding British Passports	182
136	Aircraft Manufacturing Corporation	182–83
137	Pak. Ambush	183
138	Indian Survey Party on Indo-East Pakistan Border	184
139	Trespassing by Pakistanis .	184–85
140	Publication of Journals	185
141	Construction of Roads by Pakistan on Rajasthan Border	185
142	Building of the Indian High Commission in U.K.	186
143	Real Wages of Factory Workers .	186
144	Firing by Pakistanis in Chhamb Area	186–87
145	Mountain Gun . .	187
146	Pak. Atrocities on Minorities	187

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४७	गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	१८७
१४८	इंजीनियरी उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड	१८८
१४९	समाचारपत्र मंत्रणा समिति	१८८
१५१	सेना में मद्यनिषेध	१८८–८९
१५२	भूतपूर्व सनिकों के लिए विशेष सेवा निधि	१८९
१५३	उपभोक्ता सहकारी भंडार	१८९
१५४	नौसेना जहाजों से निषिद्ध माल का पकड़ा जाना	१९०
१५५	ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त का स्टाफ	१९०
१५६	मध्यम वर्ग परिवार के रहन-सहन की दशा सम्बन्धी सर्वेक्षण	१९०
१५७	लापता विमान	१९१
१५८	चीनी तथा पाकिस्तानी फौजी दस्तों का जमाव	१९१
१५९	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सूचना कर्मचारी	१९१–९२
१६०	दलाई लामा की विदेश यात्रा	१९२
१६२	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए प्रव्रजन-पत्र	१९२–९३
१६३	सैनिक गाड़ियों की सड़क परिवहन योग्यता	१९३–९४
१६४	आयुध डिपुओं में अधिक समय तक काम करने का भत्ता	१९४
१६५	आयुध डिपुओं में लोअर डिवीजन क्लर्क	१९४
१६६	विदेशी सैनिक सहायता	१९५
१६७	भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण	१९५
१६८	नागा विद्रोही	१९५–९६
१६९	तांगानीका में भूकम्प	१९६
१७०	रोजगार का लक्ष्य	१९६–९७
१७१	उड़ीसा में गैर-सरकारी खानों में कर्मचारी	१९७
१७२	जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना	१९८
१७३	नये रेडियो स्टेशन	१९८–९९
१७४	एमर्जेन्सी कमीशन	१९९
१७५	पाकिस्तानी आक्रमण	१९९
१७६	श्रमजीवी वर्ग निर्वाह व्यय देशनांक	२००
१७७	श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता	२००
१७८	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में श्रमिक आयुक्त	२००–०१
१७९	कलकत्ता में स्टडियम के लिये भूमि	२०१
१८०	आकाशवाणी में "प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव"	२०१
१८१	निवेली लिग्नाइट निगम में भविष्य निधि तथा बोनस	२०२
१८२	"वीमन एन एम्प्लायमेन्ट" नामक पुस्तिका	२०२
१८३	आकाशवाणी के कार्यक्रम	२०२–०३
१८४	मिग कारखाने	२०३

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
147	Wage Boards for Non-Working Journalists	187
148	Wage Board for Engineering Industries	188
149	Newspapers Advisory Committee	188
151	Prohibition in Army	188–89
152	Special Services Found for Ex-servicemen	189
153	Consumers Cooperative Stores	189
154	Seizure of Contraband Goods from Naval Ships	190
155	Staff of the Dy. High Commissioner of India in Dacca	190
156	Survey of Middle Class Family Living	190
157	Missing Aircraft	191
158	Concentration by Chinese and Pakistani Troops	191
159	Information Personnel in External Affairs Ministry	191–92
160	Dalai Lama's visit abroad	192
162	Migration Certificates for D.Ps. from East Pakistan	192–93
163	Roadworthiness of Army Vehicles	193–94
164	Overtime Allowance in Ordnance Depots	194
165	L.D.Cs. in Ordnance Depots.	194
166	Foreign Military Aid	195
167	Indian Air Space Violation	195
168	Naga Hostiles	195–96
169	Earthquake in Tanganyika	196
170	Target of Employment	196–97
171	Workers in Private Mines in Orissa	197
172	Pak. Firing in Jammu	198
173	New Radio Stations	198–99
174	Emergency Commissions	199
175	Pakistani Raid	199
176	Working Class Cost of Living Index Number	200
177	Interim Relief to Working Journalists	200
178	Labour Commissioner of Andaman and Nicobar Islands	200–01
179	Land for Stadium at Calcutta	201
180	Programme Executives in A.I.R.	201
181	Provident Fund and Bonus at Neyveli Lignite Corporation	202
182	Pamphlet on 'Women in Employment'	202
183	A.I.R. Programmes	202–03
184	M.I.G. Projects	203

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८५	क्युमितांग चीन के पारपत्र वाले चीनी नागरिक	२०३—०४
१८६	नैमित्तिक श्रमिक	२०४
१८७	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	२०४–०५
१८८	आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्ग्रीक्यूटिव	२०५
१८९	बेतर बांध क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश	२०५—०६
१९०	विदेशों में दलाई लामा के कार्यालय	२०६
१९०–ख	भारत में निवासी राज्यविहीन चीनी	२०६—०७
१९०–ग	अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का अध्ययन दल	२०७
१९०–घ	राष्ट्रीय आय	२०७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत-चीन सीमा विवाद २०८—०९

श्री रा० गि० दुबे २०८

श्री लाल बहादुर शास्त्री २०८—०९

लोक–सभा में साम्यवादी दल के नेतृत्व के बारे में २०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०—११

विधेयक पर राय २११

प्राक्कलन समिति

उन्सठवां तथा सांठवां प्रतिवेदन । २११

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, १९६४ २१२

विचार करने का प्रस्ताव २१२

श्री अ० कु० सेन २१२— ३

श्री मी० रु० मसानी २१३—१५

श्री अ० क० गोपालन २१५—१७

श्री नि० चं० चटर्जी २१७—१८

श्री उ० मू० त्रिवेदी २१८—१९

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी २२०—२१

श्री काशी राम गुप्त २२१—२२

डा० ब० ना० सिंह २२२—२३

डा० मा० श्री० अणे २२३—२४

श्री बड़े २२४

श्री सरजू पाण्डेय २२५

श्री कृपालानी २२५—२८

खण्ड २ और ३ २२९—३४

कार्य मंत्रणा समिति २३४

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ।

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
185	Chinese holding 'KMT' Passports	203–04
186	Casual Labour	204
187	National Sample Survey	204–05
188	Programme Executives in A.I.R.	205
189	Pakistani Intrusion in Betar Dam Area	205–06
* 190	Dalai Lama's Offices in Countries Abroad	206
190-B	Stateless Chinese residents in India	206–07
190-C	Study Team of Inernational Jurist Commission	207
190-D	National Income	207

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

India-China border dispute 208–09

Shri R. G. Dubey 208

Shri Lal Bahadur Shastri 208–209

Re: leadership of Communist Group in Lok Sabha 209

Papers laid on the Table 210–11

Opinions of Bill 211

Estimates Committee 210–11

Fifty-ninth and Sixtieth Reports—presented 211

Constitution (Nineteenth Amendment) Bill 212

Motion to consider 212

Shri A.K. Sen 212–13

Shri M.R. Masani 213–15

Shri A.K. Gopalan 215–17

Shri N. C. Chatterjee 217–18

Shri U.M. Trivedi 218–19

Dr. L.M. Singhvi 220–21

Shri Kashi Ram Gupta 221–22

Dr. B.N. Singh 222–23

Dr. M.S. Aney 223–24

Shri Bade 224

Shri Sarjoo Pandey 225

Shri J.B Kripalani 225–28

Clauses 2 and 3 229–34

Business Advisory Committee

Twenty-eighth Report—presented 234

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, १ जून, १९६४/११ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

Monday, June 1, 1964/ Jyaistha 11, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव महोदय उस सदस्य का नाम पुकारें जो कि संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करने अथवा अभिज्ञान करने आये हैं।

सचिव महोदय : श्री शिवचरण माथुर।

अध्यक्ष महोदय : संसद-कार्य मंत्री सदस्य का सदन से परिचय करायें।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, मुझे श्री शिवचरण माथुर का, जो कि डा० का० ला० श्रीमाली के त्यागपत्र के कारण हुए रिक्त स्थान में राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र से लोक-सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, आपसे और आपके द्वारा सदन से परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा में भारतीय

+

*६२. श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री वीरप्पा :
श्री धर्मलिंगम :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा सरकार द्वारा दुकानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद कितने भारतीय अब तक वहां से प्रव्रजन कर चुके हैं ;

(ख) इन भारतीयों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) क्या वे बर्मा से अपनी आस्तियों को स्वदेश भेज पाए हैं ;

(घ) उन्हें यहां लाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) जिन भारतीयों पर बर्मा सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का प्रभाव पड़ा है उनकी वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या किया गया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बर्मा सरकार द्वारा दुकानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय से लेकर लगभग १,००० भारतीय राष्ट्रजन बर्मा से भारत लौट आये हैं ।

(ख) ठीक-ठीक राज्य-वार आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश लोग आंध्र, मद्रास तथा उड़ीसा राज्यों के हैं ।

(ग) सीमित मात्रा में निजी सम्पत्ति और विदेशी मुद्रा की बहुत थोड़ी सी राशि के अतिरिक्त बर्मा छोड़कर आने वाले भारतीयों को अपने साथ जवाहरात, मूल्यवान वस्तुयें, नकद रुपया आदि लाने की अनुमति नहीं है ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन शीघ्र ही कलकत्ता और रंगून के बीच अपनी उड़ानों की संख्या में वृद्धि करेगी । रंगून और मद्रास/ विशाखापटनम बन्दरगाहों के बीच, जुलाई के लगभग मध्य से, दो या तीन जहाज चलने लगेंगे ।

(ङ) भारत सरकार बर्मा सरकार से शीघ्रतापूर्वक उस देश को छोड़कर आने से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने, उनकी राष्ट्रीकृत सम्पत्ति के लिये उचित प्रतिफल के भुगतान करने और आस्तियों के भारत को हस्तान्तरण करने के बारे में सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ।

श्री प्र० के० देव : जबकि कुछ समय पूर्व हमें यह ढाढ़स दिलाने वाला समाचार प्राप्त हुआ था कि रंगून स्थित भारतीय महामात्रालय ने बर्मा से आने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के जवाहरातों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के अभिरक्षक के रूप में कार्य किया था, क्या मैं जान सकता हू कि हाल में श्री गन्डेविया, विदेश सचिव, के रंगून के दौरे के पश्चात यह कार्य क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : इन जवाहरातों आदि को रखने की व्यवस्था करने के समय तक यह कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है । दूतावास को बड़ी मात्रा में इनके दिये जाने की सम्भावना है और वहां बैंक के वज्रकोष्ठ में बहुत सी व्यवस्था की जानी है तथा हम इस संबंध में बर्मा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि मोटर पुर्जों के अनेकों भारतीय व्यापारियों की दुकानों तथा नलकारों की दुकानों के भण्डारों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और उनके भण्डारों को रद्दी लोहे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि चीनियों की दुकानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार को उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : राष्ट्रीयकरण का सभी विदेशियों पर प्रभाव पड़ता है । भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है । यह सच है कि लोहे के सामान और मोटर के पुर्जों की बड़ी बड़ी दुकानें उन दुकानों के प्रवर्ग में आती हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है । मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने इनके भण्डारों को रद्दी माल के रूप में वर्गीकृत किया है अथवा नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह बताया गया था कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री बर्मा का दौरा करने वाली थीं । उनके वहां पर जाने में क्या अड़चन पैदा हो गई और केवल सचिव को ही वहां पर क्यों

जाना पड़ा ? किन किन मुख्य बातों पर उसने बर्मा सरकार से चर्चा की थी और उनका क्या निष्कर्ष निकला ?

श्री दिनेश सिंह : मंत्री के दौरे की बात केवल समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी। उनके दौरे के विषय में तय नहीं हुआ था और यह अनुभव किया गया था कि विदेश सचिव को वहां पर जाना चाहिये तथा जो लोग यहां आ रहे हैं उनकी समस्याओं की जांच करनी चाहिये। बर्मा सरकार के साथ जो बातचीतें हुई थीं उनके बारे प्रगट करना इस समय वांछनीय नहीं होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : किन किन मुख्य प्रश्नों पर बातचीत की जा रही है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री दिनेश सिंह : स्पष्ट है कि मुख्य प्रश्न बर्मा में रहने वाले भारतीय उद्भव के भारतीय राष्ट्रजनों के भारत आने, उनकी राष्ट्रीकृत आस्तियों के लिये प्रतिकर के भुगतान, यात्रा सम्बंधी औपचारिकतायें उनके धन को वापस लाने के लिये विनिमय की व्यवस्था के बारे में है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या जिन लोगों के स्वदेश वापस लौटने की सम्भावना है अथवा जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं उनकी कुल संख्या के बारे में जानकारी ले ली गई और यदि हां, तो वह कुल संख्या कितनी है और उन्हें भारत में फिर से बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : जो लोग अब तक वापस आ चुके हैं उनकी संख्या मैं मूल उत्तर में बता चुका हूं। जिन लोगों के वापस आने की सम्भावना हो सकती है उनकी निश्चित संख्या बताना तो बहुत ही कठिन है क्योंकि यह बात इस पर निर्भर करती है कि औपचारिकताएं किस प्रकार पूरी की जाती हैं, परन्तु यह संख्या छः अंकों में जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया है हम परिवहन के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। स्वदेश प्रत्यावर्तन के मामले को जांच की जा रही है ?

Shri Onkar Lal Berwa : Did the Government of Burma inform the Government of India about their intention to nationalise those shops and did Government of India contemplate any measure regarding those Indian nationals ?

Shri Dinesh Singh : It was not necessary for them to inform the Government of India. It is their own affair.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि श्री गुंडेविया के बर्मा जाने और बर्मा सरकार के साथ हमारे दूतावास में रखे गये जवाहरातों और अन्य वस्तुओं के बैंक आफ बर्मा को हस्तांतरण करने के बारे में उनके बातचीत करने के पश्चात ऐसी एक धारणा बन गई है कि स्थिति और भी खराब हो गई है और भारतीयों के हित खतरे में पड़ गये हैं ; यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरी राय में स्थिति और खराब नहीं हुई है। उसमें सुधार हो गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने श्री गुंडेविया को यह आश्वासन दिया है कि वह इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक जांच करेंगे और यदि हां, तो क्या आश्वासन दिया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस समय इस मामले पर चर्चा करना वांछनीय नहीं होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : भारतीय उद्भव के लोगों अथवा भारतीय राष्ट्रजनों से जो कि भारत आने के इच्छुक हैं, भारतीय दूतावास को कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं और वे लोग जो सम्पत्ति वहां पर छोड़ेंगे वह क्या और कितनी होगी ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसी ही मैं संख्या नहीं बता सकता। जैसा कि मैंने बताया है, हमारा अनुमान है कि यह संख्या छः अंकों में पहुंच जायेगी। सम्पत्ति के बारे में मैं कोई अनुमान नहीं बता सकता।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं प्रार्थनापत्रों की संख्या जानना चाहती हूं, यह एक बहुत सीधी सी बात है।

श्री दिनेश सिंह : इस समय यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri Rameshwar Tantia : How many Indians are there at present in Burma and what is the total value of their property ? How will they be able to bring that back to India and what measure Government are contemplating to take in that connection ?

Mr. Speaker : How many Indians are there and what is the estimated value of their property ?

श्री दिनेश सिंह : यह बताना तो बहुत ही कठिन है कि वहां पर कितने भारतीय हैं। हमारा अनुमान है कि वहां पर भारतीय उदभव के लगभग ५½ लाख व्यक्ति हैं। इनमें से केवल लगभग दो लाख ही भारतीय नागरिक हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि एक ऐसे समय जब कि बर्मा में रहने वाले भारतीय अत्यधिक कष्ट सहन कर रहे हैं, बर्मा में हमारे राजदूत का स्थान रिक्त पड़ा है। क्या शीघ्र ही वह नियुक्त किया जाने वाला है जिससे कि वह वहां के भारतीयों की स्थिति में सुधार कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है।

श्री विश्वनाथ राय : बर्मा सरकार ने जो सम्पत्ति जब्त कर ली है क्या उसका मूल्य मालूम करने के लिये भारत सरकार ने प्रयत्न किया है और यदि हां, तो वह मूल्य कितना है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सम्पत्ति जब्त नहीं की गई है। परन्तु राष्ट्रीकृत की गई है जिसके लिये लोग स्वयं ही दावे पेश करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much expenditure will be incurred on rehabilitation of Indians coming from Burma to India and what amount out of that will be claimed from the Burmese Government and when the negotiations going on in this regard will be finalised ?

Shri Dinesh Singh : We do not intend to claim any amount for their rehabilitation.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस समाचार में कुछ सचाई है कि बर्मा सरकार द्वारा किये गये इस राष्ट्रीयकरण का उन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है जो कि भारतीय उद्भव के हैं और बर्मी राष्ट्रजन हैं ; क्या उनकी ओर से भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे उन विधियों की जानकारी नहीं है जिनका कि बर्मा के नागरिकों पर प्रभाव पड़ रहा है, ये बातचीत मुख्यतया प्रभावित विदेशियों के सम्बंध में हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : बर्मा में जिन भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति जब्त की गई थी उनसे वस्तुओं के हमारे दूतावास द्वारा स्वीकार किये जाने में क्या कोई अनुचित बात थी और यदि नहीं तो अब उन वस्तुओं को स्वीकार करना सरकार ने क्यों बन्द करवा दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : इसमें तनिक भी कोई अनुचित बात नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय निरूढ़ियों के अन्तर्गत उन्हें स्वीकार किया गया था। हमने उन्हें स्वीकार करना बन्द नहीं किया है ; केवल कुछ समय के लिये स्थगित किया है जब तक कि व्यवस्था पूरी न हो जाए।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या भारत सरकार ने बर्मा सरकार से यह पूछा है कि उसने बर्मा छोड़कर आने वाले भारतीयों पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया है और बर्मा सरकार द्वारा इस प्रतिबंध के हटाये जाने के सम्बंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि वे भारतीय जिनकी दुकानें छिन गई हैं बर्मा छोड़ कर आ सकें ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उन्हें कुछ औपचारिकतायें अवश्य पूरी करनी पड़ती हैं जैसे कि "पी" और "डी" फार्म का भरना तथा आयकर का पूर्ण भुगतान।

श्री हरि विष्णु कामत : ये समाचार कहां तक सही है कि चीनी सरकार और उसके एजेन्ट बर्मा में भारत विरोधी विचारों तथा भावनाओं को तेजी से फैला रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं कह सकता परन्तु यह वहां पर चीनी उद्भव के लोगों पर भी लागू होता है ..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : यह आदेश सबके लिये समान रूप से लागू है।

श्री हरि विष्णु कामत : आदेश तो सबके लिये लागू हो सकता है, परन्तु मेरा प्रश्न इससे भिन्न था।

श्री ह० प० चटर्जी : मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि बहुत से भारतीयों को उनकी सम्पत्तियों के जब्त किये जाने और उनके व्यापार के बन्द हो जाने के पश्चात् उनके मकानों से बाहर निकाल दिया गया था। जो प्रतिनिधिमण्डल अन्दमान द्वीप समूह गया था उसने भी यह बात देखी थी जबकि वह बर्मा में गया था। उन लोगों को गलियों में पुलिस छेड़ रही है तथा वे महान कष्ट में हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : इन सभी निराश्रित लोगों के लिये सरकार प्रबंध कर रही है। मैं तत्काल उनकी संख्या नहीं बता सकता।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार का ध्यान बर्मा के दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित उन सम्पादकीय लेखों की ओर गया है जिनमें यह कहा गया है कि क्योंकि भारतीय दूतावास भारतीय राष्ट्रजनों से जवाहरात आदि स्वीकार कर रहा है अतः स्वयं दूतावास का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये और क्या इन सुझावों की गम्भीरता तथा इस प्रकार के प्रचार पर उचित ध्यान दिया गया है। क्या यह मामला उस समय हुआ था जब कि सचिव महोदय वहां पर थे और बर्मा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि अब यह बात बन्द हो गई है (**अंतर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि दूतावास का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ।

श्री नाथ पाई : यह एक सम्पादकीय लेख में दिया हुआ था ।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि सरकार ने पिछले सत्र में यह वायदा किया था कि वे लोगों को यहां पर लाने के लिये अधिक जहाजों और विमानों की व्यवस्था कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि सरकार अब यह कह रही हैं कि ये जहाज तथा विमान जुलाई में ही उपलब्ध किये जा सकेंगे जब कि वे लोग मई के सारे महीने में ही कष्ट सहन करते रहे हैं तथा उन्हें जून के भी सारे महीने में कष्ट में ही रखा जायेगा ? इन लोगों के यहां पर जल्दी आने में उनकी सहायता करने के लिये अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : जो लोग यहां पर वापस आयेंगे उनकी संख्या के साथ जहाजों के भेजने के कार्य का तालमेल बिठाना होता है । जब तक औपचारिकतायें पूरी न हो जायें और वे यहां पर आने योग्य न हों, तब तक जहाजों को खाली वापस आने के लिये वहां पर भेजने में कोई तुक नहीं है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या सरकार यह बता सकती है कि ऐसे लोग कितने हैं जो कि वास्तव में ही भारत वापस आने के लिये लालायित हैं और निकट भविष्य में लोगों को भारत वापस लाने के लिये सरकार कितने व्यक्तियों के लिये सुविधायें प्रदान कर सकती है ।

श्री दिनेश सिंह : जो भारतीय राष्ट्रजन यहां पर वापस आना चाहते हैं उन सभी को लाने की हम आशा कर रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों की निश्चित संख्या बताना असम्भव है क्योंकि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कि लोग जो आज भारत वापस आना चाहते हैं वे कल की स्थिति में अचानक परिवर्तन होने पर वहीं पर ही ठहरना चाहें । उनकी संख्या बताना कठिन है । परन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं उनकी संख्या छः अंकों तक चली जायेगी—एक लाख अथवा इसके लगभग होगी ।

पाकिस्तान का आसाम के गांव पर वैध कब्जा

*६३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पाकिस्तान को बार बार अभ्यावेदन भेजे जाने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने आसाम का बोरियाबारी गांव, जो विभाजन के बाद से उसके अवैध कब्जे में रहा है, हमारे हवाले नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र को, जो निर्विवाद रूप से हमारा है, वापिस लेने के लिये कदम उठा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आसाम/पूर्वी पाकिस्तान सीमा के गोलपाड़ा—रंगपुर क्षेत्र में सीमांकन १९५६ में पूरा हो गया था उस क्षेत्र में सीमा खम्भे लगे हुए हैं । अंकित सीमारेखा से यह पता चलता है कि बोरियाबारी गांव सीमा पर आसाम की ओर है। राज्य स्तर पर तथा राजनयिक स्तर पर भी पाकिस्तान सरकार को

इसके लिये मानने के प्रयत्न किये गये हैं कि वे बोरियाबारी गांव के भारत हस्तान्तरण के लिये सहमत हो जायें ; क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में सीमांकन पूरा हो चुका है । पाकिस्तान सरकार का रुख यह है कि आसाम/पूर्वी पाकिस्तान की पूरी की पूरी सीमा के सीमांकन किये जाने और 'स्ट्रिप' नक्शों आदि पर दोनों सरकारों के पूर्णाधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही भारत तथा पाकिस्तान सरकार के अवैद्य कब्जे में जो गांव हैं उनका विनिमय किया जा सकता है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण अमान्य है । आसाम सरकार और भारत सरकार अब भी पाकिस्तान सरकार पर यह जोर दे रही है कि वे इस सम्बंध में "ग्राउन्ड रूल्स' लागू करें और बोरियाबारी ग्राम को आसाम के हवाले करने के लिये सहमत हो जायें ।

श्री नि० रं० लास्कर : विवरण से मुझे यह पता चलता है कि आसाम राज्य सरकार तथा भारत सरकार ने १९५६ से लकर अब तक इस क्षेत्र को वापस लेने का भरसक प्रयत्न किया है ; परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सरकार ऐसा करने के लिये इच्छुक नहीं है । अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं हुई है । इसको ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार का अब इस सम्बंध में क्या करने का विचार है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न दृष्टिकोण से ही तर्क करते हैं । हमारा कहना यह है कि जैसे ही किसी स्थान का सीमांकन हो जाये उसे उसके उचित स्वामी को सौंप दिया जाये । परन्तु पाकिस्तान सरकार का कहना यह है कि जब तक सारी सीमा का सीमांकन न हो जाये तथा यह मामला तय न हो जाये तब तक अवैद्य अधिकार वाले क्षेत्रों को एक दूसरे को न सौंपा जाये ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई नोट भेजा है और यदि हां, तो क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, हां, हम पाकिस्तान सरकार को समय समय पर इस बात की याद दिलाते रहे हैं कि उनके इस तर्क द्वारा 'ग्राउन्ड रूल्स' का उल्लंघन होता है, जो कि दोनों ही सरकारों द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : कितने गांव अब भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न की मुझे यथाविधि सूचना दी जाये । परन्तु जब तक पूर्ण सीमाकंन किये जाने के परिणामस्वरूप अवैध कब्जे वाले क्षेत्र की पूरी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट न हो जाये तब तक उन गांवों की संख्या बता सकना सम्भव नहीं होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह बात स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात् भी पाकिस्तान ने बोरियाबारी गांव को सौंपने से मना कर दिया है । पाकिस्तान के हटीले रुख को देखते हुए, क्या बेरुबारी के हस्तांतरण के मामले में भी विलम्ब किया जायेगा जिससे कि हम यह देख सकें कि हमें हमारी भूमि वापस मिल जाती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहिले ही स्थिति बता चुकी हूं । इस बात की सम्भावना है क्यों कि समान सिद्धांत ही लागू किया जाना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : What is the total area and population of village Boriabari and how long it has been under illegal occupation of Pakistan ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका क्षेत्र लगभग चतुर्थ वर्ग मील है, जन संख्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि भूमि सम्बंधी अभिलेखों के निर्देशकों का बेरुबारी तथा मट्टन्डी के बीच सीमांकन करने के लिये हाल ही में होने वाला सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं । अगला प्रश्न ।

भूटान में गुप्त रेडियो

\+

*६४. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ठ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री नाथ पाई :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात भारत सरकार के ध्यान में आई है कि भूटान में कुछ गुप्त रेडियो सक्रिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) (क) और (ख). भारत सरकार को ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं । यह समझा जाता है कि भूटान सरकार उनका पता लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Do these pirate radios operating in Bhutan bear any mark of any country, so that it could be known as to by whom they are being operated ?

Mr. Speaker : All this will be known after the investigation is completed.

Shri Onkar Lal Berwa : How many persons have been arrested in this connection and what are the names of the parties to which they belong ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह बात भूटान में हो रही है और हम उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते जो कि हमारे राजनीतिक अधिकारी ने हमें बताया है, अर्थात् यह कि वहां पर गुप्त रेडियो सक्रिय हैं। यह केवल भूटान सरकार का ही कर्त्तव्य है कि वह इस सम्बंध में कार्यवाही करे क्योंकि करार के अनुच्छेद दो के अनुसार यह एक आन्तरिक मामला है जिसमें कि हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते ।

Shri Onkar Lal Berwa : Have Government tried to ascertain as to in favour of which country they carry on their propaganda and if that is against us, what action Government have taken to contradict that propaganda ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि वे किस देश के हक में अपना विचार करते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमने अपनी ध्यान दिलाने की सूचनायें भेजी थीं जिनमें यह जानकारी दी गई थी ये गुप्त रेडियो स्टेशन चीनियों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार करने के लिये चलाये जा रहे हैं, परन्तु मंत्री महोदया कहती हैं कि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे खेद है कि हमें ठीक ठीक स्थिति नहीं बताई जाती ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कोई प्रश्न भी पूछेंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये रेडियो स्टशन निरन्तर चीन-समर्थक तथा भारत-विरोधी प्रचार करते रहे हैं ।

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी नहीं है कि सामान्यतया वह किस चीज का प्रसारण करते हैं । परन्तु यह सच है कि कदाचित् भारत के प्रति एक गलत धारणा उत्पन्न करने के कुछ प्रयत्न किये जाते हैं । जहां तक मुझे ज्ञान है भूटान सरकार उनका पता लगाने के लिये तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिये बहुत उत्सुक तथा प्रयत्नशील है।

श्री रामेश्वर टांटिया : भूटान के अतिरिक्त, क्या इस प्रकार के रेडियो स्थानों, जैसे कि सिक्किम, में भी कार्य कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमें भूटान तक ही सीमित रहना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : Are Bhutan Government competent enough to face out these radio stations in all those forest and hilly areas ? Have they asked for any help from the Government of India ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We hope that they will trace them out but if they ask for our help we will certainly provide it fully.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इन ट्रान्समिटरों से भेजे जाने वाले गुप्त संदेशों को बीच में पड़कर उनका गुप्त अर्थ निकाला गया है, और यदि हां, तो ये संदेश किस प्रकार के हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं ।

Shri M.L. Dviwedi : Could these coded messages be deciphered by the monitoring services of the Government of India at Simla and other places and if so, have they tried to do so and what information had been disclosed by them ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Full details are not known to me. But even if I am aware of it, it is not in public interest to disclose something more.

श्री दी० चं० शर्मा : भूटान के साथ हमारी विशेष सन्धि है । उस विशेष सन्धि को देखते हुए क्या हम यह नहीं जान सकते कि क्या ये रेडियो स्टेशन भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं और यह कि हम इस प्रचार को रोकने के लिये क्या कर सकते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम निश्चय ही भूटान सरकार की सहायता करने के लिये तैयार हैं । हम इस के लिये उन्हें सुझाव भी दे सकते हैं ।

Shri K. N. Tiwary : How long these pirate radio stations have been operating in Bhutan and in what languages do they broadcast ? Do they transmit only coded messages to China or they carryout propaganda here also ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We are not able to give so much details regarding any other country. But such efforts are often made in other countries—it is not so in Bhutan alone. It is like functioning as C.I.D. They send coded-messages. Efforts are made by our country to do so in another country. We have to trace out these pirate radio stations and stop their operation. If I have already stated, we will do our best to trace it and will render full assistance to Bhutanese Government in this regard.

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं कि भारत के मोनीटरिंग सिस्टम के अनुसार छः गुप्त रेडियो स्टेशन सक्रिय है और यह कार्य पहले तो भारत-विरोधी प्रचार करके और दूसरे भूटानी लोगों की नैतिक अवस्था को कमजोर बना कर सारे भूटान राज्य के तख्ते को उलटने का एक भारी षड़यंत्र है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसा हो सकता है, माननीय सदस्य से सहमत होने के लिये मेरा सुझाव है । मैं इसके लिये "ना" नहीं कर सकता ।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has stated that if Bhutanese Government ask for our help, we will try to trace out these pirate radio station. But if they do not ask for our help, then will this anti-Indian propaganda continue like this and we will not check it ?

Shri Lal Bahadur Shastri : If Pakistan starts this anti-Indian progaganda, then how could we check it ? If the hon. Member had to go to Pakistan for this, how could he go there ?

Shri Yashpal Singh : If this duty is assigned to me, I am prepared for it.

Shri Bade : May I know whether the anti-Indian propaganda made by the pirate radios operating in Bhutan is countered by the Govt. of India ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I can not reply to this particular point, but it is our duty to counter through our radios all the anti-Indian propaganda which is made.

Shri Bade : Is it being done or not ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I cannot tell this.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इन गुप्त रेडियो स्टेशनों द्वारा किये जाने वाले प्रसारणों के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने भूटान सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने उनसे बातचीत की है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हम इस मामले में आगे भी कार्यवाही करेंगे।

श्री अ० प्र० जैन : ऐसे प्रचार का सामना करने के लिये, क्या भारत सरकार उसके जवाब में कोई रेडियो प्रसारण अथवा ऐसी अन्य कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम इस सुझाव पर निश्चय ही विचार करेंगे। परन्तु मैं यह बता दूं कि वास्तव में इनका अधिक प्रभाव नहीं होता है। फिर भी, हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

नागा विद्रोहियों की घुसपैठ

\+

*६५. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ मई, १९६४ की एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले जो नागा विद्रोही भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे क्या उन्हें इस बीच पकड़ लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं तथा उसके कब्जे से किस तरह के हथियार मिले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि जिन २०० नागा विद्रोहियों ने हाल ही में मनीपुर की सीमा से भारत में घुसने का प्रयत्न किया था वे अन्य किसी स्थान से हो कर घुस आये हैं या नहीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : पिछले सत्र में मैंने सदन में यह बताया था कि नागाओं का एक गिरोह भारत में घुस आया है। विशेषरूप से इसी गिरोह के बारे में प्रश्न पूछा गया था। हम उन्हें पकड़ तो नहीं सके हैं। परन्तु जिन क्षेत्रों में वे कार्यवाही कर रहे थे वहां हमारे लोगों का उनसे मुकाबला अवश्य हुआ है जिसमें उनमें से कुछ मारे गये हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वे लोग इसी गिरोह के थे अथवा नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : ध्यान दिलाने की सूचना पर चर्चा के दौरान, मंत्री महोदय से यह पूछा गया था कि क्या इन नागाओं के पास पाकिस्तान अथवा अन्य किसी बाहरी देश द्वारा दिये गये हथियार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हथियार पहचान लिये गये हैं और क्या वे पाकिस्तान अथवा अन्य किसी बाहरी देश द्वारा दिये हुए हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह बताना तो कठिन है कि उनका सम्भरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वे किसी बाहरी देश में बने हुए हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा हथियार दिये गये हैं, इस बात में कोई सन्देह नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि कुछ व्यक्ति पकड़े गये थे और कुछ हथियार भी पकड़े गये थे। परन्तु यह कहना कठिन है कि वे पाकिस्तान द्वारा दिये गये थे या नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह हथियार कहां के बने हुए थे अमेरिका के, इंगलैंड के, रूस के अथवा अन्य किसी देश के ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बताना सम्भव है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह सम्भव नहीं है।

श्री बसुमतारी : वह यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा कि यह सम्भव नहीं है। मैंने यह पूछा था कि क्या इस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिये सम्भव है। **(अन्तर्बाधा)**

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are any Chinese or Pakistani spies also entering India along with these Naga hostiles ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे विचार में यह बात सच नहीं है।

श्री बसुमतारी : क्योंकि इन नागा बिद्रोहियों के साथ हमारे कुछ मुकाबले भी हुए हैं अत: क्या मैं जान सकता हूं क्या उनके परिणामस्वरूप इन विद्रोहियों की कार्यवाहियां बढ़ गई हैं अथवा घट गई हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : स्थिति का जो मैंने सामान्य मूल्यांकन किया है वह यह है कि जनवरी के महीने में इनकी कार्यवाहियां कदाचित और बढ़ गई थीं। इसके पश्चात् यह कम हो गई हैं परन्तु फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि वे उसी स्तर की है जैसी कि पिछले कई वर्षों से चल रही हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : कितने विद्रोही नागाओं ने अब तक अपना आत्मसमर्पण किया है और उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात होगी। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that some arms were recovered from Naga hostiles ? May I know the description of those arms and the quantity thereof ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस सम्बन्ध में मेरे पास कुछ जानकारी है । पिछले कुछ महीनों में नागा बिद्रोहियों से जो अस्त्र-शस्त्र पकड़े गये हैं वे इस प्रकार हैं: फरवरी, १९६४— .३०३ वाली राइफलें ४, पिस्तौल रिवाल्वर १, जापानी राइफल १, बन्दूकें (विभिन्न प्रकार की) १२, (विभिन्न प्रकार की) ४६ गोलियां, १२ बोर वाली बन्दूकों के कारतूस ३ और ग्रेनेड ६ । मार्च, १९६४—एयर राइफल १, .३०३ वाली राइफलें ३, पिस्तोल रिवाल्वर १, बन्दूकें (विभिन्न प्रकार की) १०, .४१० वाली मस्केट १, गोलियां (विभिन्न प्रकार की) १२३ और ग्रेनेड २ । अप्रैल, १९६४— राइफलें (विभिन्न प्रकार की) ३३, बन्दूकें (विभिन्न प्रकार की) १६, प्रोजेक्टर स्ट्रिम १, गोलियां (विभिन्न प्रकार की) १८६६, १२ बोर वाले कारतूस ९ और ग्रेनेड १ । मई, १९६४ (१ मई, से २१ मई तक)—एस० बी० बी० एल० बन्दूकें ३, डी० बी० बी० एल० बन्दूकें १, .३०३ वाली गोलियां १०, १२ बोर वाली कारतूसें ४, और ग्रेनेड १ । कुछ बिजली का तार, बारूद, इक्विपमेन्ट डिटोनेटर, कपड़े आदि भी उनसे पकड़े गये हैं । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्वभावत: ही इन बिजली के तारों, इक्विपमेन्ट डिटोनेटरों, बारूद में कुछ पाकिस्तान से प्राप्त की हुई सामग्री होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ?

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरा यह सुझाव है कि तारांकित प्रश्न संख्या ९०, जो कि इसी विषय पर है, तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के साथ ही ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सुविधा जनक हो, तो दोनों प्रश्नों को साथ ही ले लिया जाये ।

High Power Transmitters

\+

*66. **Shri Praksh Vir Shastri :**
Shri S. C. Samanta :
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :
Shri Sudheshwar Prasad :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Maharajkumar Vijaya Ananda :
Dr. P. Srinivasan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in regard to the installation of powerful transmitters to counter Chinese propaganda against India ;

(b) the names of places where they would be installed first and the capacity of each transmitter ; and

(c) whether any special financial provision has been made for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath) : (a) **and** (b) :

(i) **1000 kw mediumwave transmitter near Calcutta.**

Offers received for supply of this transmitter are underexamination.

(ii) **100 kw mediumwave transmitter near Simla .**

Transmitting equipment has been received. Suitable site is under finalisation.

(iii) **Seven 100 kw shortwave transmitters around Delhi.**

Two transmitters are under installation and are likely to be commissioned shortly. Provision for the remaining five transmitters has been made in the Third Five Year Plan. Implementation of this scheme is awaiting release of foreign exchange.

(c) Planning Commission have approved an additional allocation of Rs. 1 crore for installation of the 1000 kw mediumwave transmitter. Provision for the other transmitters mentioned above is included in the approved Third Plan allocation for All India Radio.

रूस से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर की खरीद

*९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने १००० किलोवाट वाले एक ट्रांसमिटर ो रुपयों में भुगतान पर भारत को बेचने का हाल ही में प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : जी

(ख) शर्तों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विषय विचाराधीन है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the name of the Country whose tender is the lowest out of the various countries from whom tenders were invited by the Government of India for the purchase of high power transmitter and by when the Government would take a final decision in this matter ?

Shri Sham Nath : The tenders received are under consideration. But I think it is not desirable to give any details relating to these tenders at this stage to the House.

Shri Prakash Vir Shastri : This is not a secret matter. Why it is being concealed ?

Shri Nath Pai : If the information cannot be given in this House, where else it could be given ?

The Minister of Parliamentary Affairs and the Minister of Information and Broadcasting (Shri Satya Narayan Sinha): The tenders invited have been opened. How can we conceal anything from this House? If we do not give information in this House, where we would. But sometimes a matter stands at such a stage that the House should not insist to know about it. This matter is now at such a stage that no information about it can be given at present. Every thing is in the melting pot. A meeting is going to be held today at 4·30 P.M. in this connection and the difficulty, if any, would be duly considered. The question whether to cancel the tenders formerly invited and such other things are under consideration and it will not be desirable to say anything about it at present.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that the country which has given the to west tender is being ignored and in its place, with a view to foster friendship, it is proposed to strike a bargain with a countr ywhich has quoted higher price in its tender ?

Shri Satya Narayan Sinha : There is some misunderstanding about this matter. What has appeared in the papers has also led to some misunderstanding. The fact is that the Finance Ministry, from the very beginning, never permitted us to purchase the transmitter from a free foreign exchange country. We were bound to purchase it from a rupee payment country. Of course, one tender has also been received from a western free foreign exchange country in which though the price quoted is not lower, this country has offered to supply the transmitter in a very short time as compared to other countries.

Shri A. P. Jain : You are giving each and every detail while you remarked that it was not desirable to say anything.

Shri Satya Narayan Sinha : I am not giving the name of the country. This question does not arise at present.

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन यन्त्रों को चलाने के लिये हमारे पास पर्याप्त संख्या में कार्यकुशल तकनीकी व्यक्ति हैं? यदि नहीं, तो उनके प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री शामनाथ : उपकरण के उपलब्ध होते ही, व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और काम पर लगाया जायेगा ।

Shri M. L. Dviwedi : Has the Russian tender for 1,000 kW transmitter been received late and if so, whether it has also been included along with the other tenders for consideration ? If not, why not and if so, the reason therefor ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have already said that the hon. Members should have patience. I would place each and every detail about it before them.

महाराजकुमार विजय आनन्द : मेरा प्रश्न टेंडर के बारे में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मशीनें हम खरीदने वाले हैं उनसे चीनियों के प्रसारण को कहां तक रोका जा सकेगा ।

श्री शामनाथ : प्रश्न केवल रोकने का नहीं है । प्रश्न तो यह है कि हम अपने प्रसारणों को दक्षिण-पूर्व के एशियाई देशों तक पहुंचाना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर के बारे में सरकार का विचार किसी विदेशी सरकार के साथ कोई करार करने का है और यदि हां, तो इस बाहर के देश के साथ किये जाने वाले करार के अन्दर **वायस आफ अमरीका** के साथ किये गये करार की जिस पर पहिले तो हस्ताक्षर किये गये तथा बाद में जिसको रद्द कर दिया गया, कौनसी विशेष बातें अथवा शर्तें शामिल नहीं की जायेंगी ?

श्री शामनाथ : वायस आफ अमरीका के साथ किया गया करार तो एक पुरानी बात है। अब तो हम अन्य देशों से ट्रांसमिटर खरीद रहे हैं तथा इसमें शर्त आदि की कोई बात नहीं होगी। हम उनको उन देशों से खरीदेंगे जहां से वे हमें ठीक और सस्ते प्राप्त होंगे तथा संभरण जल्दी किया जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को पता है कि इन ट्रांसमिटरों के लगाने में विलम्ब किये जाने के कारण बहुत सी 'फ्रीक्वेन्सीज' बेकार जा रही हैं ? इस पहलू के महत्व को देखते हुए सरकार इन ट्रांसमिटरों के लगाने में और कितना समय लेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हम इनको प्राप्त करने के इच्छुक है। दुर्भाग्यवश, वायस आफ अमरीका करार के कारण, देरी हुई है। अब हम यथाशीघ्र सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु फिर भी, ये चीजें तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। हम रुपया भुगतान देशों में से उस देश से खरीदेंगे जो शीघ्र से शीघ्र संभरण कर सकेगा चाहे कीमत कुछ अधिक हो हो क्योंकि हमारे लिये समय का अधिक महत्व है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **वायस आफ अमरीका** करार को अन्तिम रूप से रद्द कर दिया गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : वह तो बहुत पहिले ही रद्द कर दिया गया था।

Shri P. L. Barupal : Is Japan also one of the Countries from where tenders have been received ? Is it also a fact that the quotations given in this tender are the lowest and it has been promised that the transmitter would be supplied at the earliest ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have indicated that all these things cannot be disclosed at this stage.

श्री वें० वेंकटासुब्बया : रूस ने उच्च शक्ति वाले जिन ट्रांसमिटरों को देने का प्रस्ताव किया है, क्या वे आस्थगित भुगतान पर प्राप्त होंगे अथवा रुपया भुगतान पर ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार को विचार तथा निर्णय करने दीजिये। सरकार को भी कुछ समय दिया जाना चाहिये।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जिस समय टेंडर खोले गये थे, क्या उस समय टेंडर देने वाले देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ? यदि हां, तो क्या उनको वह सब जानकारी प्राप्त नहीं है जिसको कि सभा को बताने से इंकार किया गया है ?

श्री शामनाथ: टेंडर खुलने के समय टेंडर भेजने वाले कुछ देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Shri K. N. Tiwary : The purchase of transmitters takes undue time because it involves foreign exchange. Does the Government propose to start the manufacture of transmitter in the country itself ?

Mr. Speaker : It will take time.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How much time the hon Minister would take to obviate the necessity of inviting tenders ?

Shri Satya Narayan Sinha : It will take some time.

श्री नाथ पाई: क्या टेंडरों की प्राप्ति के लिये कोई तारीख निश्चित की गई थी ? यदि हां, तो वह तारीख क्या थी, क्या उस तारीख के बाद भी कुछ टेंडर प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो किन देशों से ?

श्री सत्य नारायण सिंह: मैं यह सब ब्यौरा नहीं दे सकूंगा?

श्री नाथ पाई: श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मुझे खेद है कि यह पूर्ण रूप से औचित्य प्रश्न तो नहीं है, परन्तु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैंने एक बहुत ही सरल और विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या टेंडरों की प्राप्ति के लिये कोई तारीख निश्चित की गई थी। यदि हां, तो वह तारीख क्या थी और क्या उस तारीख के बाद भी टेंडर प्राप्त हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त सुगम है।

श्री शामनाथ: श्रीमन्, टेंडरों की प्राप्ति के लिये एक तारीख निश्चित की गई थी जो कि २४ मार्च, १९६४ थी।

श्री नाथ पाई: क्या उस तारीख के बाद भी टेंडर प्राप्त हुए थे ?

श्री शामनाथ: एक टेंडर बाद में प्राप्त हुआ था। परन्तु चूंकि वह टेंडर तारीख से पहिले ही भेज दिया गया था अतः उसको शामिल कर लिया गया।

Shri Yashpal Singh : It has been mentioned in this House several times that 63 Chinese transmitters are in operation on the border. In view of this, may I know how much powerful this transmitter would be as compared to theirs ?

Shri Satya Narayan Sinha : We are not a ware of the capacity of the Chinese transmitters as they work with iron curtain. But we have come to the conclusion that a 1,000 kW transmitter, if available, would be suitale for our broadcasts meant for distant countries.

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

+

*६७. श्री स० मो० बनर्जी:
श्री विश्वनाथ राय:
श्री बालकृष्ण सिंह:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री रिशांग किशिंग:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री बिशनचन्द्र सेठ:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री धवन:
श्री महेश्वर नायक:
श्री रा० बरुआ:
श्री हुकम चन्द कछवाय:
श्री रामपुरे:
श्री द्वारका दास मंत्री:
श्री हेम बरुआ:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागा विद्रोहियों ने हाल में अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पाकिस्तान से नियमित रूप से हथियार मिल रहे हैं; और

(ग) क्या इस बारे में भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्र का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नागा विद्रोहियों ने हाल ही में अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी हैं। हां, उनकी आतंकवाद, निष्ठावान नागाओं को डराने धमकाने, नागरिकों से धन लूटने खसोटने, डाके डालने और सुरक्षा स्तम्भों और चौकियों पर कभी कभी गोलियां चलाने की कार्यवाहियां जारी हैं।

(ख) दो विद्रोही गिरोह नागालैंड को वापस आ गये हैं; और सूचना मिली है कि तीसरा गिरोह पूर्वी पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करने और हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ और उपकरण लेने के पश्चात वापस लौट रहा है।

(ग) जी, नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि वे नागा विद्रोही कुछ विशेष शर्तों पर युद्ध विराम घोषित करने के लिये राजी हो गये हैं; यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा हमें कुछ जानकारी भेजी गई थी। मेरे विचार में यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं बल्कि पहले वाला था जिस पर मेरा नाम नहीं जोड़ा गया। उस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये जाने की बात तो समझ में आती है, परन्तु यह प्रश्न तो विशेष रूप से प्रधान मंत्री से पूछा गया था न कि प्रतिरक्षा मंत्री से। यदि इस प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न के रूप में उत्तर नहीं दिया जा सकता और यदि हमें नया प्रश्न पूछना पड़ेगा तो फिर यह उत्तर देने से कोई फायदा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य प्रश्न भी तो हो सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ये विद्रोही अभी भी श्री फिज़ो के इशारों पर चलते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह विशेष प्रश्न तो प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत आता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वह प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री स० मो० बनर्जी : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर भी इसी प्रश्न के साथ दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर प्रधान मंत्री देंगे। मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ कैसे ले सकता हूं ?

श्री स० मो० बनर्जी : नागा विद्रोहियों पर काबू पाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है और क्या भाविष्य में स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय का संबंध है, हमारा संबंध सेना की कार्यवाहियों और इसके नियंत्रण मे स्थित पुलिस से है। हम वही नीति जारी रख रहे हैं जो पहले लागू थी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the number of houses looted, the number of persons murdered, the number of trains looted and the amount of loss done to life and property by Nagas since March, 1963 ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है और यदि होती भी तो मैं प्रकट नहीं करता।

श्री स्वैल: उपप्रतिरक्षा मंत्री ने अभी बताया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नागा विद्रोहियों की गतिबिधियां तीव्र हो गई हैं। क्या यह सच है कि १३ मई को मनीपुर के उखरूल सबडिवीजन में चिंग जार ई नामक स्थान पर नागा विद्रोहियों और हमारी सुरक्षा टुकड़ियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो व्यक्ति मारे गये ; इससे कुछ दिन पहले विभिन्न अन्य मुठभेड़ हुई जिनमें समाचारपत्रों की खबरों के अनुसार हमारी सुरक्षा टुकड़ियों के अधिक व्यक्ति मारे गये हैं और उससे कुछ दिन पूर्व नागा विद्रोहियों ने हमारी एक रेलगाड़ी पर गोलियां चलाई।

श्री दा० रा० चह्वाण : यदि मेरे माननीय मित्र मेरे उत्तर को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उसमें ये बातें दी गई हैं ।

श्री स्वैल : मैं डकैती और उन सब बातों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो नागा विद्रोहियों और हमारी सुरक्षा टुकड़ियों के बीच जो बड़ी मुठभेड़ें होती हैं उनके बारे में पूछ रहा हूं । इन दोनों में बड़ा अन्तर है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि मुठभेड़ होती रहती हैं । कभी कभी हमारी सुरक्षा टुकड़ियां उनके आक्रमणों का शिकार भी बनती हैं, कभी कभी विद्रोहियों की एक बड़ी संख्या हमारे आक्रमण का शिकार बनती है । अतः मुठभेड़ चलती रहती हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या विद्रोही नागाओं की हाल की गतिविधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप, नागाओं की गतिविधियों में किसी प्रकार की कमजोरी आ रही है अथवा वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस प्रकार की स्थिति का कोई संकेत नहीं देखता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : माइकल स्काट और अन्य व्यक्तियों के बीच हुई शांति संबंधी बातचीत के समय से अब तक कितनी मुठभेड़ हुई हैं और उसमें जान और माल का कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मेरे पास कोई विशिष्ट और विस्तृत जानकारी नहीं है । यदि सूचना दी जाये तो निश्चय ही मैं यह जानकारी दे दूंगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : जब कि हमारी सीमाओं पर निरन्तर गश्त रखी जाती है तो विद्रोह लोग पाकिस्तान अथवा बर्मा को किस स्थान से आते हैं? वह कौन सा स्थान है जहां से वे बच कर चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कठिनाई यह है कि अधिकांश नागालैंड क्षेत्र पहाड़ी इलाका है । सीमा के प्रत्येक स्थान पर निगरानी रखना कठिन है । कभी कभी वे मनीपुर के कोने से चले जाते हैं । कभी कभी बर्मा के कोने से । यह कहना कठिन है कि वे किस कोने से जाना पसन्द करते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या गृह मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में पाकिस्तान के गृह मंत्री से, पाकिस्तान द्वारा नागा विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर बातचीत की गई थी ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रश्न पर बातचीत नहीं की गई थी ।

श्री इकबाल सिंह : विद्रोही नागाओं से जब्त किये गये हथियार किस प्रकार के हैं तथा किस देश के बने हुए हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने अभी बताया कि कुछ हथियार और गोलाबारूद निश्चय ही जब्त किये गये थे, परन्तु निश्चित रूप से यह पहिचानना कठिन है कि वे किस देश के बने हुए हैं ।

श्री बसुमतारी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उपमंत्री ने कहा 'नहीं'। क्या उन्होंने इन गतिविधियों पर पाकिस्तान से उसकी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की है, क्योंकि समाचारपत्रों में यह समाचार ग्राया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निधन ग्रौर शेख ग्रब्दुल्ला के दौरे के पश्चात् पाकिस्तान ने ग्रपना रवैया बदल लिया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने इस बारे में विरोधपत्र भेजा है। ग्रौर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुग्रा है। यह जानकारी दी जा चुकी है।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सीमा पर सेना से, किसी समय, यह सुनिश्चित किया है कि इस सभा में हम जो यह सारी रुचि लेते रहे हैं उससे विद्रोहियों को ग्रपना महत्व ग्रौर ग्रपनी गतिविधियां बढ़ाने में प्रोत्साहन नहीं मिला है ग्रौर इस प्रकार हमारे विरुद्ध ग्रपनी शत्रुता जारी नहीं रख रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि इसका नागाग्रों की गतिविधियों की तीव्रता से कोई सम्बंध है।

बोनस ग्रायोग का प्रतिवेदन

\+

*६८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री मोहसिन :
श्री ग्र० सिं० सहगल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम ग्रौर रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस ग्रायोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों मे कार्यान्वित करने के लिये किये गये उपायों की रूपरेखा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) और (ख). बोनस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। उन पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : वे कौनसी सिफारिशें हैं जिनसे प्रतिवाद पैदा हो गया है और वे कौनसी सिफारिशें हैं जो इस समय तक मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : कुछ सिफारिशें हैं । विमति टिप्पण के कारण देर हुई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : विमति टिप्पण में कौनसी सिफारिशें हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है और उन प्रतिवादों का किस समय तक समाधान किया जायेगा ?

श्री र० कि० मालवीय : माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन के साथ विमति टिप्पण भी परिचालित किया गया है । विमति टिप्पण में मुख्य सिफारिश यह थी कि आयोग ने अधिक लाभकर की पूर्व प्रभार के रूप में अनुमति नहीं दी और दूसरे.....

अध्यक्ष महोदय : यदि पहिले से ही परिचालित कर दिया गया है । तो इसको दोहराने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या बोनस आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध विशेषतः पूंजी पर आमदनी के लिए सरकार को कोई आपत्ति प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री र० कि० मालवीय : मेरे लिए यह बताना कठिन है कि क्या इस विशेष विषय पर कोई आपत्ति उठाई गई है । परन्तु कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Chitranjan Locomotive Workshop have implemented the report of Bonus Commission; if not, the reasons therefor ?

Shri R. K. Malviya : The question of its implementation does not arise until it is accepted.

Shri Yashpal Singh : May I know the names of the States that have been consulted and the main hindrance that is coming in the way ? The same reply was given a year back. After all what is obstruction ?

Shri R. K. Malviya : The question of one year does not arise as it has been laid on the Table on this very 3rd March. Only two, three months have elapsed since it had been placed on the Table. Since then efforts are going on. Replies from many State Governments have already been received. Replies from others are awaited. The matter will be considered after their replies have been received.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं कि सरकार द्वारा इस पर निर्णय करने में अधिक देरी का फायदा उठाते हुए सभी कर्मचारी बोनस पर द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय करारों के लिए इनकार कर रहे हैं और यदि हां, तो श्री दण्डेकर की टिप्पणी, जो कि पूर्ण रूप से स्वीकार की जानी है, के विरुद्ध व्यवस्था करने अथवा उसकी अवहेलना करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री र० कि० मालवीय : औद्योगिक विवाद अधिनियम इस समय लागू है । बोनस के सम्बंध में, विवादों के निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में दिये गये सभी उपचार अमल में लाये जा सकते हैं। मैं हाल ही में दक्षिण से आया हूं और वहां पर कुछ समझौते किये जा रहे हैं। मेरा विचार है कि मज़दूर इन समझौतों से सन्तुष्ट हैं ।

श्री वारियर : सरकार किस समय तक इस पर निर्णय करेगी और बोनस आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्विति आरम्भ करेगी ?

श्री र० कि० मालवीय : जैसा कि मैंने बताया, हम यथासम्भव शीघ्र निर्णय करेंगे ।

श्री दाजी : इस प्रकार की प्रणाली कभी नहीं रही । जब भी मज़दूरी बोर्ड का प्रतिवेदन अथवा किसी ऐसे आयोग का प्रतिवेदन आता है तो राज्यों से कभी भी परामर्श नहीं किया जाता । केन्द्रीय सरकार ही निर्णय किया करती है । इस विशेष मामले में ही नियम का उल्लंघन क्यों किया गया है ? बोनस आयोग ने सारा कार्य जान बूझ कर किया और इसमें सरकार, नियोजकों और मज़दूरों के प्रतिनिधि शामिल थे ।

श्री र० कि० मालवीय: इस मामले में कोई विचलन नहीं है । राज्य बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं पहली बात तो यह है कि उनके राज्यों में जो कारखाने चल रहे हैं उनके संम्बंध में मज़दूर सम्पर्क का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्वयं ही उद्योगों को चला रहे हैं और इसलिए राज्य सरकारों से परामर्श करना बड़ा आवश्यक है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how long this bonus dispute will continue and when would the workers be able to get their due share of bonus ? Will, after the expiry of the period for the payment of bonus, the workers be entitled to interest along with the bonus?

Shri R. K. Malviya : We cannot force them to pay interest. This can be done only if the Tribunal so decides or any mutual agreement is reached in this regard. In any case, we make all efforts to see that all disputes are settled as quickly as possible.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बोनस आयोग के सात सदस्यों में से केवल एक सदस्य ने विमति टिप्पण दिया है जबकि अन्य छः सदस्यों का एक ही मत था, क्या सरकार इससे अवगत नहीं है कि इतनी देर करने से भविष्य में बनने वाले ऐसे किसी भी आयोग के सदस्य के निषेध अधिकार को बढ़ावा मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सारे प्रतिवेदन और विमति टिप्पण पर भी विचार किया जाना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार को बहुमत निर्णय को क्रियान्वित करने से क्या चीज़ रोकती हैं ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : केवल श्री दण्डेकर के विमति टिप्पण पर ही विचार नहीं किया जा रहा है । हमें राज्य सरकारों से और भारत सरकार के रोज़गार देने वाले मंत्रालयों से परामर्श करना पड़गा केवल तभी हम कोई निर्णय करने की स्थिति में होंगे ।

श्री काशी नाथ पांडे : इस सम्बंध में राज्यों की सामान्य प्रतिक्रिया क्या है और क्या अधिकांश राज्य इसके पक्ष में हैं अथवा इसके विरुद्ध हैं ?

श्री र० कि० मालवीय : अभी सब उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मज़दूर, नियोजक और सरकार बोनस आयोग की सिफारिशों के सम्बंध में सर्वसम्मत परिणाम पर पहुंचे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में निश्चित विलम्ब क्या हुआ है और किस समय तक सरकार द्वारा योजना आयोग की सिफारिशों के क्रियान्विति किये जाने की सम्भावना है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । अगला प्रश्न ।

नेफा सचिवालय की इमारत

***६९. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में नेफा सचिवालय की इमारत का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) सचिवालय की इमारत को नेफा ही में न बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इमारत को नेफा में ही बनाये जाने की लोगों की इच्छा तथा मांग का कहां तक ध्यान रखा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) शिलांग में नेफा सचिवालय की इमारत के निर्माण के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है और प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है ।

(ख) बीस लाख रुपये ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

शिलांग में सचिवालय की इमारत का निर्माण करने का निर्णय सभी सम्बंधित बातों को ध्यान में रख कर किया गया था और विशेषतः इन बातों को ध्यान में रखा गया था । मितव्ययियता की आवश्यकता, नेफा में पार्श्विक संचारण की कमी और सचिवालय को आसाम के गवर्नर के

मुख्यालयों में रखने की प्रशासनिक आवश्यकता क्योंकि गवर्नर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में क्षेत्र के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। निर्णय करने से पूर्व कुछ अभ्यावेदन, जो मुख्यत: विद्यार्थियों के और शिआंग फ्रन्टियर डिवीज़न के नेताओं के थे, पर विचार किया गया था।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि १९६० में नेफा सचिवालय को जेरों में नेफा ही के अन्दर स्थित करने का निश्चित निर्णय किया गया था और यदि हां, तो निर्णय को शिलांग के पक्ष में क्यों बदल दिया गया था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उस समय नेफा के अन्दर के भाग में मुख्यालयों को स्थित करने के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं किया गया था। मामले पर विचार किया गया था, परन्तु बाद में इसे सम्भाव्य नहीं समझा गया था। यदि मुख्यालयों को नेफा के अन्दर स्थित कर दिया जाता है तो इस पर लगभग दो करोड़ रुपये व्यय होंगे जबकि इसकी तुलना में शिलांग में बीस लाख रुपया व्यय होगा।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार नेफा के लोगों की इच्छा से पूर्णत: अवगत हैं कि वे नेफा सचिवालय नेफा में ही चाहते हैं, और यदि हां, तो क्या सचिवालय को शिलांग में स्थित करने का निर्णय करने से पूर्व इस पर अच्छी तरह विचार किया गया था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, हां। इन सब बातों पर विचार किया गया था। यह देखा गया कि इस समय नेफा में पार्श्विक संचारण की कठिनाईयों के कारण शिलांग में मुख्यालयों को रखना अधिक अच्छा हैं।

श्री स्वैन: राज्य मंत्री ने अभी जो वित्तीय कठिनाईयों का उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त क्या कुछ अन्य बातें भी हैं जिनके कारण सरकार ने नेफा के लोगों की इच्छा के विरुद्ध नेफा में सचिवालय नहीं बनाया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: अन्य बातें विवरण में दी गई हैं नेफा के भीतर पार्श्विक संचारण की कमी है। प्रत्येक बात के लिए आपको गोहाटी से चलना पड़ता है। इसलिये इसे सम्भाव्य नहीं समझा गया।

श्री प० ना० कयाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेफा प्रशासन को अधिक शक्ति देने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है क्या समिति द्वारा अन्तिम निर्णय करने के समय तक इस इमारत के निर्माण को रोकना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो सका ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है। अगला प्रश्न।

भारत–चीन सीमा विवाद

*७०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन विवाद को सुलझाने के लिए चीन सरकार ने या उसकी ओर से किसी ने कोई सुझाव दिये हैं या प्रयत्न किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और किसने और उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इसी कार्य के लिये चीन सरकार ने या उसकी ओर से किसी ने कोई प्रस्ताव रखे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) क्या चीन ने १ मई, १९६४ के बाद से भारतीय क्षेत्र में कोई और अतिक्रमण किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं, भारत चीन विवाद को हल करने के लिए चीन सरकार द्वारा या चीन सरकार की ओर से कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) १ मई, १९६४ के बाद भारतीय राज्य क्षेत्र में आगे घुसने की कोई घटना नहीं हुई हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कोई ऐसे समाचार मिले हैं कि महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो जाने से चीन सरकार का रवैया कुछ नर्म हो जायेगा अथवा उसके विपरीत कठोर और अधिक आक्रमणकारी हो जायेगा और यदि उसका रवैया अधिक आक्रमणकारी हो जायेगा तो क्या सरकार स्थिति का मुकाबिला करने के लिए पूर्णतः तैयार है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें काल्पनिक क्या है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई खबर मिली हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका सम्बंध ऐसी बात से है जो भविष्य में शायद हो सकती है ।

प्रश्नों के लिखित उतर

Written Answers to Questions

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

*२२. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री बड़े :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री धर्मलिंगम :
श्री मुत्तु गोंडर :
श्री बीरप्पा :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हेम बरुआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से अब तक जो शरणार्थी आये हैं उनकी समुदाय-वार संख्या क्या है ;

(ख) उन्हें किस प्रकार तथा किन किन राज्यों में फिर से बसाया जायेगा ; और

(ग) राज्यों को इस प्रयोजन के लिये सहायता देने के हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १ जनवरी, १९६४ से २५ मई, १९६४ तक की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग ४,०६, ६२० व्यक्ति आये हैं। इनके धर्मवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

ईसाई	४७,९०० व्यक्ति
बौद्ध	२०,००० व्यक्ति
हिन्दू	३,३८,७२० व्यक्ति

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९०१/६४]**

(ग) क्यों कि आप्रव्रजकों के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है इसलिये आय व्ययक जो उस समय बताया जा रहा था, में इसका उपबन्ध नहीं किया गया। अब राज्य सरकारों से चालू वर्ष में नये आप्रव्रजकों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये अपेक्षित रक़म निर्धारित करने के लिये कहा गया है। इस सम्बन्ध में उपबन्ध अनुपूरक अनुदान अथवा पुनः विनियोजन के द्वारा किया जायेगा। इस बीच राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार रकम उन तक उपलब्ध की जा रही है। अब तक राज्य सरकारों को अनुदानों तथा ऋणों के रुप में २.४४ करोड़ रुपये दे दिये गये हैं।

Bank of China

*23. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the exent to which the investigations into the affairs of Bank of China have been completed ;

(b) the conclusions arrived at as a result of the imvestigations made so far ; and

(c) the time by which the investigations are likely to be completed ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) and (c). The investigating officer has completed his preliminary examination of the bocks and accounts and it is expected that the investigation will be completed shortly.

(b) As the report has not yet been submitted, it is not possible at this stage to anticipate the investigating officer's findings or conclusions.

Fourth Plan

*24. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Yashpal Singh :
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :
Shri S.C. Samanta :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shri P. R. Chakraveti :
Shri P.C. Borooah :
Shri Heda :
Shri Daljit Singh :
Shri Kola Venkaiah :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Planning Commission was held recently to consider the targets, pattern, priorities and resources of the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the decisions taken in this regard ; and

(c) the time by which it would be possible to publish the brief draft of the Fourth Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C.R. Pattabhi Raman) : (a) Yes Sir. A full meeting of the Planning Commission was held on Sunday, May 10, 1964 at Prime Minister's residence to consider general policy matters relating to the formulation of the Fourth Plan. The targets, pattern, priorities and resources for the Fourth Plan were not discussed.

(b) Question does not arise.

(c) The draft outline is tentatively scheduled to be published by March, 1965.

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

*२५. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विकास कार्य आरंभ करने के लिये कोई धनराशि आवंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार चार पूर्वी जिलों का विकास करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विस्तृत कार्यक्रम के आधार पर १९६४–६५ की केन्द्रीय सहायता की राशि निश्चित होगी ।

स्वास्थ्य बीमा योजना

*२६. श्री पें० वकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मलाईछामी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि मध्यवर्गीय लोगों, जो सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आते, के लाभ के लिये कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रयोगात्मक स्तर पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि राज्य सरकारें इस योजना को स्वीकार कर लेती हैं तो क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों को कोई योजना नहीं भेजी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गारो पहाड़ियों और मिजो पहाड़ियों में शरणार्थी

*२७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दें० जी० नायक :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती अकम्मा देवी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री ३० अप्रैल, १९६४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरणार्थियों के बड़ी संख्या में आने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये आसाम के गारों पहाड़ी तथा मिजो पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में इस बीच क्या परिवर्तन किये गये हैं या किये जा रहे हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में शरणार्थियों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य की विशेष कठिनाइयों का सामना करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) गारो पहाड़ियों से आने वाले आप्रव्रजकों को ग्वालपाड़ा सबडिवीजन के शिविर में भेज दिया गया है क्योंकि मानसून में वहां पर आसानी

से जाया तथा आया जा सकता है। इस समय गारो पहाड़ियों के दो शिविरों में लगभग २०,००० व्यक्ति हैं। गारो पहाड़ियों में बसे हुए आप्रव्रजकों के लिये यहां की भूमि का विकास किया जायेगा, सड़कें बनाई जायेंगी, औद्योगिक योजनायें चालू की जायेंगी तथा उनको कोयला खनन परियोजना और तापीय विद्युत् परियोजना से मिलाया जाये(ा।

मिजो पर्वतीय जिले में आये हुए १०,००० से अधिक आप्रव्रजकों को कचार जिले में ले जाने का निर्णय कर लिया गया है।

राज्य सरकार ने एक सहायता तथा पुनर्वास विभाग स्थापित कर लिया है तथा शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिये आवश्यक क्षेत्रीय कर्मचारी नियुक्त कर दिये हैं।

जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण योजना

*२८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की नई गृह-निर्माण योजना में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी पालिसियां जारी की गई हैं और उनकी राशि कितनी है; और

(ग) ऋण के लिए पालिसीधारियों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) क्योंकि योजना बहुत थोड़ी अवधि से लागू है इसलिये यह संभव नहीं है कि इस समय कोई स्पष्ट राय बताई जा सके।

(ख) आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अप्रैल, १९६४ के अन्त तक ९९१ आवेदन पत्र मिले थे।

मंहगाई भत्ते में वृद्धि

*२९. **श्री नम्बियार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल मामूली सी वृद्धि होने के कारण फैले हुए घोर असन्तोष का पता है ;

(ख) क्या यह वृद्धि निर्वाह-व्यय में हुई वृद्धि के बराबर है ;

(ग) क्या महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है ; और

(घ) असन्तोष को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें बताया गया है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि अपर्याप्त है।

(ख) जी नहीं। हाल में की गई वृद्धि से न्यूनतम ३०० रुपये तक १-७-५९ से १२ महीनों के मूल्य देशनांक के २० पाइन्टों को ७५ प्रतिशत तक निष्प्रभाव कर दिया गया है।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले

*३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री ५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामलों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जांच अभी हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य वित्त निगम

*३१. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वित्त मंत्री २७ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य वित्त निगमों के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित राज्य वित्त निगमों के कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशों में एक भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विशेष निधि अर्थात् राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन) निधि संबंध में थी। इसमें से राज्य वित्त निगमों के साधनों की अनुपूर्ति होगी। भारत के औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, १९६४, जो हाल में ही अधिनियमित किया गया है में व्यवस्था है; देखिये अधिनियम की धारा ३८; भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के संशोधन के अनुसार कि भारत के रिजर्व बैंक में ऐसी निधि बनाई जानी चाहिए जो औद्योगिक विकास बैंक के बांडों पर धन देंगे अथवा ऋण देंगे। अन्य

निधियों के अतिरिक्त इस निधि से उपलब्ध धन की सहायता से स्थापित हो जाने के बाद औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्त निगमों को अंशों, बांडों के रूप में धन देगें अन्यथा औद्योगिक संस्थाओं को निगमों द्वारा दिए गए ऋण के लिये धन दिया जायेगा।

भारत का रिजर्व बैंक अन्य सिफारिशों पर विचार कर रहा है तथा उनकी टिप्पणी मिल जाने पर सरकार विचार करेगी कि क्या कार्यवाही की जाये।

मध्य प्रदेश में पारगमन शिविर

*३२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती अक्कम्मा देवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए राज्य में कुछ और पारगमन शिविर खोलने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न शिविरों में इस समय कितने शरणार्थी रह रहे हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि रायपुर डिवीजन में वर्तमान चार शिविरों में और शरणार्थी नहीं आने चाहियें ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां। राज्य सरकार ने उस राज्य में तीन और पारगमन शिविर खोलना स्वीकार कर लिया है।

(ख) २१,४३६ परिवार जिनमें ९०,९७९ व्यक्ति हैं।

(ग) जी हां।

हथकरघा उद्योग से अभ्यावेदन

*३३. **श्री दे० द० पुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चालू वर्ष के बजट में सूत पर उत्पादन शुल्क के बढ़ाये जाने से उत्पन्न हुई कठिनाई के बारे में हथकरघा उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों पर पूरी तरह विचार कर लेने के बाद २२ अथवा अधिक के एन० एफ० काउन्ट के परन्तु ३४ एन० एफ० काउन्ट से कम काउन्ट के सूती धागे पर ५ नये पैसे प्रति किलोग्राम सहायता देने की घोषणा १७ अप्रैल, १९६४ को सभा में कर दी गई थी।

अमरीकी व्यापारियों का भारत का दौरा

*३५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी व्यापारियों के हाल के भारत के दौरे के परिणामस्वरूप अमरीकी पूंजी के भारत में लगाये जाने को सुकर बनाने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या भारत में विनियोजन 'वातावरण' के सम्बन्ध में सरकार को अमरीकी व्यापारियों से कोई रिपोर्ट अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) नई दिल्ली का दौरा करने वाले अमरीकी व्यापारियों के दल ने भारत सरकार की औद्योगिक प्रक्रिया तथा नीति और देश में अग्रेतर विनियोजन की जानकारी हासिल करना चाहा था। अमरीकी व्यापारियों से बातचीत सामान्य तथा अन्वेषणात्मक थी।

तीसरी योजना में कमी

*३६. **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने तीसरी योजना के कुछ क्षेत्रों में रहने वाली कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता देने की मांग की है जिससे कि तीसरी योजना के वास्तविक व्यय को पूरा किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों ने यह मांग की है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) राज्य सरकारों की इन आवश्यकताओं पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से वार्षिक योजना पर की गई चर्चा में परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जांच तथा साधनों का निर्धारण करने के आधार पर राज्यों को १९६१-६५ में केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में आवंटन राज्य सरकारों के साथ इसी प्रकार के परामर्श पर निश्चित होगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

*३७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द सेठ :
श्री धवन :
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं देने का संघ सरकार का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के अधीन कौन-कौन से क्षेत्र आ जायेंगे

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) किदवई नगर, एन्ड्रयूज गंज, मोती बाग तथा लक्ष्मीबाई नगर के गैर सरकारी लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के उन व्यक्तियों, जो इसके अधिकारी नहीं हैं, को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधा योग के तौर पर जून, १९६४ से देने का विचार है । जो योजना में शामिल होना चाहते हैं उनसे अभ्यावेदन मांगे गये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये शिविर

*३८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ ।

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ से पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए नये शरणार्थियों के लिये पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों में कितने पारगमन और कार्यस्थल शिविर खोले

गये हैं ; प्रत्येक शिविर किस किस स्थान पर और किन किन राज्यों में स्थित है और प्रत्येक शिविर में कितने शरणार्थी रखे गये हैं ;

(ख) कुल कितने शरणार्थी इन शिविरों को छोड़ कर भाग गये हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है कि उनके इस प्रकार से भाग जाने के क्या कारण है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-२९०२/६४]**

(ख) लगभग ५,६०० व्यक्तियों वाले १,२४५ परिवार विभिन्न शिविरों से चले गये हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ऐसे व्यक्ति छोड़ कर चले गये हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं तथा खेती की भूमि मांगते हैं । कुछ व्यक्ति अत्यधिक गर्मी के कारण चले गये हैं।

आवास योजनाओं के लिये निर्धारित रकम का अन्य कार्यों में प्रयोग

***३९. श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आवास योजनाओं के लिये निर्धारित रकम राज्य सरकारों द्वारा अन्य योजनाओं में प्रयुक्त की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यों के नाम क्या है तथा गत तीन वर्षों में इस प्रकार कुल कितनी धनराशि अन्य योजनाओं में प्रयुक्त की गई है ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इस पर विचार करे कि राज्य सरकारों को आदेश दिए जायें कि योजना के शेष दो वर्षों में आवास के लिये अधिक उपबन्ध करें और इसका ध्यान रखें कि इसके लिये निश्चित धन को अन्य विकास कार्यों में न लगायें।

वृद्धावस्था पेंशन

*४०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चालू वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर यह योजना लागू की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यह पेंशन पाने का हकदार होने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और कुछ राज्यों ने वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को लागू कर दिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चेकोस्लोवाकिया से ऋण

*४१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया द्वारा भारत को ४० करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर का ऋण दिये जाने के लिये एक करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस ऋण से किन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

११-५-१९६४ को ४० करोड़ रुपये के ऋण का एक करार हुआ था । ऋण पर २ १/२ प्रतिशत का सूद है । इसका भुगतान रुपयों में होगा तथा रुपयों का उपयोग चेकोस्लोवाकिया को भारतीय वस्तुओं का निर्यात करके किया जायेगा । परियोजना के मामले में यंत्रों के अन्ततः मिल जाने के १ वर्ष क बाद १२ वर्षों में भगतान होगा । पुर्जों के भुगतान के लिये ८ वर्ष की अवधि रखी गई है ।

ऋण के द्वारा जिन परियोजनाओं को धन दिया जायेगा उनमें दो नये मशीनी औजार कारखाने, एक २ ×११० मैगावाट का बिजलीघर, एक नया ट्रैक्टर कारखाना, अतिरिक्त ढलाई तथा गढ़ाई का कारखाना तथा तिरुचिरापल्ली में हाई प्रेशर बायलर प्लांट का विस्तार तथा हैदराबाद का हैवी पावर यंत्र कारखाना होगा । इस ऋण के अधीन आयात किये गये पुर्जों में भारत चैकोस्लोवाकिया की वह आवश्यकतायें होंगी जो आपस में स्वीकार कर ली जायें। इसमें तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद तथा रांची के कारखानों की आवश्यकतायें तथा सीमेंट संयंत्र बनाने के लिये वालचन्द नगर उद्योगों की आवश्यकतायें आ जाती हैं ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

*४२. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इसके लिये उन्हें विद्यमान दर से अधिक पैसा देना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) योजना के अन्तर्गत 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, बच्चे तथा माता पिता जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हों तथा उस पर आश्रित हो आते हैं ।

'परिवार' में अन्य लोगों को लाने के प्रश्न की जांच की जा रही है । ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

दामोदर घाटी निगम

*४३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ में पूरी उतनी सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था जितनी कि दामोदर घाटी निगम की योजना में परिकल्पित थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्मित क्षमता का १९६३-६४ की खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिये पूरी-पूरी तरह उपयोग किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दामोदर घाटी निगम के द्वारा खरीफ की ९,७३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और इसके लिये पानी उपलब्ध है । पानी के लिये नालियां खरीफ में लगभग ७,१५,००० एकड़ में सिंचाई के लिए बना दी गई हैं । रबी की फसल के लिये लगभग ५५,००० एकड़ में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है ।

पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार १९६३-६४ में खरीफ में लगभग ६,३३,००० एकड़ की तथा रबी में ३६,००० एकड़ की सिंचाई हुई थी [खरीफ में सिंचाई उतने एकड़ में नही हुई थी क्योंकि कुछ विस्तार तथा सुधार काम नहीं हुए थे तथा पानी

की नालियां नहीं बनाई गई थीं जिनकी जिम्मेदारी दामोदर घाटी निगम पर थी तथा क्षेत्रीय नालियां नहीं बनी थीं जिनकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा काम पूरा होने में विलम्ब अंशतः ऊपर बताये गये कारणों से हुआ तथा अंशतः बांध तथा सिंचाई की नहरों के निर्माण के काम को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित करने के कारण हुआ ।

रबी की सिंचाई में कमी क्षेत्र में रबी की खेती का विकास न करने के कारण से हुई ।

पश्चिम बंगाल सरकार को बांध तथा सिंचाई नहरों का काम स्थायी रूप से हस्तांतरित कर दिये जाने के कारण यह आशा है कि सिंचाई की पूरी क्षमता का उपयोग करने में आने वाली सभी बाधाएं हटा दी जायेंगी ।

इस्पात कारखाने

*४४. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री मोहसिन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामपुरे :
श्री रा० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ-हासपेट तथा बेलाडिला-विशाखापटनम् क्षेत्रों में इस्पात कारखानों की स्थापना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): गोआहासपेट तथा बेलाडिला-विशाखापटनम क्षेत्रों में इस्पात कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में 'सम्भाव्यता प्रतिवेदन' प्राप्त हो गये हैं। एक तकनीकी समिति की स्थापना कर दी गई है ताकि वह इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करके अर्थक्षमता की दृष्टि से स्थानों की सिफारिश करे । आशा है कि इस समिति का प्रतिवेदन जून १९६४ के अन्त तक आ जायेगा ।

सरकारी उपक्रम

*४५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि सरकारी उपक्रमों में जरूरत से कहीं ज्यादा कर्मचारी हैं तथा सुख साधनों और अनावश्यक वस्तुओं में बड़ा अपव्यय होता है ; और

(ख) इनमें कुल कितनी बचत की जा सकती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख) प्राक्कलन समिति ने सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों सम्बन्धी नीति से सम्बन्धित अपने ५२वें और ५०वें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक सभा) में, इन बातों की ओर निर्देश किया है और विभिन्न सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों में उनका परीक्षण किया जा रहा है। इस अवस्था पर यह कहना सम्भव नहीं है कि कितनी बचत का अनुमान है।

Special Aid Fund for Developing Countries

*46. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :
Shri P. K. Deo :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri N. P. Yadab :
Shrimati Akkamma Devi :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) the progress made with regard to the proposal put forth by UK. and Sweden at Geneva in the United Nations World Trade and Development Conference for setting up a special Aid Fund for developing countries ;

(b) whether similar proposals were put forth by certain other nations also and if so, the broad outlines thereof ; and

(c) whether India can participate in it and the nature of co-operation she will have to extend and the benefits that would accrue to thereby ?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). : A number of resolutions have been tabled before and are under the consideration of one of the Main Committees of the Conference. The final outcome of these can only be known after the plenary session of the Conference is resumed. We have ourselves sponsored and supported such a proposal.

'टिस्को' तथा 'इस्को' को ऋण

*४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १० अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'टिस्को' तथा 'इस्को' से ऋण की रकम वापिस लेने के लिये आगे और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इन दोनों समवायों ने ऋण की रकम लौटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) 'टिस्को' और 'इस्को' के प्रतिनिधियों से इन कम्पनियों को दी गई विशेष पेशगियों की अदायगी के बारे में हाल ही में चर्चा हुई थी। यह चर्चा काफी सन्तोषजनक ढंग से चली है और आशा है कि अदायगी के मामले में बहुत शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

नया इस्पात कारखाना

*४८. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: क्या इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बोकारो के अतिरिक्त एक अन्य इस्पात कारखाने की स्थापना की संभावना की खोज में अब तक कोई विशेष सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) नये इस्पात कारखाने के प्रस्ताव का स्थूल आधार और रूपरेखा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). गोआ-हासपेट तथा बैलाडिला विशाखापटनम क्षेत्रों में इस्पात कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में 'सम्भाव्यता अध्ययन' के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। एक तकनीकी समिति की स्थापना कर दी गई है ताकि वह इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करके अर्थक्षमता की दृष्टि से स्थानों की सिफारिश करे। तकनीकी समिति का प्रतिवेदन आ जाने पर सरकार स्थान के बारे में निर्णय कर सकेगी। आशा है कि यह प्रतिवेदन जून, १९६४ के अन्त तक आ जायेगा। परामर्शदाताओं से प्रस्तावित नेवेली सैलम इस्पात संयंत्र के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

दुर्गापुर में 'स्लैग' से सीमेंट तैयार करने का कारखाना

*४९. श्री डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से निकलने वाले स्लैग (धातुमल) को सीमेंट बनाने के काम में लाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का काम कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) इस कारखाने की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग) स्लैग सीमेंट के निर्माण के लिए पहले स्लैग को दानों के रूप में परिणत किया जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पास स्लैग के दाने बनाने का संयंत्र भी लगाया जा रहा है जिसकी वार्षिक क्षमता ३५०,००० मीट्रिक टन होगी। इसमें इतनी मात्रा में ही सीमेंट 'क्लिंकर' मिलाकर दुर्गापुर में ७००,००० टन स्लैग सीमेंट का निर्माण किया जा सकता है। २४३,००० मीट्रिक टन स्लैग सीमेंट के उत्पादन की योजना को लाइसेंस दिया जा चुका है। दुर्गापुर में स्लैग सीमेंट के निर्माण के दो आवेदन पत्र और भी हैं, जिन्हें लाइसेंस देने का मामला विचाराधीन है।

लौह अयस्क का निर्यात

*५०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९७२ तक २ ½ से ३ करोड़ टन लौह अयस्क के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा आन्तरिक मांग को पूरा करने के हेतु विभिन्न विकास कार्यवाहियों को समन्वित करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त अन्तमन्त्रालय बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग

*५१. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहसिन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वी' इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हाल ही में लगी आग की जांच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री जि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मामले पर जांच प्रतिवेदन के आने पर विचार किया जायेगा ।

कच्चे लोहे के कारखाने

*५२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे के आठ कारखानों की स्थापना के लिये हाल में जापानी सहायता का प्रस्ताव आया है ;

(ख) यदि हां, तो कैसी और कितनी सहायता का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) ये कारखाने कहां कहां स्थापित किये जायेंगे तथा प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Next General Elections

*53. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Law be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Election Commission propose to conduct polling during the next General Elections in one day throughout the country ; and

(*b*) if so, whether a final decision has been taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra) : (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

मोटर गाड़ी उद्योग

*५४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) कुशलतापूर्ण और सस्ते उत्पादन के लिए क्षमता संग्रहीत करने के बारे में मोटर गाड़ी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया रही है ;

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्यता की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) इस मामले में मोटरगाड़ी उद्योग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें इस मास के अन्त तक का समय दिया गया है। उनके विचारों का पता चलते ही सरकार इन प्रस्थापनाओं पर विचार करेगी और निर्माताओं के साथ आगे बातचीत करेगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र

*५५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरण प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दाजी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामहरख यादव :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री १ मई, १९६४ को लोक-सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञ भारत पहुंच गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :—

विवरण

बोकारो इस्पात सन्यन्त्र लिमिटेड ने यह सिफारिश की है कि परियोजना का परीक्षण करने के लिए जो तकनीकी समिति की स्थापना की गयी थी उसके द्वारा जो संशोधित रूप परियोजना का प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। सन्यन्त्र के निर्माण के लिए जो सहायता

प्राप्त हो रही है उस बारे में करार में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस बारे में मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी से कुछ करार की अपेक्षा होगी। भूमि अर्जन कर ली गयी है, जांच और सर्वेक्षण का कार्य चालू है। नगर का निर्माण आरम्भ हो गया है।

रूसी विशेषज्ञों की शीघ्र ही आने की आशा है ताकि परियोजना के तकनीकी पहलू पर विस्तार से चर्चा हो सके। परियोजना का प्रतिवेदन तकनीकी छानबीन के लिए रूस भेजा जा रहा है।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद

*५६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में आवश्यकता से कुछ अधिक कर्मचारी हैं और कर्मचारियों का तुलनात्मक अल्प उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या स्थानीय उत्पादिता परिषदों की गतिविधियों और उनके कार्यक्रमों में अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने हाल ही में कुछ विशेष प्रयत्न किये हैं; और

(ग) उत्पादिता सम्बन्धी प्रविधियों का प्रचार करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और हमारी अर्थ व्यवस्था के कृषि क्षेत्र में उनके प्रति कितनी जागरूकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। यद्यपि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की गतिविधि काफी बढ़ गयी है, फिर भी गत पांच वर्षों में परिषद् की विशेषज्ञ कर्मचारियों की संख्या वही रही है। दूसरे विपरीत विशेषज्ञों की सेवाओं की मांग बढ़ जाने से उनकी संख्या में वृद्धि की आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस प्रकार वर्तमान विशेषज्ञों का उपयोग १९६३–६४ में हुआ है वह ९० प्रतिशत तक फैलता है।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने स्थानीय परिषदों से अपने क्षेत्रीय निदेशकों के द्वारा अच्छा तालमेल बनाया हुआ है। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् समय समय पर क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय सम्मेलन भी करती है जिसमें स्थानीय परिषदों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और व्यापक हितों को दृष्टि में रख कर आगामी एकीकृत कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है।

इसी तरह का एक सम्मेलन इस वर्ष जुलाई में होना अनुसूचित है।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को इस बात का पता है कि उत्पादिता तकनीक को कृषि तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में इसका किस ढंग से विस्तार किया जाय इस बारे में सोचा जा रहा है।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की छूट

*५७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित की गई बिक्री-कर सम्बन्धी समिति ने यह सुझाव दिया है है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर की छूट दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

केरल में आम चुनाव

*५८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विधि** मन्त्री १७ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आगामी आम चुनावों को १९६५ में करने के मामले पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) . इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया कि संसद् में इस बारे में कोई विधान प्रस्तुत किया जाये ताकि केरल विधान सभा के कार्यकाल का विस्तार १९६५ तक किया जाये ताकि १९६७ में जब लोक-सभा के चुनाव हों तो केरल विधान सभा के चुनाव भी साथ साथ हो जाय । यदि संविधान के अनुच्छेद १७२ खंड (१) के अन्तर्गत केरल विधान सभा के कार्यकाल का विस्तार न किया गया तो केरल विधान सभा के चुनाव १९६५ में ही करने होंगे । मामला अभी विचाराधीन है ।

चाय का निर्यात

*५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में चाय के निर्यात में कमी आ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन किन देशों को ; और

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) और (ख) . १९६२–६३ के मुकाबले में यह निर्यात ११५ लाख किलोग्राम कम हुआ । ह्रास होने वाला निर्यात इन देशों को होता था अर्थात् इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, ईरान, तुर्की, सूडान, अमेरिका और आस्ट्रेलिया ।

(ग) १९६२ और १९६३ में मौसम की खराबी के कारण उत्पादन कम हुआ और भारत में चाय कम उपलब्ध हुई । इसके अतिरिक्त १०–१२ दिन जनवरी १९६४ में चाय का नीलाम और निर्यात बन्द रहा क्योंकि कुछ दंगे इत्यादि हो गये थे । इससे हमें १० से १२ करोड़ रुपये के चाय निर्यात का घाटा रहा ।

ऐल्यूमिनियम परियोजनायें

*६०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धान्त रूप में यह निर्णय कर लिया गया है कि भावी ऐल्यूमीनियम परियोजनायें सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे माल का आयात

*६१. **श्री प्र० रं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चिन्द्र सेठ :

क्या **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुदालियर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में निर्माताओं और निर्यातकों को उनके लिये आवश्यक कच्चे माल, और फालतू पुर्जों आदि का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी और सुविधायें देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव वस्तुत: क्या है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख): मुदालियर तथा मथरानी समितियों की सिफारिशों के अनुसार एक योजना का प्रादुर्भाव किया जा रहा है जिसके अनुसार निर्यात करने वालों को कच्चे माल का आयात करने की सुविधायें प्राप्त होंगी। वे पुर्जे इत्यादि मंगवा सकेंगे। इस योजना की रूप रेखा का विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत व्यापारिक विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के इस आश्वासन पर कर्जा मिलेगा कि वे यह अपेक्षित विदेशी मुद्रा की अदायगी निश्चित तिथि के अन्तर्गत कर देंगे। इसके अनुसार मान्य निर्यातक बैंक की सिफारिश पर संघ सरकार द्वारा स्थापित समिति द्वारा स्वीकृत होने पर कच्चे माल, अर्थात् पुर्जों इत्यादि का आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।

(२) निर्यातकों को यह भी करार करना होगा कि विशेष वस्तुओं का निर्धारित अवधि में निर्यात कर देंगे। कच्चे माल/पुर्जों के आयात का लाइसेंस उतनी ही राशि का दिया जायेगा जितनी कि निर्यात प्रोत्साहन समिति की योजना के अन्तर्गत अनुमति होगी और जितनी राशि की कच्चे माल की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये ज़रूरत होगी।

(३) जब कोई निर्यातक अपने अतिरिक्त निर्यात के दायित्व को पूरा नहीं कर सकता, तो उतनी ही राशि की विदेशी मुद्रा उसके नाम लिख दी जायेगी। यह कार्यवाही योजना के अन्तगत अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगी।

(४) विशेष प्रकार के निर्माताओं को यह सुविधा दी जायेगी जो कि निर्यात करते हैं। आरम्भ में इंजीनियरिंग तथा रसायन निर्यात संवर्धन परिषदों के अन्तर्गत आने वाली अपरम्परागत निर्यात वस्तुओं के निर्माता/निर्यातकों के आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।

(५) अन्तर्मन्त्रालय समिति आवेदन पत्रों की छानबीन करेगी और इस बारे में उनके निर्णय अन्तिम होंगे निर्यातक को इस बात की गारण्टी देनी होगी कि वह इस योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजना के लिये स्वीकृत बैंक के माध्यम से ही हुंडी, पुर्जे आदि भेजेगा।

निर्यात ऋण गारण्टी निगम इस प्रयोजन के लिये एजेन्सी का काम करेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

*७१. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के सम्मेलन के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामूहिक निष्क्रमण में कोई कमी नहीं हुई है और उन्हें पहले की ही तरह सीमा चौकियों पर पाकिस्तानी पुलिस तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). जी हां, यह खेद की बात है कि भारत में पूर्वी पाकिस्तान से बराबर अल्पसंख्यक आ रहे हैं और उन्हें अब भी रास्ते में काफी परेशान किया जा रहा है । हम निरन्तर पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि उसे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए और पाकिस्तान से आने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन

*७२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दक्षिण रोडेशिया की अल्पसंख्यक सरकार के प्रधान मंत्री श्री इयान स्मिथ, को निमंत्रण देने का ब्रिटिश प्रधान मंत्री से विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की आपत्ति क्या हैं; और

(ग) क्या ब्रिटिश प्रधान मंत्री से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। फिर भी ब्रिटिश प्रधान मंत्री के पत्र के उत्तर में, जिसमें उत्तरी रोडेशिया के प्रधान मंत्री को निमंत्रण दिये जाने के बारे में भारत सरकार के विचार जाने गये थे, प्रधान मंत्री ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया था कि हम इस प्रकार के निमंत्रण दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं ।

(ख) राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलनों में केवल राष्ट्रमंडली के स्वतंत्र देशों के शासन प्रमुख ही भाग लेते हैं । दक्षिण रोडेशिया स्वतंत्र देश नहीं है । अतः उसके प्रधान मंत्री उसमें भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं । इसके साथ ही उस सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने भी हमारे लिये यह कठिन बना दिया है कि हम इस शर्त को नर्म करने के प्रश्न पर विचार करें ।

(ग) जी, हां ।

नागालैंड में शान्ति वार्ता

*७३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री साधू राम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नागालैंड में शांति स्थापित करने में रेवरेंड माइकल स्काट, श्री जयप्रकाश नारायण तथा आसाम के मुख्य मंत्री को मिला कर बनाये गये शांति दल को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): विद्रोहियों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें पेश की गई हैं जो कि अभी विचाराधीन हैं। जब तक इन शर्तों के बारे में कोई अन्तिम फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक यह कहना मुश्किल है कि शांति मिशन कहां तक सफल हुआ है।

विदेशों से सैनिक सहायता

*७४. श्री हेडा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक सहायता के लिये सरकार ने अमरीका, रूस तथा अन्य देशों के साथ बातचीत पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित लक्ष्यों में अभी भी कोई कमी रह गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये आयुध कारखाने

*७५. श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री धवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की प्रतिरक्षा क्षमता को बदलने के लिये छः नये आयुध कारखाने खोलने की योजना बनाई है;

(ख) क्या इसके लिए अपेक्षित विदेशी सहायता तथा सहयोग की व्यवस्था कर ली गई है और यदि हां, तो किन-किन देशों से;

(ग) प्रत्येक नये कारखाने पर कितनी लागत आयेगी तथा उन में कैसी चीजें तैयार की जायेंगी; और

(घ) क्या इन कारखानों के लिये स्थान चुन लिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, चार आयुध कारखानों के स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और कार्य आरम्भ हो गया है । बाकी दो अन्य कारखानों की स्थापना का मामला विचाराधीन है ।

(ख) इसमें किसी विदेशी सहयोग का कोई विचार नहीं है, परन्तु दो कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है । छोटे शस्त्रों के वरनगांव कारखाने के लिए अमरीका से और चंदा फिलिंग फैक्टरी के लिए इग्लैंड से सहायता प्राप्त हो रही है ।

(ग) वरनगांव में छोटे शस्त्रों के लिए गोली इत्यादि तैयार करने की योजना है । अम्बाजारी में तोपों के लिए मोर्टर और शैल तैयार करने की योजना है । अम्बाजारी में जो कुछ तैयार होता है उसको भरने (फिलिंग) के लिए भी चन्दा में सुविधायें दी जा रही हैं । तिरचुरापल्ली में छोटे शस्त्रों के निर्माण की योजना है । विस्फोटक पदार्थ आदि तैयार करने वाले शेष दो कारखानों की स्थापना भी विचाराधीन है । इन सब कारखानों की स्थापना करने पर कुल १६० करोड़ के लगभग खर्च आने की सम्भावना है । प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग कितना व्यय होगा यह बताना जनहित में नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

गोआ

*७६. **श्री यॅ० वेंकटासुब्बया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के प्रशासन को वदेशिक-कार्य मंत्रालय से गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर देने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ?

वंदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अफ्रीकी देशों को भारतीय शिष्टमण्डल

*७७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशियाई देशों और उत्तरी अफ्रीका में हाल ही में भारतीय सद्भावना शिष्टमण्डल भेजे गये थे;

(ख) उनके दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) इन शिष्ट मण्डलों के सदस्य कौन-कौन थे तथा उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(घ) उनके प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वंदशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गैर-सरकारी सद्भावना शिष्टमण्डल ने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के निम्नलिखित देशों का दौरा किया ताकि इन देशों के लोगों और नेताओं से मिल कर भारत के बारे में उन्हें सही जानकारी दी जाये विशेष रूप में काश्मीर तथा चीनी आक्रमण के बारे में।

(२) शिष्टमंडलों में निम्नलिखित लोग सम्मिलित थे :—

शिष्टमंडल संख्या (१)

सदस्य	स्थान जहां गये
१. कर्नल जैदी, संसद्-सदस्य	अदन, जद्दा, मोगाडिसू
२. प्रोफसर बोखारी	खारतूम, त्रिपोली
३. मौलाना सयद अब्दुल्ला बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद	दमिश्क, बगदाद और अम्मान
४. श्री नजीर हुसैन—शिष्टमंडल के सचिव	

शिष्टमंडल संख्या. (२)

१. श्री सादिक अली, संसद्-सदस्य
२. श्री एस० ए० मेहदी, संसद्-सदस्य
३ श्री इमानुल्ला अन्सारी, सम्पादक "कौमी आवाज"
४. श्री एच० सैम्युल, भूतपूर्व संसद्-सदस्य
५. श्री अकबराबादी डीन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय

ट्यूनिस, अल्जियर्स, राबत, लेगास, बैरूत और काहिरा

(३) अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी।

सूती वस्त्र उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

*७८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती वस्त्र उद्योग के लिये दूसरे मजूरी बोर्ड के कब नियुक्त किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या बोर्ड के गठन और निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) निकट भविष्य में।

(ख) और (ग). निर्देश पदों तथा गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पत्तन और गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड

७९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी श्रमिकों के प्रस्तावित मजूरी बोर्ड के गठन और निदश-पदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) क्या बोर्ड के कार्य क्षेत्र में सभी पत्तनन्यासों पत्तन-प्रशासकों और नौभरकों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी, तथा गोदी श्रमिक बोर्डों द्वारा सीधे ही नियुक्त किये गये कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) पत्तन और गोदी श्रमिकों के मजदूरी बोर्ड के गठन और निर्देश पद सम्बन्धी प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं। इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाने वाला है।

आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज चलनेवाले विमानों के निर्माण के लिए अमरीकी सहयोग

*८०. श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री धवन :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री शिंकरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मे आवाज की रफ्तार से भी अधिक तेज़ चलने वाले (सुपरसोनिक) जेट लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिये अमरीकी सरकार के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा तथा उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अखबारी कागज

*८१. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज की अपनी नीति के सम्बन्ध में एक व्यापक योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उसके कब घोषित किये जाने की सभावना है ?

संसद् कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) अखबारी कागज सम्बन्धी नीति के बारे में व्यापक योजना के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग) योजना को अन्तिम रूप देते ही उसकी घोषणा कर दी जायेगी।

प्रतिरक्षा योजना

*८२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों मे देश की प्रतिरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने के लिये प्रतिरक्षा योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत ८,२५,००० की सेना का निर्माण करने और अस्त्र शस्त्रों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था है। ४५ स्क्वैड्रन्स पर वायु सेना को मजबूत किया जाना है और वायु सेना के लिए आधुनिक विमानों की व्यवस्था करनी है। संचार साधनों और हवाई अड्डों की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत है। नौवहन की शक्ति भी बढ़ाई जानी है और पुराने जहाजों को हटा कर नये जहाजों की व्यवस्था करनी है जिनका कि निर्माण देश में ही हो रहा है। उत्पादन की वृद्धि भी देश में ही की जानी है ताकि कई मामलों मे सेनाओं को विदेशों पर आश्रित न रहना पड़े। सीमाओं पर संचार व्यवस्था और अनुसन्धान विकास संस्था का विस्तार करना है। इस योजना के बारे में और अधिक विस्तार मे बताना जनहित में नहीं है।

पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त का शिलांग स्थित कार्यालय

*८३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के शिलांग स्थित कार्यालय को बन्द करने के प्रश्न पर आगे विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां।

(ख) पक्का निर्णय होने पर सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय की नृशंस हत्या

*८४ श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, ६ मई, १९६४ को,जम्मू मे पिंडीचरकान के निकट कुल्हाड़ों और भालों से लैस चार पाकिस्तानियों ने एक ग्रामीण की बोटी बोटी करके मार डाला ;

(ख) क्या ये पाकिस्तानी जाते समय अपने साथ कुछ पशु भी ले गये ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध मे कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) ८, ९ मई, १९६४ की रात को पिंडीचरकान कलां गांव, जो कि जंम्मू जिले में है, के एक निवासी पर भाले से हमला करके चार अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्तियों ने उसे उसके घर मे मार डाला। अभियुक्त अपने साथ मृतक का एक बैल भी ले गये। इन अवैध लोगों की अभी तक पहिचान नहीं की जा सकी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा पर होने वाली घटनायें

*८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी और मार्च, १९६४ मे हुई कथित 'अति गम्भीर प्रकार की'तीन घटनाओं में काश्मीर की युद्ध विराम रेखा के साथ के क्षेत्र के निवासियों की जन धन की 'हानि' के विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत को विरोध पत्र भेजा है और उसके लिए प्रतिकार का दावा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन घटनाओं की ओर दिर्देश किया गया है उनके तथ्य क्या हैं और पाकिस्तान क मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान ने जो आरोप लगाये हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक

*८६. श्री हेडा :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री नवल प्रभाकर :
श्री शिकरे :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री श्रीकान्तन नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर स्थित संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षकों द्वारा राजनीतिक दलों से ज्ञापन पत्रों के स्वीकार किये जाने और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजने का आश्वासन दिये जाने की ओर सरकार ने कोई ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यकलापों को निष्फल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) मुख्य प्रेक्षक का ध्यान इस बात की ओर दिला दिया गया है, कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का कार्यकलाप उनके कर्तव्यों के चार्टर से संगत नहीं है ।

टेलिविजन

*८७. श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प० वेंकटासुब्बया :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
डा० प० श्रीनिवासन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना काल के दौरान देश में टेलिविजन केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा वे किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई मे सीमित सुविधाओं के साथ एक टेलिविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । देश के विभिन्न भागों से टेलिविज़न केन्द्र स्थापित करने के लिए समय समय पर प्रस्थापनायें आई हैं और वे सब सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारतीय वायु सेना के लिए एच० एफ०--२४ विमान

*८८. श्री राममेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बृजराज सिंह--कोटा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर ने भारतीय वायु सेना को कुछ एच० एफ--२४ 'सुपर सोनिक' लड़ाकू विमान दिये हैं ;

(ख) क्या वायु सेना को इन विमानों के दिये जाने के पूर्व इस प्रकार के विमान के कोई परीक्षण किये गये थे ;

(ग) ये परीक्षण कहां तक सफल सिद्ध हुए; और

(घ) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर की इस प्रकार के विमानों की वार्षिक निर्माण क्षमता कितनी होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग). मार्क १ के दो एच० एफ०--२४ विमान भारतीय वायु सेना को १०-५-१९६४ को दिये गये थे। निरीक्षण प्राधिकार द्वारा इन विमानों का पूर्ण रूप से परीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र दे दिया गया है।

(घ) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या

*८९. श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री हेडा :

क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक ४ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९३ और १३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के प्रधान मन्त्री की हत्या के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अपराध में चीनियों का हाथ होने की बात पक्की हो गई है; और

(ग) जांच के यदि कोई अन्य निष्कर्ष निकले हैं तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) भूटान के प्रधान मन्त्री की हत्या भूटान के क्षेत्र मे हुई। भूटान के प्राधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पूरा हो गया है।

(ख) यह पता चला है कि सुनवाई अदालत का यह मत है कि प्रधान मन्त्री की हत्या की साजिश उनका आन्तरिक मामला है और इसके लिए केवल अभियुक्त ही उत्तरदायी है।

(ग) किसी अन्य निष्कर्ष के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है।

लाओस में स्थिति

*६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस में चल रही वर्तमान स्थिति की ओर भारत सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लाओस में हो रहे हाल की घटनाओं से, जिससे लाओस की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, भारत सरकार बहुत चिन्तित । सरकार लाओस में उत्पन्न समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के बारे मे बहुत सी अन्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है।

D.V.C.

52. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Central Government have recently decided to grant some assistance to Damodar Valley Corporation ;

(*b*) if so, the quantum thereof ; and

(*c*) the items for which it would be given ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (*a*) No.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

विद्युत परियोजनाएं

५३. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विद्युत् परियोजनाओं के संचालन के लिये प्रादेशिक अभिकरण स्थापित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य विद्युत् बोर्डों का क्या भविष्य है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले के परिवहन की समस्या

५४. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री श्रवन :

क्या **वित्त** मंत्री ६ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१३ के उत्तर के सम्बन्ध, में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने सरकार को कोयले के परिवहन की समस्या के बारे में कोई अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन-स्तर में वृद्धि

५५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन-स्तर बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या केन्द्र ने इस बारे में राज्य सरकारों से कोई सुझाव आमंत्रित किए हैं ; और

(घ) यदि हां, अभी तक कितने राज्यों ने अपने सुझाव भेजे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) इस समय ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

TRANSISTER HEART

56. **Shri Onkar Lal Berwa :**
ShriGokaran Prasa :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an Engineer Y. George Pardobaski of Pojuan Municipal Hospital in Poland has invented a transister heart which miraculously cures the diseased hearts ;

(*b*) whether Government of India held any negotiations with the Government of Poland regarding this machine ; and

(*c*) if so, the result thereof ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (*a*) The Government of India have no information in the matter.

(*b*) *and* (*c*). Dp not arise.

OIL STIMULANT REJUVENATOR

57. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an oil stimulant discovered by an Azerbaijan scientist can rejuvenate the old people and its efficiency has been proved by the preliminary tests made on two aged Russians ;

(*b*) if so, whether Government contemplate importing this Oil and using it in India; and

(*c*) if so, by when ?

The Minister of Health Dr. Sushila Nayar:(*a*) to(*c*)The Government of India have seen a press report published in the New Delhi edition of the Statesman dated the 6th April, 1964, that an Azerbaijan Academician has discovered a substance which could be the answer to longivity and rejuvenation. A reply is awaited from our Embassy in Moscow who have been asked to obtain full information.

Milk Powder from U.S.A.

58. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that U. S. A. has decided to supply milk powder for the displaced persons coming from Pakistan ; and

(*b*) if so, the quantity of milk powder to be supplied to India and when it would be supplied ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (*a*) *and* (*b*)· The Uniatd States Agency for International Development have agreed to make available 2·25 million pounds of milk powder for distribution among the refugees from East Pakistan in camps and the displaced members of the minority community in India. For meeting immediate initial requirements, they made available, in April, 1964, one million pounds of milk powder from CARE stocks in Bombay. Arrangements are being made by them to ship the remaining quantity from U.S.A.

टिकरपाडा बांध परियोजना

५९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से टिकरपाड़ा परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) इस में कितने क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है और इस पर क्या लागत आयेगी ; और

(ग) इस परियोजना से क्या लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ६,४९,००० एकड़ भूमि जलमग्न होगी जिसमें से ३९७,००० एकड़ भूमि खेती योग्य भूमि है । टिकरपाड़ा बांध की लपेट में १२०० गांवों के अतिरिक्त आठ मालिक, बौध और सोनपुर कस्बे भी आ जायेंगे । अर्जन और क्षतिपूर्ति के लिये परियोजना के लिये प्राक्कलित लागत पर ५७.६२ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । इस में

सड़कों, राजमार्गों और सार्वजनिक उपयोगिता के स्थान की व्यवस्था भी शामिल है । इस जल-विद्युत् परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत २१०.५१ करोड़ रुपये है जिसमें उक्त राशि भी शामिल है ।

(ग) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना में ६० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से १४ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी । इसमें + ४४१ फुट पर एम० डब्ल्यू० एल० और + ४२५ फुट की ऊंचाई के बीच ८७ लाख एकड़ फुट के "सरचार्ज स्टोरेज" से बाढ़ नियंत्रण की भी व्यवस्था है ।

माता टीला बांध

६०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में माताटीला बांध और बिजलीघर को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : माताटीला बांध तैयार हो गया है और द्वार भी बन गये हैं । माताटीला बिजली घर के बारे में निम्नलिखित प्रगति हुई है :

इस केन्द्र के लिये लगभग ९० प्रतिशत संयंत्र और उपकरण प्राप्त हो चुके हैं । यूनिट संख्या १ के लिये स्पीड रिंग और स्पाइरल केसिंग लगा दिये गये हैं, जोड़ दिये गये हैं और उन्हें समतल बना दिया गया है । इस महीने के अन्त तक ये कंक्रीट डालने के लिये तैयार हो जायेंगे ।

यूनिट संख्या २ में स्पीड रिंग और स्पाइरल केसिंग का लगाया जाना प्रगति पर है ।

यूनिट संख्या ३ के लिए लाइनें भर दी गई हैं । बिजली घर की क्रेन लगाई जा रही है ।

यूनिट संख्या १ और ३ के लिये पेनस्टाक बिछा दिये गये हैं और दूसरे यूनिट में काम जारी है । पेनस्टाकों के चारों ओर के जोड़ों को जोड़ा जा रहा है । 'इनटेक' द्वारों के लिये 'गाइड' बनाये जा रहे हैं ।

उप-स्टेशन की नींव धरने का काम जारी है ।

१०,००० किलोवाट के पहले यूनिट के दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है और बाकी दस-दस हजार किलो वाट के दो यूनिट वर्ष १९६५ के मध्य तक चालू हो सकेंगे ।

दण्डकारण्य में महामारी

६१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य शिविरों में महामारी फैली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुर्दे का फिर से लगाया जाना

६२. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना में डाक्टर मृत्यु के फौरन बाद एक मृत शरीर से गुर्दा निकाल कर एक महिला के, जिसके दोनों गुर्दे खराब हो गये थे, लगाने में सफल हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य अस्पतालों में इस प्रकार पुनः गुर्दे लगाने की व्यवस्था की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) लुधियाना के सिविल सर्जन ने बताया है कि उस मरीज की गुर्दा लगाये जाने के ८ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी ।

(ख) इस प्रकार के आपरेशन के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गई है और न की जा सकती है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में औजारों का गायब होना

६३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में चीरा-फाड़ी के औजारों/उपकरणों के खोये जाने के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जांच के बाद पुलिस ने मामला पता नहीं लगने के कारण फाइल कर दिया ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

६४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कोई गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिस में गोष्ठी में की गई मुख्य सिफारिशें की गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २९०३/६४]**

लेखापालन प्रणाली

६५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान लेखापालन प्रणाली में वाणिज्यिक संगठन के तरीके पर परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब से लागू की जायेगी ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई समिति बनाई गई थी और यदि हां, तो इस की सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) जी, नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में पौष्टिक भोजन

६६. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पौष्टिक भोजन की समस्या का अध्ययन करने के लिये हाल में ही एक ब्रिटिश दल ने भारत का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल को भारत सरकार ने निमंत्रित किया था या किसी अन्य अभिकरण ने ;

(ग) क्या वे भारत के सभी भागों का दौरा करेंगे ; और

(घ) यह दल इस समस्या का कब तक अध्ययन करेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जीवन बीमा निगम का व्यापार

६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के पहले पांच महीनों में पहले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा जीवन बीमा व्यापार कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इ सके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

अकबर होटल

६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बनाये जाने वाले अकबर होटल का नमूना तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा और इस को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण, और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । इन को अगले महीने पंजूरी के लिये वित्त मंत्रालय के पास भेजा जायेगा ।

(ख) मंजूरी मिलने के बाद ही यह कार्यक्रम बनाया जा सकता है ।

रामचन्द्र भंज मेडिकल कालिज अस्पताल, कटक

६९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६३-६४ में रामचन्द्र भंज मेडिकल अस्पताल, कटक (उड़ीसा) के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान अथवा ऋण दिया गया है; और

(ख) वर्ष १९६४-६५ में इस अस्पताल को इस ही प्रयोजन के लिये कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया है अथवा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) १९६३-६४ के दौरान इस प्रकार का कोई अनुदान अथवा ऋण नहीं दिया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना

७०. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जानकारी एकत्र कर ली गई है कि केरल में इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप कितने परिवारों को उन के स्थान से हटाया जायेगा;

(ख) क्या क्षतिपूर्ति दिये जाने के तरीके के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) अभी तक केरल सरकार द्वारा सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य समाप्त नहीं हुआ है। उन के प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग २२०० परिवारों को हटाया जायेगा ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

७१. **श्री मलाइछामी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के बाहर लाइन में खड़े हो कर आप की परीक्षा और उपचार पाने के लिये प्रतीक्षा करने वाले रोगियों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के विभिन्न विभागों में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। फिर भी, डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

७२. **श्री मलाइछामी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू करने के लिये राज्य सरकारों ने केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से प्रार्थनायें मिली हैं । मामला विचाराधीन है ।

मद्रास में गन्दी बस्तियां

७३. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तु गोण्डर :

क्या **निर्माण तथा आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में गन्दी बस्तियां समाप्त करने के बारे में मद्रास राज्य से कोई प्रस्ताव आया है; और

(ख) क्या केन्द्र ने इस कार्य के लिये मद्रास निगम को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में गन्दी बस्तियां हटाने की परियोजनाओं को स्वयं स्वीकार कर सकती हैं और केन्द्रीय सरकार मिली वित्तीय सहायता को अपने स्थानीय निकायों में बांट सकती हैं।

उड़ीसा में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

७४. **श्री मोहन नायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत् की मध्यम योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी रकम आवंटित की गई है; और

(ख) आवंटन किन योजनाओं के लिए किया गया है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

योजना का नाम	तीसरी योजना में उपबन्ध (लाख रु०)
सिंचाई की मध्यम योजना में	
चालू योजनायें	
१. सलिया सिंचाई परियोजना	५७.२८
२. सलरी सिंचाई परियोजना	१७.९१
३. मुदिमुदियानी परियोजना	२६.४७
४. गोदाहाडो सिंचाई परियोजना	२९.४१
५. धनाई सिंचाई परियोजना	२०.४८
६. दरजंग सिंचाई परियोजना	८८.१८
नई योजना	
*७. पीपल पका परियोजना	६०.००
*८. सियारा सिंचाई परियोजना	
९. बहूदा प्रक्रम १	
१०. एच० एल० नहर रेंज २ का पुनर्निर्माण	
११. हीरा धरवती	
योग	**२९९.७३
विद्युत् योजनायें	
जारी योजनायें	
१. हीराकुड प्रक्रम २	५१६.८६
२. दुदुमा प्रेषण योजना	८५.००
३. हीराकुंड विद्युत प्रयोगीकरण योजना	३९.००
नई योजनायें	
४. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	२२४.००
५. ला हैड टरबाइन्स का लगाया जाना	१०.००
६. बाली मेला / अपर सिलेरू जल विद्युत परियोजना (प्रक्रम २)	१४५०.००
७. प्रेषण और वितरण	५१८.००
८. तलचर तापीय स्टेशन	२६८२.४९
योग	**५५२५.३५

*राज्य सरकार का विचार पीपल पश और सियारा परियोजनाओं के बदले जोरोहर भंगी और पीतमहल परियोजनायें बनाने का है क्योंकि ये परियोजनायें भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के बाद छोड़ दी गयी हैं। इन दोनों योजनाओं को अभी तक तकनीकी सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है और इस कारण इन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया है।

**सिंचाई और विद्युत योजनाओं की जांच-पड़ताल के लिए योजना में क्रमानुसार ५.८४ लाख रु० और ७० लाख रु० की और व्यवस्था की गयी है।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

७५. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुमान लगा लिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष काल के लिए कितनी विदेशी म ा की आवश्यकता होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे कैसे पूरा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) निर्यात से होने वाली और हमारी विदेशों को दिये गये वचनों को ध्यान में रख कर चालू वर्ष, १९६४–६५ के लिए शेष आवश्यकता के बारे में इण्डिया कन्सोर्टियम को बता दिया गया है । आशा है कि कन्सोर्टियम से हमें मिलने वाली सहायता के बारे में जल्दी पता लग जायेगा । १९६५–६६ के लिए आवश्यकताओं का अनुमान इस वर्ष बाद में किया जायेगा और यथासमय वह कन्सोर्टियम को बता दी जायेगी ?

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता

७६. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में किन देशों को सहायता दी है और क्या सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): भारत ने पिछले तीन वर्षों में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता दी है । यह सहायता भारत में तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधायें दे कर या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा में दे कर दी गई है । यह सहायता अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, भूटान, बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मालद्वीप द्वीपसमूह, नैपाल, फिलिपाइन, कोरिया, थाइलैंड और वियटनाम को दी गई है । इस के अतिरिक्त, नैपाल को पूंजीगत सहायता दी गई है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था

७७. **श्री राम हरख यादव** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने सुप्रसिद्ध चिकित्सक, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय डा० विधान चन्द्र राय के सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार देने की व्यवस्था करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । स्वर्गीय डा० विधान चन्द्र राय के सम्मान मे राष्ट्रीय पुरस्कार देने की भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के प्रस्ताव की सरकार को जानकारी है ।

(ख) पुरस्कार का मूल उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता को मान्यता देना तथा पुरस्कृत करना है। पुरस्कार की मोटी मोटी बातें ये हैं :

(१) भारतीय चिकित्सा परिषद् के तत्वाधान में प्रति वर्ष एक भाषण हुआ करेगा।

(२) राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय चिकित्सक-व-राजनीतिज्ञ को पुरस्कार दिया जायेगा जिसका नाम होगा 'भारतीय चिकित्सा परिषद—डा० विधान चन्द्र राय राष्ट्रीय पुरस्कार।'

(३) विज्ञान, राजनीतिज्ञता, साहित्य दर्शन और कला जैसे अन्य क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को पुरस्कार देना।

(४) वार्षिक सोवेनर निकालना।

चिकित्सा कालेजों मे सुपात्र अनुसन्धान परियोजनाओं के लिये सहायता देने, स्नतकोत्तर. चिकित्सा छात्रवृत्ति देने और चिकित्सा अध्यापकों को प्रोत्साहन देने और उन की योग्यता को एवं चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता को मान्यता देने का भी विचार है। सामाजिक-चिकित्सा सहायता के क्षेत्र में और चिकित्सा संगठनों तथा चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना में सर्वश्रेष्ठ सेवाओं को भी पुरस्कार मे मान्यता दी जायेगी।

दुर्गापुर परियोजना का विद्युत् संयंत्र

७८. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर परियोजना के विद्युत संयंत्र के तीसरे यूनिट ने ८ मई १९६४ से वाणिज्यिक आधार पर बिजली बनाना आरम्भ कर दिया है;

(ख) इस यूनिट की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इस यूनिट से कलकत्ता नगर को और कितनी बिजली दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। लेकिन बायलर संयंत्र मे छोटी सी गड़बड़ होने के कारण १८-५-६४ से तीसरा यूनिट अस्थायी आधार पर बन्द कर दिया गया है। आशा है कि जून १९६४ के पहले सप्ताह में यह यूनिट फिर से चालू हो जायेगा।

(ख) ७५ मेगावाट।

(ग) ३५ मेगावाट।

आसाम में बाढ़

७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में मई, १९६४ के पहले सप्ताह में राज्य से निरन्तर वर्षा होने के कारण नदियों में बाढ़ आ गई है;

(ख) अब तक कितनी जमीन पानी में डूब गई है ; और

(ग) अब तक (१) जान (२) जानवर (३) फसलें और (४) माल का कितना नुकसान हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मई, १९६४ के पहले सप्ताह से आसाम में केवल थोड़ी बाढ़ आने के समाचार मिले हैं ।

(ख) और (ग). जमीन में पानी भरने, जान, माल, जानवरों और फसल को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

Medical Examination for Government Servants

80. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that applicants selected for appointment to Government posts have to wait for months for medical examination in Willingdon and Irwin Hospitals in New Delhi ;

(b) the number of such applicants who have been waiting for more than a month for medical examination during 1964 so far ; and

(c) the delay in the work and the action Government are taking to eliminate it ?

TheMinister of Health (Dr. Sushila Nayar):(a)and(b). There has been no delay in the examination of non-gazetted personnel. In the case of gazetted officers, however, 19 candidates are in the waiting list for over a month in the Willingdon Hospital.

(c) A large number of candidates were required to be examined for various gazetted appointments. The Medical Board is taking steps to complete the medical examination quickly.

तुंगभद्रा परियोजना

८१. **श्री पं० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना का एक गोताखोर दल पानी में काम करने में तुंगभद्रा परियोजना की सहायता करने के लिए जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह गोताखोर दल क्या काम करेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरे पेनस्टाक पाइप के लिए द्वार की गाइड रेलों को मिलाने के लिये पानी में काटना और उनका वेल्डिंग करना ताकि द्वार आसानी से निकाला तथा डाला जा सके ।

सहायता महानिदेशालय

८३. श्री प्र० च० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के अधीन एक सहायता महानिदेशालय खोजने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का गठन और संक्षिप्त कार्य क्या होगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) संस्था के अध्यक्ष सहायता महानिदेशक होंगे। महानिदेशालय की स्थापना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही निश्चित कर दिया जायेगा।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों को सहायता देने की समस्याओं को हल करने के लिए महानिदेशालय मंत्रालय की मुख्य प्रशासी व्यवस्था होगी। यह केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों की अनेक कार्यवाहियों की, जैसे प्रव्रजकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने, नये शिविर बनाने, शिविरों में अनेक सुविधायें देने और उन्हें लाभदायिक काम देने की देखभाल और समन्वय करेगा। समय समय पर आवश्यक समझे गये काम भी इसे सौंपे जायेंगे।

राजशाही के शरणार्थी

८४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६४ के बाद पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही तथा उस से मिले हुए जिलों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के बारे में सरकार को पश्चिमी बंगाल की सरकार से या अन्य किसी साधन से समाचार मिले हैं; और

(ख) क्या आने वाले शरणार्थियों को तत्काल सहायता देने के लिये मुर्शिदाबाद, मालदाह, पश्चिमी दीनापुर, जलपाइगुडी और कूच बिहार जिलों में सीमा पर कोई नियमित स्वागत केन्द्र बनाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार जनवरी, १९६४ के बाद पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ५२,००० व्यक्ति आये हैं।

(ख) इन जिलों में कोई नियमित स्वागत केन्द्र नहीं खोले गये हैं। परन्तु चौकियों से हो कर आने वाले जरूरतमन्द प्रव्रजकों की सहायता करने और जो प्रव्रजक पश्चिमी बंगाल से बाहर बसने को तैयार हों उन्हें सरकारी नीति के अनुसार सहायता तथा परिवहन सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। जो लोग वहां ही रह रहे हैं उन में से सुपात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार उपादान के रूप में सहायता देती है।

आवास संबंधी अध्ययन दल

८५. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में आवास योजनाओं की प्रगति का अध्ययन करने के लिये सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो दल में कौन अधिकारी हैं और उन्हें क्या काम दिया गया है ;

(ग) क्या उक्त दल ने उत्तर प्रदेश की आवास योजना की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस को क्या परिणाम रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). निर्माण और आवास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे संयुक्त सचिव, आवास आयुक्त और आवास सलाहकार से राज्यों में जाने और आवास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी हां ।

(घ) उत्तर प्रदेश मे तीसरी योजना काल मे अब तक हुई प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। आवास योजनाओं के लिये कुल १,१४५ लाख ० रखे गये थे जिन मे से राज्य सरकार ने पहले तीन वर्षो मे केवल २६३.३६ लाख ० व्यय किये हैं। आवास योजनाओं का काम तेजी से करने की आवश्यकता राज्य सरकार को बताई गई है और यह तीसरी योजना के शेष दो वर्षो में आवास के लिये रकम बढ़ाने से सहायता हो गई है। उस नें से ला ू करने के लिये व्यवस्था ठीक करना भी स्वीकार कर लिया है ।

उड़ीसा के लिए केन्द्रीय उत्पादन कर वसूली कार्यालय

८६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिये एक अलग केन्द्रीय उत्पादन कर वसूली कार्यालय बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब खुलेगा ; और

(ग) नया वसूली कार्यालय बनाने के क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मुख्य विचार राजस्व की मात्रा, ऐसी बनने वाली चीजें जिन पर उत्पादन कर लगे, क्षेत्राधिकार, भूमि, वायु या समुद्र सीमा शुल्क संबंधी है।

टीकों से सन्तति निरोध

८७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लन्दन के एक अन्तरासर्ग वेता डा० गेराल्ड रचेर ने ब्रिटिश एसोसियेशन की पश्चिमी मिडलैण्ड शाखा में हाल में भाषण करते हुए कहा है कि टीकों से सन्तति निरोध हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो टीकों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या भारत में भी ऐसे प्रयोग किये गये हैं और यदि हां, तो उन का क्या परिणाम रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम इसे लन्दन में अपने उच्चायुक्त द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और यह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोठागुडम तापीय संयंत्र

८९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम तापीय संयंत्र लगाने के लिये अप्रैल, १९६४ के अन्त तक कितना धन व्यय हुआ है;

(ख) बायलरों को लगाने के लिये नींव की खुदाई का काम कब आरम्भ होगा; और

(ग) संयंत्र के लिये अपेक्षित टरबाइनों और बायलरों में से कितने स्वदेश में प्राप्त किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) मार्च, १९६४ के अन्त तक २४५·६४ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है और इस रकम में १०० लाख रु० की वह रकम भी शामिल है जो कि नरसानी बान्ध पर व्यय हुई है। अप्रैल, १९६४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बायलरों के लगाने के लिये नींव का काम आरम्भ हो चुका है।

(ग) पूरे संयंत्र और सामान के लिए जापान में आर्डर दिये गये हैं।

Heavy Electricals Ltd., Bhopal

90. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to refer to Unstarred Question No. 270 on the 2nd March, 1963 regarding suicide by Liaison Officer and State :

(a) the action taken so far by the authorities of the Heavy Electricals Ltd., Bhopal on the basis of the report of the Departmental Enquiry Committee ; and

(b) the improvements made so far in the rules of procedure and the method of working of stores department ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : Attention is, in this connection, invited to the Statement laid on the Table of the House on the 4th May, 1964 in fulfilment of the assurance given in reply to the Unstarred Question under reference.

यूरोप को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधिमण्डल का भेजा जाना

९१. **श्री राम हरख यादव** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये खनिज तथा व्यापार निगम यूरोप को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल में कौन कौन सदस्य होंगे ; और

(ग) इसका उद्देश्य क्या है तथा यह किन किन देशों को भेजा जायेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). खनिज और धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें निगम के सभापति और २ संयुक्त विभागीय प्रबन्धक शामिल हैं, पहले से ही यूरोप के लिये रवाना हो गया है।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल पश्चिमी यूरोप को लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगायेगा और इटली, फ्रांस, नीदरलैण्ड, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, लग्जमबर्ग और इंग्लैण्ड का दौरा करेगा।

छोटी कार परियोजना

९२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में छोटी सस्ती कारों के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : देश में छोटी कारों के उत्पादन के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कुवैत में कच्चा लोहा संयंत्र और इस्पात मिल

९३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवेत में भारतीय सहयोग से एक कच्चा लोहा सन्यन्त्र और एक इस्पात मिल स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय तकनीकी दल कुवेत भेजा गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) दल ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के मजदूरों के लिये प्रोत्साहन बोनस

९४. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री १४ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के मजदूरों को प्रोत्साहन बोनस देने का निर्णय कर लिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : प्रोत्साहन बोनस योजना के ब्यौरों पर अभी भी हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल और संघ के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है।

Hindustan Motors

95. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the extent of availability of 'Fiat' and 'Ambassador' cars manufactured during 1962-63 and 1963-64 month-wise;

(b) whether it is a fact that these cars were to be supplied to consumers during the period stipulated at the time of making reservations; and

(c) the number of cars made available to the intending purchasers at the appointed time?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) The availability of 'Fiat' and 'Ambassador' cars based on production during 1962-63 and 1963-64 was as under :—

Month	Availability	
	Fiat	Ambassador
April, 1962	590	632
May, 1962	604	1150
June, 1962	558	1250
July, 1962	593	1000
August, 1962	553	1100
September, 1962	470	1100
October, 1962	408	1000
November, 1962	297	1250
December, 1962	356	951
Jan. 1963	314	937
Feb. 1963	339	864
March, 1963	294	766
April, 1963	171	625
May, 1963	238	705
June, 1963	344	644
July, 1963	342	..
August, 1963	339	..
September, 1963	325	30
October, 1963	337	900
November, 1963	352	1400
Dec. 1963	355	1750
Jan. 1964	341	1624
Feb. 1964	334	1000
March, 1964	341	2021

(b) Due to imbalance between the demand and supply no period is stipulated for the supply of cars to the consumers at the time of making reservations.

(c) Does not arise.

कानपुर में मिश्रधातु इस्पात संयंत्र

९६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की एक फर्म को मिश्र धातु इस्पात का विशेष सन्यन्त्र स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस फर्म को कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या ऐसा विदेशी सहयोग से किया जा रहा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वह फर्म फ्रांस की एक फर्म से तकनीकी सहायता ले रही है और इसकी पूंजीगत माल की आवश्यकताएं फ्रांसीसी ऋण के अन्तर्गत आती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता नहीं दी गई है।

Export of Blades to Russia

97. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **International Trade** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been concluded between the Malhotra Export House (Private) Ltd., of Calcutta and the representative of Moscow regarding supply of blades ; and

(b) if so, the value of the blades supplied by Government to U.S.S.R. in 1963 in terms of rupees ?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah) : (a) yes, Sir.

(b) The value of blades supplied to U.S.S.R. during 1963 is Rs. 20·80 lakhs.

Fourth Heavy Electricals Plant at New Delhi

98. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Dhaon :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are negotiating with the Government of U.S.A. to set up the fourth Heavy Electricals Plant at New Delhi ; and

(b) if so, the outcome of negotiations held so far ?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) No Sir. However, the Government of India have asked for a preliminary report from an American firm with a view to consider the possibility of setting up a plant for the manufacture of thermal generating equipment.

Coal Mines in Bihar

99. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri P. C. Borooah :
Shri Mohammad Elias:
Shri P. Venkatasubaiah :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **steel Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of coal mines are working at present in Bihar ;

(b) if so, the number of coal mines working in the public sector ;

(c) whether any new survey has been undertaken ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (shri P. C. sethi) (a) Yes, Sir.

(b) All public sector coal mines in Bihar are worked by the National Coal Development Corporation. This Corporation has 14 working mines, three more mines at present are under development and another two are in the planning stage.

(c) and (d) With a view to opening more mines in the public sector, the National Coal Development Corporation is carrying out detailed prospecting in the Central Jharia, West Bokaro and East Bokaro areas.

सरकारी विभागों द्वारा खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति नियुक्त करना

१००. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने, सरकारी विभागों द्वारा खादी के प्रयोग के लिये और सरकारी क्रयादेशों पर आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों की वस्तुओं के सम्भरण से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिये जो सामान्य नीति अपनाई जायेगी उस पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के गठन के लिये, सरकार से बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) प्रस्तावित समिति के कब नियुक्त किये जाने की आशा है तथा इसके निर्देशपद क्या होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री काननगो): (क) से (ग). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से अभी तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है ।

दामोदर नदी के किनारों पर कोयले की तहें

१०१ श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर नदी के किनारों पर बुलिडिह और धोवैया क्षेत्रों में कोयले की नई तहों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र से कितना कोयला निकाले जाने की आशा है ; और

(ग) क्या कोयला बढ़िया किस्म का है और क्या इसे निकालना लाभप्रद होगा ?

इस्पात, खान और भारी इजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) १९५९ में किये गये दूसरे सर्वेक्षण तथा उसके बाद भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खोज सम्बन्धी खुदाई से पता लगा है कि रामगढ़ कोयला क्षेत्र के बुचिंगडिह क्षेत्र में मध्यम स्तर का कोकिंग कोयला है। लगभग सभी तहें दामोदर नदी के पार उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई हैं और धोवैया क्षेत्र तक जाती हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा लगभग ३५ लाख मीट्रिक टन कोयला निकाला जायेगा ।

(ग) इस कोयले की पर्याप्त मात्रा धोने तथा मिश्रण के पश्चात धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये उपयुक्त बनाई जा सकती है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के यूनिट

१०२. श्री नि० र० लास्कर : क्या इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स देश में पांच यूनिट स्थापित करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों को स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इनमें से कोई यूनिट देश के पूर्वी प्रदेश में स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). देश में पांच नये यूनिट स्थापित करने का इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है, परन्तु हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा दिखाये गये कार्य के वर्तमान परिणामों से चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कारखाने द्वारा प्रत्येक वर्ष एक नया मशीनी औजार यूनिट स्थापित करना सम्भव प्रतीत होता है। इस अवस्था पर स्थान के प्रश्न पर विचार करना कठिन है ।

पालघाट में मशीनी औजार संयंत्र

*१०३. **डा० पू० ना० खां** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट (केरल) में मशीनी औजार संयंत्र की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी रूसी रूपांकन संस्था (सोवियत डिजाईनिंग इंस्टीट्यूट) द्वारा आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी का कार्य प्रोमासैक्स्पोर्ट ने आरम्भ कर दिया है। सरकार १९६५ के आरम्भ में प्रतिवेदन को प्राप्त करने की आशा करती है ।

विदेशों में भारतीय फिल्मों से प्राप्त विदेशी मुद्रा

१०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा की गई जांच से यह पता चलता है कि विदेशों में प्रदर्शित की गई भारतीय फिल्मों से अर्जित विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा में चोरी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर

१०५. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६३–१९६४ और १९६४–६५ में नमक उद्योगों के विकास के लिए हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर को कोई अनुदान अथवा ऋण दिया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी नहीं ।

टायर के कारखाने

१०६. **श्री मणियंगाडन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है कि टायर के नये कारखानों को सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि वे पुराने कारखानों का मुकाबिला कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो टायर के नये कारखानों को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रशुल्क आयोग ने 'रबड़ टायर और ट्यूब के उचित मूल्यों १९५५' पर अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि उन भारतीय उपक्रमों को जो रबड़ के टायर और ट्यूब बनाना चाहते हैं, विशेष सहायता दी जानी चाहिए। उसके पश्चात् प्रशुल्क आयोग ने टायर और ट्यूब उद्योग के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) कुछ टायर कम्पनियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार के परिणामस्वरूप, ऐसी टायर कम्पनियों को, जिन्होंने १ अप्रैल, १९६२ को अथवा उसके पश्चात् पहली बार टायर बनाना आरम्भ किया था, अथवा करती हैं, उत्पादन शुल्क में मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत से अधिक राशि के बराबर की छूट दी गई है। और जिसका परन्तु यह एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ।

तम्बाकू का निर्यात

१०७. श्री मलाइछामी :
श्री पैं० वेंकटासुब्बया :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के निर्यात के लिये एक विस्तृत योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को तम्बाकू निर्यात किया जायेगा तथा निर्यात किस अभिकरण द्वारा किया जायेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क). और (ख). हमारी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पहिले से जो कार्यवाही की जा रही है उससे पता चलता है कि भारत से तम्बाकू का निर्यात बढ़ता जा रहा है जैसा कि निम्नलिखित निर्यात आंकड़ों से प्रत्यक्ष है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९६१-६२ . .	१४.०३
१९६२-६३ . .	१७.०९
१९६३-६४ . . .	२१.०१

तम्बाकू की बड़ी मंडियां इंगलैंड, रूस, अदन, सिंगापुर, बैल्जियम और नीदरलैंड्स हैं ।

इस वस्तु के निर्यात में अग्रेतर वृद्धि करने के सभी सम्भव तरीकों को ढूंढने का सरकार बराबर प्रयत्न करती रहती है ।

एक तकुवे वाली स्वचालित खरादें

१०८. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तकुवे वाली स्वचालित खरादों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी ने फ्रांस की मैसर्स मनुरहिन नामक फर्म के साथ करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). १९ मिलीमीटर से ६५ मिलीमीटर तक की सलाख क्षमता वाली ७ भिन्न-भिन्न नमूनों की एक तकुवे वाली स्वचालित खरादों के निर्माण के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने फ्रांस के मैसर्स कनुरहिन के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया है । वर्ष १९६४ से १९६६ के बीच तक फ्रांसीसी फर्म को ८ लाख रुपये की मोटी रकम लाइसेंस शुल्क के रूप में देनी पड़ेगी । करार में यह व्यवस्था की गई है कि उन खरादों के निर्माण में कम्पनी को सहायता देने के लिए

दो फ्रांसीसी तकनीकी कर्मचारी ९-९ महीनों के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में प्रतिनियुक्त रहेंगे। करार की शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के ८ तकनीकी कर्मचारियों को वर्ष १९६४ से १९६६ के बीच ९ से १२ महीने की अवधियों के लिये फ्रांसीसी फर्म की कर्मशालाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा। कम्पनी ने १९६५-६६ में उन मशीनों को जोड़ने के कार्य को आरम्भ करने की योजना बनाई है और १९६९-७० तक प्रति वर्ष लगभग पूर्ण निर्धारित क्षमता के अनसार २०० मशीनों का उत्पादन होने लगेगा ।

मद्रास राज्य में गन्धक के निक्षेप

१०९. **श्री धर्म लिंगम :**
श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धक के निक्षेपों की उपलब्धत पता लगाने के लिए, जावाद हिल्स, पोलुर तालुक, उत्तर आरकोट, जिला मद्रास राज्य में, कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :(क) जी, हां ।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५१-१९५७ के बीच की गई जांच के परिणामस्वरूप यह पता चला है कि जावाद हिल्स में थानियार में 'पाइरोटाइट' (गन्धक का एक अयस्क) के निक्षेप से जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं अनुमानत: २४,४०० मीटरिक टन हैं और उसमें गन्धक की औसत मात्रा २५ प्रतिशत है ।

सैलम इस्पात परियोजना

११०. **श्री मुथिया :**
श्री धर्म लिंगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्शदाता मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब पेश किया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा ।

औद्योगिक बस्ती, बरहामपुर (उड़ीसा)

१११. **श्री मोहन नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरहामपुर (उड़ीसा) राज्य में औद्योगिक बस्ती के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कितने उद्योग आरम्भ किये गये हैं तथा उनमें क्या प्रगति हुई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) जानकारी उड़ीसा सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत से आयात किये गये माल के बारे में शिकायत

११२. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से आयात किये गये माल की किस्म के बारे में गत ३ वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा ये शिकायतें किस प्रकार के माल के बारे में तथा किन देशों से मिली हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (१) भारत से आयात किये गये माल की किस्म के बारे में गत तीन पत्री वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी जाती है :

१९६१	. .	६४
१९६२	. .	१०७
१९६३	. .	८३

(२) १९६१–६२ तथा १९६३ के पत्री वर्षों के दौरान वस्तुवार/देशवार शिकायतों की संख्या क्रमशः अनुबन्ध संख्या 'क', 'ख' और 'ग' में दी गई है जो कि संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० २९०४/६४]**

पालना लिग्नाइट निगम

११३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पालना लिग्नाइट निगम की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी तकनीकी विशेषज्ञ, जो इस परियोजना को चलायेंगे, भारत आ गये हैं ;

(ग) क्या यह परियोजना एक एकीकृत बहुप्रयोजनीय एकक के रूप में होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जायेंगे तथा करार के अनुसार रूस से कितनी सहायता प्राप्त होगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :(क) जी, हां। हमें राजस्थान सरकार से यह सूचना मिली है कि उन्होंने पालना लिग्नाइट निगम की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है ।

(ख) किन विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जानी है तथा उन्हें किस देश से बुलाना है, यह मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस समय तो यही विचार है कि इसको एक एकीकृत परियोजना बनाया जाय।

(घ) खनन कार्य जमीन के नीचे तथा ऊपर दोनों जगह होगा। रूस की सहायता का इस समय कोई प्रश्न नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में स्कूटर बनाने वाला कारखाना

११४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री न० प्र० यादव :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष रूप से प्रार्थना की है कि उस राज्य में एक उपयुक्त स्थान पर स्कूटर बनाने वाले एक नये कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर अनुकूलतया विचार किया जाय ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में स्कूटर की मांग इसकी पूर्ति से कहीं अधिक है तथा एक 'वेस्पा' स्कूटर खरीदने के लिये एक व्यक्ति को कलकत्ता में कम से कम ३ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि स्कूटरों तथा आटो गाड़ियों की कमी के कारण धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियों को शनैः शनैः समाप्त करने के लिये बनाये जाने वाले कानून को स्थगित कर दिया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सिफारिश की थी कि स्कूटरों, आटो साइकिलों तथा मोपेड्स के निर्माण के लिये एक विशेष फर्म को लाइसेंस दिया जाना चाहिये। परन्तु इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि तीसरी योजनावधि की समाप्ति तक होने वाली अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस प्रकार की गाड़ियों के निर्माण हेतु पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस पहिले ही दिये जा चुके हैं ।

(ख) देश में स्कुटरों की मांग इस समय होने वाले इसके वास्तविक उत्पादन कहीं अधिक है तथा देश के प्रत्येक भाग में ग्राहकों को स्कुटर खरीदने के लिये काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ही इसका उत्पादन कम हो रहा है। लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा पूरा उत्पादन किये जाने के बाद, वे देश की सारी मांग को पूरा कर सकेंगे ।

(ग) धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियों को शनैः शनैः समाप्त करने के लिये कोई भी कानुन भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Jute Mill in Bihar

115. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that jute is grown in considerable quantity in the districts of Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga, Saharsa and Purnea of North Bihar ; and

(b) if so, whether Government propose to set up a jute mill there?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (a) About 10 lakh bales of jute is grown in the districts of Champaran; Muzaffarpur, Darbhanga, Saharsa and Purnea in Bihar ; and

(b) There is no proposal at present to set up a jute mill in that area

कांगड़ा में सीमेंट कारखाना

११६. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जिस स्थान पर कारखाना स्थापित किया जाना है, उसका चुनाव कर लिया गया है तथा कच्चे माल के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है । संयंत्र तथा मशीनों के लिये अभी तक आदेश नहीं दिये गये हैं ।

चीनी मिलों में कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग

११७. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने यह परामर्श दिया है कि चीनी मिलों में गन्ने की खोई के स्थान पर कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । चीनी मिलों में गन्ने की खोई के स्थान पर कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग करने की सलाह योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी समिति द्वारा दी गई है ।

(ख) तात्कालिक कदम के रूप में, चीनी मिलों को कोयले की अतिरिक्त मात्रा दी गई है ताकि वे गन्ने की खोई को कागज मिलों को दे सकें । कागज मिलों को अधिक गन्ने की खोई प्रदान करने के लिये अन्य उपाय विचाराधीन हैं ।

कोयले का शैलवर्ग विवरण[1] तथा उस की रचना

११८. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्था द्वारा कोयले के शैलवर्ग विवरण तथा रचना के बारे में किये गये अध्ययनों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) इस्पात तैयार करने में कोकिंग कोल के स्थान पर नान-कोकिंग कोल किस सीमा तक प्रयोग में लाया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इन अध्ययनों के निम्न परिणाम निकले हैं :—

(१) एक मर्चेन्ट कोकरी में कोक तैयार करने के लिये कोयलों की चुनी हुई किस्म को प्रयोग में लाना ।

(२) सरकारी क्षेत्र में स्थापित दो इस्पात कारखानो के लिये भी इसी विधि की सिफारिश की गई है ।

(३) कार्बोनाइजेशन के लिये कोयलों के सही सम्मिश्रण के लिये उपयुक्त तरीकों का पता लगाना ।

(४) कोयला उर्वरकों की नई किस्मों का विकास ।

(ख) इस्पात तैयार करने के हेतु धातुकार्मिक कोक के उपादन के लिये अच्छी किस्म के कोकिंग कोल की ८० से लेकर ८५ प्रतिशत मात्रा के साथ अच्छी किस्म के नान-कोकिंग कोल की १५ से २० प्रतिशत मात्रा मिलाकर इसको प्रयोग में लाना सम्भव है ।

कोयले का उत्पादन

११९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जो कि प्रति वर्ष ५,००० मीट्रिक टन से कम कोयले का उत्पादन करती हैं ;

(ख) ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिनका कोयले का वार्षिक उत्पादन ५,००० से लेकर ७,००० मीट्रिक टन तक है; और

(ग) दोनों वर्गों में फ्राम पर लगे हुए मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ?

इस्पात, खान और भारी इंगीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) १८९ कोयला खान ।

(ख) ३६ कोयला खान ।

(ग) १३,३९३ मजदूर ।

[1]Petrography.

लोहे का विनियंत्रण

१२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनियंत्रण किये जाने के बाद जी० आई० तारों सहित, तारों जैसी ऐसी वस्तुओं का, जिन पर पहिले प्रतिबन्ध था, प्रतिरक्षा विभाग जैसे विभागों तक के लिये भी भारी अभाव हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मेसर्स इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स जमशेदपुर सहित पुनर्बेलन मिलों तथा तार खींचने वाले एककों के उत्पादन पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है;

(ग) इस समवाय को तार के मूल्य में १०० रु० की वृद्धि करने की अनुमति क्यों प्रदान की गई है; और

(घ) क्या अनेक पुनर्बेलन मिल तथा तार खींचने वाले एकक उन समस्त क्रय आदेशों को रद्द कर रहे हैं जो कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा उनको दिये जाने वाले थे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तारों का कोई भी भारी अभाव नहीं है । हां कुछ क्रय आदेशों पर माल दिया जाना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तार के एक विनियंत्रित वस्तु होने के नाते, इसके मूल्य पर कोई भी संविहित नियंत्रण नहीं है तथा किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

सीमेंट निगम

१२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेमराज :

क्या **उद्योग** मंत्री २० मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु एक भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमेंट निगम को निम्न मुख्य कार्य सौंपने का विचार है :

(१) देश में सीमेंट-ग्रेड के चूने के पत्थर के निक्षेपों का सर्वेक्षण, उनका पता लगाना तथा उनकी जांच करना ।

(२) चौथी योजना में निर्धारित किये जाने वाले सीमेंट के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन के लिये पर्याप्त क्षमता का अधिष्ठापन ।

(३) सीमेंट उद्योग को उन्नति तथा तकनीकी जानकारी के विकास से सम्बन्धित समस्त सहायी कार्यकलापों की ओर ध्यान देना ।

सशस्त्र बल के लिए घड़ियां

१२२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड सशस्त्र बल के प्रयोग के लिये "जवान" नाम की २६,००० से अधिक घड़ियों का सम्भरण करेगा;

(ख) यदि हां, तो इन घड़ियों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सम्भरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां । आदेश के अनुसार २६,१५० घड़ियों का सम्भरण किया जाना था जिसका ३०-४-१९६४ तक पूरी तरह से निष्पादन हो गया था ।

(ख) "एच० एम० टी० जवान" घड़ी की मुख्य बातें ये हैं : ऑल स्टेनलैस स्टील स्क्रु बैक केस; ११½ लिग्नेस फुल्ली ज्वैल्ड लीवर मुवमेंट (केस डायमीटर ३५ मिलिमीटर); १७ ज्वैल; शॉक प्रूफ; वाटर प्रूफ; स्वीप सेंटर सेकिंड हैंड; चमकदार अरबी अंकों वाला काला डायल; घंटे और मिनट की चमकदार सुइयां ।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

१२३. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के लिये उड़ीसा में बोनाईगढ़ में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की अनुमानित लागत क्या होगी तथा इस में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) बोनाईगढ़ (बोनोगढ़) में इस्पात संयंत्र की स्थापना का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है परन्तु विभिन्न सुझाव मिले हैं कि दूसरा इस्पात कारखाना उड़ीसा में उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाये । इन सुझावों में बोनाईगढ़ भी एक स्थान है । स्पष्ट है कि इस सुझाव का एक कारण यह है कि शरणार्थियों को रोजगार मिल सके । इस्पात कारखानों की स्थापना के लिये सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है तथा सरकार उन की जांच करती रहेगी परन्तु इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में जांच होती रहेगी । अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस पर कितना धन व्यय होगा तथा इस में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

ऐच्छिक वस्त्र मूल्य नियंत्रण योजना

१२४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने अभ्यावेदन किया है कि ऐच्छिक वस्त्र मूल्य नियंत्रण योजना को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) यदि हां, तो योजना को रद्द करने की मांग करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग) भारतीय सूती वस्त्र मिल्स संघ ने अभ्यावेदन दिया है कि अभी यह संभव नहीं है कि ऐच्छिक सूती वस्त्र मूल्य नियंत्रण योजना की जिम्मेदारी लें । उन्हों ने बताया है कि सार्वधिक पुनरीक्षण न होने के कारण रुई, श्रम, विद्युत्, स्टोरों आदि की लागत वृद्धि का पता नहीं लग पाता है । संघ द्वारा बताई गई बातों की जांच की जा रही है ।

अखबारी कागज के मूल्य

१२५. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देसी अखबारी कागज के विक्रय मूल्य क्या हैं तथा खरीदारों को आयात किये गये अखबारी कागज के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ; और

(ख) देसी अखबारी कागज के मूल्य कम करने के लिये यदि कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) देसी अखबारी कागज के मूल्य—१०५० रुपये प्रति टन ।

आयात किए गए अखबारी कागज के मूल्य—७७५ रुपये से ८२५ रुपये प्रति टन तक ।

(ख) १९५८ में देसी अखबारी कागज के मूल्य १०५० रुपये निश्चित किये गये थे । गत छः वर्षों में कच्चे माल, रसायन, परिवहन, विद्युत्, श्रम, कोयला आदि के कारण उत्पादन मूल्य बढ़ जाने पर भी देसी अख़बारी कागज के मूल्य १०५० रुपये ही रखे गये तथा बढ़ाये नहीं गये ।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम

१२६. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री यु० द० सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम का प्रबन्ध भारतीय सहकार संघ से ले कर एक नई समिति को देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आई० बी० सी० ओ० एन० की हाल की सिफारिशों के अनुसार एम्पोरियम के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित न रहेगी तथा क्या उन को वही वेतन क्रम मिलते रहेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां। एक समिति को जिस का रजिस्ट्रेशन समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन किया जायेगा ।

(ख) सरकार का यह विचार है कि नई समिति का गठन हो जाने के बाद एम्पोरियम में काम करने वाले कर्मचारी नई समिति में आ जायेंगे और समिति उनके हितों की ठीक प्रकार रक्षा करेगी ।

निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र

१२७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन अनुसंधान संस्था ने सरकारी क्षेत्र में निम्नताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक पेश हो जाने की आशा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आशा है कि लगभग छः महीनों में यह पेश हो जायेगा ।

मैंगनीज तथा लौह अयस्क खानें

१२८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में खान मालिकों को तकनीकी सलाह तथा सेवा देने का कोई विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लोहा तथा मैंगनीज़ खान मालिकों को कोई सलाह अथवा सेवा दी गई है जिस से वह देश में खानों का उत्पादन बढ़ाने तथा लागत व्यय कम करने के लिये खानों में यंत्रों द्वारा सामान निकालना लागू कर दें ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में खनन व्यवसाय में सुधार करने के लिये और क्या अन्य तरीके काम में लाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो खान मालिकों को सलाह देता है तथा उन की सेवा करता है ।

(ख) और (ग). यंत्रों के द्वारा खान खोदना शुरू करने के बारे में लोहा तथा मैंगनीज़ अयस्क खान मालिकों को कोई सलाह नहीं दी गई है परन्तु यंत्र द्वारा खनन करने के बारे में सलाह तभी दी जाती है जब लोहा तथा मैंगनीज़ अयस्क खानों समेत सभी खानों में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न

हो जाये । भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी खानों के विभिन्न पहलूओं जैसे विकसित खनन योजना, खनन पद्धति, अयस्क तथा रद्दी लोहे का लाना ले जाना, यंत्रों का ठीक प्रयोग आदि के बारे में सलाह देते हैं ।

न्यूनतम मजूरी

१२९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि मजूरी की न्यूनतम दरें कम से कम १ रुपया प्रति दिन बढ़ा दें ;

(ख) क्या इन आंकड़ों का मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकता से कोई सम्बन्ध है ; और

(ग) न्यूनतम १ रुपया रखने की सिफारिश का आधार क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन उन अनुसूचित रोजगारों के लिए मजूरी की न्यूनतम दरें बढ़ाई जायें जिनमें मजूरी प्रतिदिन १ रुपया निश्चित की गई हो जिस से अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजूरी दर १ रुपया प्रति दिन से कम न हो ।

वर्तमान परिस्थितियों में १ रुपया प्रति दिन से कम मजूरी बहुत कम नहीं मानी जा सकती है । राज्य सरकारों से १ रुपया मजूरी का अनुरोध करते समय यह विचार था कि न्यूनतम एक रुपया प्रति दिन से कम न हो परन्तु जिन मामलों में एक रुपये से कम मजूरी हो बढ़ा दी जाये ।

लक्कदीव में नौसेना का अड्डा

१३०. **श्री अ० व० राघवन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव के संघ राज्य क्षेत्र में नौसेना का एक अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा यह कहां पर स्थापित होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिक्किम में अस्पताल

१३१. **श्री राम हरख यादव :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना के लिये सिक्किम में एक अस्पताल बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) अस्पताल का अनुमानित व्यय तथा क्षमता क्या होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग). गंगटोक, सिक्किम में ३५ पलंगों का एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है । इस में छूत के रोगों के लिये भी स्थान होगा । इस में आपरेशन, एक्सरे, बोईरोगी विभाग तथा दन्त केन्द्र भी होंगे । कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की भी व्यवस्था होगी । नक्शे बनाए जा रहे हैं । नक्शे बन जाने के बाद अनुमानित व्यय का पता लगेगा ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

१३२. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ के विद्या संबंधी वर्ष के अन्त तक देश में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (ए० सी० सी०) की कितनी संख्या थी तथा इस से लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या है ;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : जानकारी नीचे दी जाती है :—

	लड़के	लड़कियां
सीनियर डिभीज	१,३३,०८२	१०,२१५
ए० सी० सी० राइफलस	६,६३,३९८	३०,५३३
जूनियर डिवीजन	१,९०,२३५	२६,०६३
जोड़ . .	९,८६,७१५	६६,८११

कलकत्ता में पाकिस्तान का उच्चायोग

१३३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि जनवरी १९६४ में साम्प्रदायिक दंगों में कलकत्ता में उप उच्चायोग के कुछ सदस्यों की लूटी गई सम्पत्ति के लिये मुआवजा दें ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां । पाकिस्तान सरकार ने कलकत्ते में अपने दूतावास के ८ कर्मचारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति की हानि के लिए मुआवजा मांगा है ।

१३४. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी नौ सेना के लिये पनडुब्बियां लेने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में सरकार को क्या कठिनाई आ रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी नहीं। उपयुक्त पनडुब्बियों की उपलब्धता तथा विदेशी मुद्रा की हमारी क्षमता के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

Chinese Nationals Holding British Passports

135. **Shri S.C. Samanta :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the nature of representation made by the British Government in regard to Indian Government's policy of demanding visas for coming to India from such Chinese migrants as posses s British passports ; and

(b) Government of India's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs, Minister of Home Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Nanda) : (a) and (b). Under the Indian Passport Act, the Government of India have introduced the requirement, after the Chinese attacks of October-November, 1962, that persons of Chinese origin should possess an Indian visa for entry into India. This requirement is applicable to all persons of Chinese origin regardless of the nature of the travel documents and was introduced after the declaration of the Emergency as a security measure. An exception has, however, been made in the case of Malayasian nationals of Chinese origin, who do not require visas for entering India.

No formal protest by the British Government has been received by the Government of India on the question of visas for persons of Chinese origin from Hong Kong holding British passports. Representations of a general nature, however, had been made by the British Government regarding this requirement and we have explained to them that this requirement has been introduced as an emergency measure.

विमान निर्माण निगम

१३६. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समस्त विद्यमान विमान निर्माण करने वाले डिपोओं को मिलाने और एक निगम बना कर उसे चलाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने का क्या कारण है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने विमान निर्माण डिपो एक प्रबन्ध के अधीन लाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) सभी प्रकार के विमानों और पुर्जों का निर्माण करने के लिये एक एकीकृत निगम बनाने से विमान उत्पादन के क्षेत्र में अधिक अच्छा आयोजन तथा समन्वय होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन में कम लागत आने के लाभ उठाये जा सकेंगे और प्रवधिक तथा डिजाइन सम्बन्धी प्रयत्नों का संरक्षण होगा ।

(ग) नये निगम के क्षेत्राधिकार में वे विमान निर्माण कारखाने होंगे जो कि इस समय हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटिड व कानपुर स्थित विमान कारखाने के प्रबन्ध के अधीन हैं और जो कि सुपरसोनिक विमानों का निर्माण करने के लिये रूसी सरकार के सहयोग में स्थापित किये जा रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा घात लगा कर किया गया आक्रमण

१३७. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में युद्धविराम रेखा के भारतीय क्षेत्र के अन्दर पाकिस्तानियों द्वारा घात लगा कर किये गये आक्रमण में मारे गये १४ भारतीय पुलिस के सिपाहियों के परिवारों के लिये प्रतिकर के सम्बन्ध में की गई भारतीय मांग का पाकिस्तान सरकार ने उत्तर दे दिया है ;

(ख) यदि हा, तो भारत सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने मध्यस्थ निर्णय के आधार पर यह मामला सुरक्षा परिषद् के सभापति के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सुरक्षा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) सरकार पाकिस्तान से उत्तर आने की प्रतीक्षा कर रही है।

(ग) और (घ). जी हां। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक के मध्यस्थ निर्णय और पाकिस्तान को भेजे गये हमारे विरोध पत्र की ओर संयुक्त राष्ट्र परिषद् में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने २४ अप्रैल, १९६४ को सुरक्षा परिषद् का ध्यान दिलाया है। हमारे स्थायी प्रतिनिधि का पत्र सुरक्षा परिषद् के एक दस्तावेज के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को भेजा गया था।

भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण दल

१३८. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल में महानन्दा नदी के निकट हाल ही में जो एक भारतीय सर्वेक्षण दल भारत-पाकिस्तान सीमा के खम्भे लगा रहा था उस के कार्य में पाकिस्तानियों ने बाधा डाली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को कई विरोध पत्र भेजा गया है ;

(ग) पाकिस्तान से यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वह क्या है; और

(घ) क्या कार्य पुनः आरम्भ कर दिया गया है अथवा अभी तक भी बन्द पड़ा है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अभी तक पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ; ।

(घ) संयुक्त सर्वेक्षण कार्य १० मई, १९६४ को पुनः प्रारम्भ कर दिया गया था ।

पाकिस्तातियों द्वारा अतिक्रमण

१३९. श्री ओकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द सेठ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ मई, १९६४ को एक पाकिस्तानी सशस्त्र दल जलपैगुड़ी जिले में भारतीय सीमावर्ती ग्राम फौटीपाड़ा में सीमा पार करके घुस आया था तथा उस ने एक मकान पर छापा मारा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सशस्त्र दल ने सारी सम्पत्ति लूट ली थी तथा कितने ही व्यक्तियों को मार डाला था;

(ग) अनुमानतः कुल कितने रुपये की सम्पत्ति लूटी गई तथा कितने व्यक्ति मारे गये थे; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) (क) ४ मई १९६४ को कुछ अशस्त्र अपराधियों ने अशोक बसु के मकान पर छापा मारा था । यह निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं है कि वे अपराधी लोग पाकिस्तानी राष्ट्रजन ही थे ।

(ख) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। अपराधी केवल थोड़ा सा धन तथा चावल ले गये थे।

(ग) कुल अनुमानित हानि लगभग १०० रुपये की है।

(घ) ऐसी घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वोपाय किये हैं।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

१४०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ लोकप्रिय पत्रिकाओं का भारतीय भाषाओं में संस्करण निकालने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो जिन भाषाओं में ये पत्रिकायें प्रकाशित की जायेंगी उन के क्या नाम हैं; और

(ग) इस कार्य पर कितना व्यय होगा ?

संसद-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) प्रकाशन विभाग १७ पत्रिकायें निकालता है जिन में से ९ अंग्रेजी में, सात हिन्दी में और एक उर्दू में है। इस समय इन पत्रिकाओं में से किसी को भी अन्य किसी भाषा में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Construction of roads by Pakistan on Rajasthan Border

141. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any roads are being constructed on the [Pakistan side adjoining Indian border in Rajasthan;

(b) if so, in which parts this work is going on ;

(c) whether the Government of India have written to Pakistan Government in this connection ; and

(d) if so, reply received from them ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) and (b) : Government are aware that Pakistan is improving road communications opposite the Rajasthan border.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

इंगलैंड में भारतीय दूतावास भवन

१४२. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंगलैंड में हमारे दूतावास के भवन की हालत ऐसी है कि उस में भारी मरम्मत तथा नवीकरण कार्य किये जाने की आवश्यकता है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं ।

कारखाना श्रमिकों की वास्तविक मजूरी

१४३. श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित बैंक द्वारा हाल में किये गये एक अध्ययन से यह पता चला है कि द्वितीय योजना काल के दौरान कारखाना श्रमिकों की प्रति श्रमिक वास्तविक मजूरी कम हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई कि श्रमिकों की असल मजूरी आगामी योजनाओं में अवश्य ही बढ़ जाये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि द्वितीय योजना काल के दौरान औद्योगिक श्रमिकों की मजूरी धन के रूप में निरन्तर बढ़ती रही, परन्तु असल मजूरी कम हो गई जिस का मुख्य कारण उपभोक्ता मूल्यों में वृद्ध का होना था। तथापि १९६० से असल मजूरी में वृद्धि देखी जा रही है ।

वृद्धि मजूरी बोर्ड पंचाटों की कार्यान्विति के कारण हुई है जिस से कि अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के श्रमिकों को लाभ पहुंचा है ।

त्रिदलीय मजूरी बोर्डों के माध्यम से मजूरी स्तरों का समायोजन करने की यह नीति भावी योजनाओं में भी जारी रहेगी ।

Firing by Pakistanis in Chhamb Area

144. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gokaran Prasad :
Shri A.S. Saigal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistanis opened fire from across the cease-fire line on the evening of 5th May, 1964 in Chhamb area (West of Jammu) ; and

(b) if so, the action taken by the Government of India to check it ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been brought to the notice of the U.N. Military Observers. Other precautionary measures have also been taken.

Mountain Gun

45. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
{ **Shri Gokaran Prasad :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government has manufactured a mountain gun; and

(b) if so, the cost thereof?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The gun has recently gone into normal production and it is too early to estimate the cost of production.

अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तानी अत्याचार

१४६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के अत्याचार के बारे में विदेशों के सामने सही चित्र रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में आगे और क्या कदम संभवतः उठाये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : **(क)** जी हां ।

(ख) प्रतिक्रिया अनुकूल रही है ।

(ग) प्रयत्न जारी हैं । वास्तविक समाचार सभी उपलब्ध साधनों के जरिये निरन्तर भेजे जा रहे हैं । कुछ, प्रचार सामग्री तैयार की गई है और एक प्रलेखीय चलचित्र भी तैयार हो रहा है ।

गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

१४७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बंधित मजूरी बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो हम इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता देने की कोई योजना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक मजूरी बोर्ड की दो बैठकें हुई हैं ।

(ग) अन्तरिम सहायता दिये जाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । ये अभ्यावेदन मजूरी बोर्ड के विचारार्थ भेज दिये गये हैं ।

806 (Ai) LS—8.

इंजीनियरी उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

१४८. श्री स० मो० बनर्जी :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और बड़े इंजीनियरी उद्योगों के लिए एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निश्चय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड सम्भवत: कब तक बन जायगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). इंजीनियरी उद्योग में मजूरी सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर इस विषय पर विचार किया जा रहा है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई थी।

समाचारपत्र मंत्रणा समिति

१४९. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १३ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय भाषाई समाचारपत्र सम्बन्धी मंत्रणा समिति की रचना किस प्रकार है और उसके सामने विचारणीय विषय कौन-कौन से हैं ?

संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मंत्रणा समिति की, जिसे छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति नाम दिया गया है, रचना उसके विचारणीय विषय १२ मई, १९६४ को सरकार द्वारा जारी किये गये संकल्प में दिये हुए हैं। संकल्प की प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २९०५/६४]

सेना में मद्य-निषेध

१५१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्यनिषेध जांच समिति ने सेना में शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय मद्यनिषेध सम्बन्धी उस अध्ययन दल की रिपोर्ट से है जिसके प्रमुख जस्टिस श्री टेकचन्द थे। उस दल ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि यदि सशस्त्र सेनाओं में शराब पीने पर तुरन्त रोक नहीं लगायी जा सकती तो उसे कम किया जाना चाहिये।

(ख) उक्त दल की सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष सेवा निधि

१५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष से अंशदान लेकर एक विशेष सेवा निधि बनाने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दी गयी रकम किस प्रकार काम में लायी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) यह निधि राष्ट्रीय रक्षा कोष से शुरूआत में ५ करोड़ रुपये और प्रतिरक्षा बजट से सालाना १ करोड़ रुपया लेकर कायम की जायेगी। भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ८० प्रतिशत राज्यों को बांट दिया जायगा और २० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के पास रिजर्व के रूप में रखा जायगा। राज्यों से कहा गया है कि वे प्रतिरक्षा बजट में से दिये गये अंशदान के मुकाबले में उतने ही अनुदान दें। आरम्भ में प्रतिरक्षा बजट से अंशदान ३ साल की अवधि के लिये होगा और उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जायगी।

(ग) निधि के उद्देश्य सामान्यतया युद्धोत्तर सेवाएं पुनर्निर्माण निधि के उद्देश्य जैसे ही हैं अर्थात् भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाना। निधि के प्रशासन के नियमों की छानबीन हो रही है।

उपभोक्ता सहकारी भंडार

१५३. **श्री मलाइछामी** :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम में संशोधन करने की कोई योजना है जिससे मालिकों को अपनी अपनी संस्थाओं में उपभोक्ता सहकारी भंडार चलाना अनिवार्य किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) और (ख). मालिकों के लिए यह अनिवार्य बनाने की योजना पर कि वे सस्ती दूकानें या उपभोक्ता भंडार खोलें, विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों के सहयोग के बिना मालिक सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित नहीं कर सकते। इस योजना का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

नौसेना जहाजों से निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

१५४. **श्री जं० बं० सिं० बिष्ट** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नौसेना जहाजों से निषिद्ध माल के पकड़े जाने की खबर की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या इस मामले की छान-बीन की गयी और, यदि हां, तो क्या यह घोषित किया गया है कि उन जहाजों का राष्ट्रीय चौर्यानयन संगठनों से किसी प्रकार का सम्बन्ध था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं आदि के कथित चौर्यानयन सम्बन्धी सूचना मिलते ही नौ सेना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सलाह से मार्ग पर चलते हुए सम्बद्ध जहाजों की छान-बीन की । जहाजों के भारतीय बन्दरगाहों पर लौटने पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने उनका विशेष निरीक्षण किया जिस के परिणामस्वरूप कुछ विलास वस्तुयें, ट्रांसिस्टर, रेडियो, घड़ियां आदि माल पकड़ा गया । अभी मामले की जांच-पड़ताल हो रही है ।

ढाका में भारतीय उपउच्चायुक्त का स्टाफ

१५५. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सरकार ढाका में भारत के उपउच्चायुक्त के कार्यालय के उन २३ कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिये सहमत हो गयी है जिनकी सम्पत्ति दंगों के दौरान लूट ली गयी थी या क्षतिग्रस्त हो गयी थी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं । यह मामला पाकिस्तान सरकार के पास ले जाया गया है और उस के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मध्यम वर्ग परिवार के रहन-सहन की दशा सम्बन्धी सर्वेक्षण

१५६. **श्री दे० जो० नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिक संगठन ने मध्यम वर्ग परिवार के रहन-सहन की दशा सम्बन्धी सर्वेक्षण के अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) केन्द्रीय सांख्यिक संगठन ने हाल ही में मध्यम वर्ग परिवार के रहन-सहन की दशा सम्बन्धी सर्वेक्षण के प्रतिवेदन का प्रथम खंड निकाला है ।

(ख) इस खंड की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । खंड के अध्याय ८ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निष्कर्षों का सारांश दिया हुआ है ।

लापता विमान

१५७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लापता परिवहन विमान इल्युशिन-१४ सम्बन्धी जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां और निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह प्रतिवेदन पूरा नहीं था इसलिये कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये इसे पुनः जांच न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है । अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

चीनी तथा पाकिस्तानी फौजी दस्तों का जमाव

१५८. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री हेम राज :
श्री वीरप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीनी तथा पाकिस्तानी फौजी दस्ते हमारी सीमाओं पर जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सीमाओं की रक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) चीनियों का हमारी सीमाओं पर जमाव निरन्तर जारी है और यह नवम्बर १९६२ की अपेक्षा अब अधिक है । पाकिस्तानियों की गति-विधियां भी हमारी सीमाओं पर, विशेषकर युद्ध-विराम रेखा के साथ साथ, जम्मू तथा काश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर और आसाम तथा त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में, निरन्तर जारी हैं ।

(ख) सीमाओं की रक्षा के लिये सरकार ने सभी सम्भव कदम उठाये हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सूचना कर्मचारी

१५९. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा वैदेशिक प्रचार डिवीजन में सूचना कर्मचारियों के, स्थायी पदावधि के आधार पर, निबंधन तथा शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) क्या भारतीय विदेश सेवा के कुछ प्रतिशत पद उपर्युक्त डिवीजन की सूचना सेवा के कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार भारत की सूचना सेवा के कुछ पदाधिकारियों को स्थायी बनाने के लिये सिद्धान्त रूप में सहमत हो गयी है। निबन्धन तथा शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, पदाली वरिष्ठता तथा पदोन्नति) नियम, १९६१ में भारतीय विदेश सेवा पदाली में १० प्रतिशत वरिष्ठ वेतन-क्रम वाले तथा उच्च पद रक्षित रखने सम्बन्धी उपबन्ध है। यह रक्षित पद भारतीय विदेश सेवा (बी) के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय सूचना सेवा के उन सूचना पदाधिकारियों को मिलेंगे जिन्होंने ६ वर्ष तक सेवा की हो। यह पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केवल कुशलता के आधार पर होगी।

दलाई लामा की विदेश यात्रा

१६०. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने विदेश यात्रा के लिये सुविधायें उपलब्ध किये जाने के बारे में सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उल्लेख किया है कि वह किन विशिष्ट देशों की यात्रा करना चाहते हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। दलाई लामा ने कुछ बुद्ध मत के अनुयायी देशों की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) जी हां।

(ग) हमने दलाई लामा को आश्वासन दिया है कि उस मामले में जो सहायता हम दे सकते हैं वह हम देंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रव्रजन-पत्र

१६२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान प्रव्रजन-पत्र जारी करने के लिये, ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रव्रजकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से और अन्य प्रकार के परिवर्तन लाने से इस असाधारण स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहां तक सुधार हुआ है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हमें इस प्रकार की केवल एक शिकायत मिली है। जांच करने पर हमें मालूम हुआ है कि यह शिकायत निराधार है ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जान तथा माल की वर्तमान असुरक्षितता की स्थिति में ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त अल्पसंख्यकों के लिये जो कुछ उनसे आशा की जा सकती है कर रहे हैं ।

सनिक गाड़ियों की सड़क परिवहन योग्यता

१६३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना प्राधिकारियों ने अपने मोटर परिवहन गाड़ियों की सड़क परिवहन योग्यता निर्धारित करने के लिये एक नयी कसौटी का उपबन्ध किया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान फ्लीट के बहुत से यान बेकार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नियमों के अन्तर्गत कितनी गाड़ियों को बेकार घोषित किया गया है ; और

(ग) इनके स्थान पर नयी गाड़ियां कैसे लाई जा रही हैं और उनकी लागत क्या होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) प्रतिरक्षा सेवाओं में आम तौर पर प्रयोग में आने वाली गाड़ियों को प्राप्त करने और रद्द करने के बारे में एक नई नीति बनाई गई है। पहले गाड़ियों को समय-समय पर फिर ठीक करके तब तक प्रयोग में लाया जाता था जब तक कि वह सेवा के अयोग्य नहीं हो जाती थी। अपने तजुर्बे की बिना पर हमने देखा है कि इस प्रकार किसी समय प्रतिरक्षा सेवाओं के पास उपलब्ध गाड़ियों पर प्रयोग की दृष्टि से निर्भर नहीं किया जा सकता। नयी नीति के अन्तर्गत जब गाड़ी उल्लिखित मील तथा कुछ उल्लिखित वर्षों तक चल चुकेंगी या अन्यथा उन्हें पूर्णतया दोबारा ठीक करना आवश्यक होगा तब तक रद्द कर दी जायेंगी ।

(ख) इस नीति के अन्तर्गत रद्द किये गये यान 'बेकार' नहीं होंगे वरन् रद्द किये जाने के बाद भी कुछ समय तक उनका प्रयोग किया जायेगा । ३१-३-६६ तक कुल लगभग ३८,००० यानों के रद्द किये जाने की संभावना है।

(ग) देशीय उत्पादन क्षमता का ध्यान रखते हुए पुराने यानों के स्थान पर नये यान लाने के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि यथासम्भव कम से कम समय मे प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये ऐसे यान उपलब्ध हों जिन पर कि पूर्णतया निर्भर किया जा सके। सरकार द्वारा अनुमोदितयान प्राप्त करने के कार्यक्रम के अनुसार, १-१०-६३ से ३१-३-६६ तक की कालावधि के लिये सेना परिवहन गाड़ियों (मोटर-साइकिलें, जीपें और ३-टन/१-टन की गाड़ियों) की अनुमानित क्रय-लागत लगभग ११६ करोड़ रुपये होगी। इसमें ३८,००० पुराने रद्द गाड़ियों के स्थान पर नयी गाड़ियां लाने. उनमें खराबियों को दूर करने और

सेवाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी उपबन्ध भी हैं । नयी कसौटियों के अनुसार जब स्थिति स्थायी हो जायेगी तो इन ४ श्रेणियों के लगभग १७,००० गाड़ियां बराबर प्राप्त की जाती रहेंगी और इतनी ही गाड़ियां बराबर रद्द की जाती रहेंगी । रद्द किये जाने वाली गाड़ियों से जो राशि प्राप्त होगी और वर्तमान लागत की दृष्टि से यह अनुमान है कि इन चार प्रकार की गाड़ियों पर २२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होगा । यह भी आशा है कि इस नीति के परिणामस्वरूप, संधारण, मरम्मत तथा सुधारने सम्बन्धी व्यय में बचत होगी जिसका इस समय अनुमान लगाना कठिन है

आयुध डिपुओं में अधिक समय तक काम करने का भत्ता

१६४. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री हेडा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी आयुध डिपो कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं ; और

(ख) क्या इन आयुध डिपुओं में जो कारखाना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं, औद्योगिक सेविवर्ग को इस अधिनियम के अनुसार अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है और क्लर्क सेविवर्ग को समय की दर के अनुसार, यानी प्रति घंटे के आधार पर यह भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) मांगी गयी जानकारी एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयुध डिपुओं में लोअर डिवीजन क्लर्क

१६५. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री हेडा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध डिपुओं में आपातकाल में काफी संख्या में लोअर डिवीजन क्लर्क नैमित्तिक आधार पर नौकरी पर रखे गये ;

(ख) ३० अप्रैल, १९६४ को ऐसे क्लर्कों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि आयुध डिपुओं द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों तथा शर्तों के मामले में एकरूपता नहीं बर्ती जाती ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ) मांगी गयी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी सैनिक सहायता

१६६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ महीनों में जो मित्र देश भारत को सैनिक सहायता का सामान बराबर देते रहे उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इन मित्र देशों द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पिछले ६ महीनों में भारत को निम्नलिखित देशों से सैनिक सहायता का सामान प्राप्त हुआ--

अमरीका
ब्रिटेन
आस्ट्रेलिया
कनाडा
रूस
यूगोस्लाविया ।

(ख) प्राप्त हुई मदों तथा सामान के ब्यौरे को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

१६७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अप्रैल, १९६४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११८७ के उत्तर के कार्य में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९ मार्च, १९६४ से पाकिस्तानी विमानों द्वारा कितनी बार भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया गया ; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) और (ख). सरकार को अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार १९ मार्च, के १९६४ से पश्चात् पाकिस्तानी विमानों द्वारा ६ बार भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया गया । इन में से ५ अतिक्रमण जम्मू तथा काश्मीर की युद्ध विराम रेखा पर किये गये जिनके बारे में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल के पास शिकायत की गयी । शेष अतिक्रमण त्रिपुरा पर हुआ जिसके बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा गया ।

नागा विद्रोही

१६८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री साधू राम :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनवरी, १९६४ के पश्चात नागा विद्रोहियों द्वारा कितने सेना कर्मचारी मारे गये ; और

(ख) हमारी सेनाओं से हुई मुठभेड़ों में कितने विद्रोही मारे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) १ जनवरी से २१ मई, १९६४ तक नागालैंड में सुरक्षा सेना नागालैंड के कुल ३३ कर्मचारी मारे गये। इस संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :

सेना	२१
पुलिस	३
आसाम राइफल्स	९ ।

(ख) सुरक्षा सेना से हुई मुठभेड़ में उपर्युक्त कालावधि में ५० विद्रोहियों के मारे जाने की सूचना है ।

तांगानीका में भूकम्प

१६९. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही के तांगानिका के भूकम्प से पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की वित्तीय तथा अन्य सामान के रूप में सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोजगार का लक्ष्य

१७०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सम्बन्धी कार्यकारी दल के नवीनतम अनुमान के अनुसार निर्धारित रोजगार लक्ष्य का ९० प्रतिशत भाग तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा ;

(ख) दूसरी योजना की समाप्ति की तुलना में वर्ष १९६५–६६ के अन्त तक कितने व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे ;

(ग) क्या अधिक संख्या में लोगों को शिल्प प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजनायें बनाई जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन): (क) और (ख). कार्यकारी दल ने कोई अनुमान नहीं लगाया है कि तीसरी योजना के अन्त तक कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। इस समय इस बात का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है कि १९६५-६६ तक कितने लोग बेरोजगार रह जायेंगे।

(ग) और (घ). योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानों की संख्या दूनी की जानी चाहिए। इस समय नयी संस्थाओं की संख्या निर्धारित सम्भव नहीं है।

उड़ीसा में गैर-सरकारी खानों में कर्मचारी

१७१. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ से १९६० और १९६१ से १९६३ की अवधि में, उड़ीसा के गैर-सरकारी उद्योगपतियों की मैंगनीज, क्रोमाइट और लौह अयस्क की खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या १९५८ से १९६० की अवधि की तुलना में १९६१ से १९६३ की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी हुई है; और

(ग) रोजगार में हाल में हुई कमी के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन): (क) १९५८ से १९६२ तक प्रति दिन काम पर रखे गये कर्मचारियों की औसत संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	मैंगनीज़	क्रोमाइट	लौह अयस्क
१९५८ . .	१५,१४८	१,२२८	१५,९६७
१९५९ . .	१२,५०८	१,३९१	१५,७५३
१९६० . .	११,१८०	१,३८९	१७,२८४
१९६१ . .	९,९११	१,१२०	१९,०९८
१९६२ . .	९,८७७	१,३१०	१७,७२१

वर्ष १९६३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). वर्ष १९५८-६० की तुलना में वर्ष १९६१-६२ में क्रोमाइट की खानों और लौह अयस्क की खानों में रोजगार में कमी नहीं हुई है। मैंगनीज़ की खानों में, चालू खानों की संख्या कम हो जाने और प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के परिणामस्वरूप मैंगनीज़ उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ने से, रोजगार में कमी हुई है।

जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना

१७२. श्री धवन
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री शिंकरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ मई, १९६४ को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में झांगीर के निकट भारतीय सैनिक गश्तीदल पर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) क्या पाकिस्तानियों द्वारा बार बार युद्धविराम रेखा का उल्लंघन करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) ११ मई, १९६४ को झानगर के निकट युद्धविराम रेखा के दूसरी ओर से हमारे गश्ती दल पर गोली चलाई गई थी।

(ख) एक सैनिक को सख्त चोट आई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

(ग) जी, हां। जब कभी युद्धविराम रेखा अथवा समझौते का उल्लंघन किया जाता है, हम विरोध पत्र भेजते हैं।

(घ) जहां तक इस विशेष घटना का सम्बन्ध है, हम संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नये रेडियो स्टेशन

१७३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस विषय में क्या योजना है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई कसौटी निर्धारित की गई है ?

संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में कुरसीयोंग, कोहिमा, पोर्ट ब्लेयर और इम्फाल में चार नये पूर्णांग रेडियो स्टेशन स्थापित किये गये।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पांडिचेरी, भुज और दमन में तीन और नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रभावी रूप से प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों से लाभ उठाने तथा उच्चस्तर के कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रायः रेडियो स्टेशन किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान के केन्द्रों में स्थापित किये जाते हैं। रेडियो स्टेशन स्थापित करते समय प्रसारण व्याप्ति की आवश्यकताओं तथा क्षेत्र की अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

एमर्जेन्सी कमीशन

१७४. श्री गुलशन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक एमर्जेन्सी कमीशन में कितने उम्मीदवार लिये गये हैं ; और

(ख) इन में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अभी तक कुल ७४२९ व्यक्तियों को कमीशन दिया गया है।

(ख) इन में से ३६ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। इस के अतिरिक्त ३६ अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को भी कमीशन दिया गया है।

पाकिस्तानी आक्रमण

१७५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ मई, १९६४ को पाकिस्तानियों का एक सशस्त्र दल नादिया जिले में करीमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के तेजपुर नामक स्थान में भारतीय क्षेत्र में घुस आया और भारतीय गश्ती दल पर आक्रमण किया ;

(ख) यदि हां, दोनों ओर से गोलियां चलने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) १२ मई, १९६४ को लगभग ४० पाकिस्तानी भालों, लाठियों आदि से सुसज्जित हो कर तेजपुर में भारतीय क्षेत्र में घुस आये और वहां से पशुओं को उठाने का प्रयत्न किया। हमारे तेजपुर बाह्य सीमा चौकी के गश्ती दल ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और शरारत करने वाले पाकिस्तानियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भारतीय गश्ती दल को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी।

(ख) शरारत करने वाले तीन पाकिस्तानी घायल हो गये। दो घायल व्यक्ति पाकिस्तान भाग गये और तीसरे को, जिसका नाम रहमान मण्डल है, करीमपुर स्वास्थ्य केन्द्र में लाया गया और बाद में उसे कृष्णनगर सदर अस्पताल में ले जाया गया जहां अभी तक उस का इलाज हो रहा है। भारतीय क्षेत्र की ओर कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता तथा भारत-पाकिस्तान पारपत्र नियमों के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है और उसे दोषारोप पत्र दिया जा रहा है। नादिया के जिलाधीश ने कुश्तिया के जिलाधीश को विरोधपत्र भेज दिया है। राज्य स्तर पर भी विरोधपत्र भेजने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्रमजीवी वर्ग निर्वाह व्यय देशनांक

१७६. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को श्रमजीवी वर्ग निर्वाह व्यय देशनांक के वैज्ञानिक आधार के प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां नियुक्त करना स्वीकार किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्) : (क) २१–२२ अप्रैल १९६४ को हुई श्रम सचिवों की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि वे राज्य सरकारें, जो पहिले ही उपभोक्ता मूल्य देशनांकों की अपनी मालाओं के बारे में विशेषज्ञ समितियां स्थापित कर चुकी हैं अथवा ऐसा करने का विचार कर रही हैं, वे अपने इन प्रस्तावों को कार्यरूप दे सकती हैं। ऐसी समितियां निम्नलिखित प्रश्न के बारे में जांच कर सकेंगी :

(१) पुरानी मालाओं में त्रुटियां, और

(२) पुरानी मालाओं में यदि कोई त्रुटियां रह गई हों तो उन्हें दूर करना।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता

१७७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों की अन्तरिम सहायता की उस मांग पर विचार कर लिया है जो उन्होंने दूसरे मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक के लिए की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्) : (क) और (ख). मांग को श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के पास भेज दिया गया है। बोर्ड से प्रार्थना की गई है कि वे इस मांग पर विचार करें और अपना दृष्टिकोण सरकार को दें।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में श्रमिक आयुक्त

१७८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैर-सरकारी उद्योगों में तथा ठेकेदारों के साथ काम करने वाले मजदूर श्रमिक आयुक्त के सामने अपनी शिकायतें नहीं रख सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक नियमित श्रमिक आयुक्त नियुक्त करने तथा नियमित श्रम विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकता में स्टेडियम के लिये भूमि

१७९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है जिस में उसने कलकत्ता में स्टेडियम बनाने के लिए भूमि देने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी भूमि दी जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

आकाशवाणी में 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव'

१८०. **श्री रामपुरे** :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६३ में प्रोग्राम एक्जीक्युटिव के १२३ पदों को भरने के लिए संघ लोग सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उन पदों के लिए अन्तिम रूप से कितने उम्मीदवार लिये गये ; और

(ग) इनमें विभागीय कितने उम्मीदवार हैं और क्या सरकार का शेष रिक्त पदों को भरने के लिए निकट भविष्य में कोई परीक्षा लेने का विचार है।

संसद-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) प्रोग्राम एक्जीक्युटिव के २३ स्थान तत्काल भरने तथा अगले १२ महीनों में स्वीकृति दिये जाने वाले पदों को नियुक्त करने के लिए १०० उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए मई, १९६३ में संघ लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा ली थी। बाद में विभिन्न रेडियो स्टेशनों के प्रोग्राम एक्जीक्युटिव्स के स्थानों का पुनर्विलोकन किया गया और उसके परिणामस्वरूप ४५ स्थानों के बारे में आयोग को अन्तिम रूप से सूचित किया गया और उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि अन्य ४६ नामों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाये ।

(ख) बयालीस

(ग) दस (जिसमें के पर काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्ट भी शामिल हैं) ।

दूसरी परीक्षा लेने के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

निवेली लिग्नाइट निगम में भविष्य निधि तथा बोनस

१८१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली लिग्नाइट निगम में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन पर कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, १९४८ लागू हो सकता है ; और

(ख) उन कर्मचारियों पर उपरोक्त अधिनियम कब तक लागू करने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्) : (क) निवेली लिग्नाइट निगम के कुछ एककों के कर्मचारियों पर कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, १९४८ और कुछ अन्य एककों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ लागू किया जा सकता है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि किन कर्मचारियों पर कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, १९४८ लागू किया जायेगा। निगम के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निगम की अपनी एक भविष्य निधि योजना है।

(ख) यथाशीघ्र।

"वीमन इन एम्प्लायमेन्ट" नामक पुस्तिका

१८२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग द्वारा इस बीच "वीमन इन एम्प्लायमेंट" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी कब तक प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग). "वीमन इनएम्प्लायमेंट" नामक पुस्तिका के इस महीने के अन्त तक प्रकाशित किये जाने की आशा है।

आकाशवाणी के कार्यक्रम

१८३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषा-वार समस्त चौदह भाषाओं के आकाशवाणी से दैनिक अथवा साप्ताहिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या विभिन्न सांस्कृतिक अथवा धार्मिक छुट्टियों के दिन प्रत्येक भाषा में विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कोई समय दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को मैसूर राज्य के लोगों की ओर से कन्नड़ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अधिक समय निर्धारित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवसरों पर प्रत्येक अवसर के महत्व को दृष्टि में रखते हुए सभी भाषाओं में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिग कारखाने

१८४. **श्री धवन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मिग कारखानों की स्थापना सम्बन्धी कार्य में तेजी लाने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल रूस का दौरा करने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नासिक तथा कोरापट के दो कारखानों के लिए परियोजना प्रतिवेदन पूरे हो गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :(क) जी, हां । रूस को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल के रूस के दौरे की तिथि अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गई है।

(ग) जी हां ।

क्युमितांग चीन के पारपत्र वाले चीनी नागरिक

१८५. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्युमितांग चीन के पारपत्र वाले पर्यटकों को, यदि वे भारत का भ्रमण करना चाहें, पारपत्र सम्बन्धी सुविधाएं किस प्रकार दी जाती हैं ; और

(ख) यदि क्युमितांग चीन के नागरिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आना चाहते हैं तो क्या भारत सरकार ने उनको भारत आने के लिए पारपत्र देने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की हुई है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) क्युमितांग चीन के पारपत्रधारी पर्यटकों को भारत आने के लिए पारपत्र सम्बन्धी सुविधायें नहीं दी जाती हैं ।

(ख) चीनी (फारमूसा के) नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी विशेष एजसियों द्वारा आ ोजित सम्मेलनों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए भारत आने की अनुमति है। ऐसे मामलों में पारपत्र शपथ पत्रों के आ ार पर दिये जाते हैं।

नैमित्तिक श्रमिक

१८६. **श्री प्रियगुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के विभागों जिनमें रेलवे भी शामिल है में नियुक्त किये गये नैमित्तिक श्रमिकों के मजूरी दरों, जो कि उनके निर्वाह व्यय के अनुसार लगभग पांच वर्ष पहले निर्धारित किये गये थे, का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ५ (१) (क) के अन्तर्गत स्थापित संयुक्त निर्धारण तथा पुनरीक्षण समिति ने, अपनी २७ अप्रैल, १९६४ की ैठक में, विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों जैसे रेलें, प्रतिरक्षा, परिवहन, निर्माण और आवास, सूचना और प्रसारण आदि द्वारा पत्थर तोड़ने तथा पत्थर कूटने, सड़कों के निर्माण तथा संधारण तथा भवन निर्माण कार्यों में लगाये गये श्रमिकों की मजूरी के पुनरीक्षण सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

१८७. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने प्रति व्यक्ति ३ एकड़ अथवा उससे कम कृषि ूमि के सही आंकड़े एकत्रित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वैदशिक-कार्य मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री नन्दा): (क) राष्ट्रीय नमूना स ेक्षण द्वारा प्रति व्यक्ति के आधार पर कृषि भूमि के आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते हैं परन्तु तीन एकड़ से कम कृषि भूमि पर खेती करने वाले भुमि-धारी परिवारों की अनुमानित संख्या के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है।

(ख) तीन एकड़ से कम भूमि पर खेती करने वाले भूमिधारी परिवारों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	दस लाख में संख्या	
	जुलाई १९५४ से अप्रैल, १९५५	जुलाई, १९६० से जून १९६१
१. ३ एकड़ से कम वाली जोतें . . .	३७.७	४२.४
२. ३ एकड़ से कम वाली स्वामित्व प्राप्त जोतें .	४१.७	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आकाशवाणी में 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव'

१८८. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के एक केन्द्र में एक 'प्रोग्राम एक्जीक्युटिव' को सामान्यतया कितने समय के लिये रखा जाता है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जो पिछले चार वर्षों से अधिक से लगातार दिल्ली में काम करते रहे हैं ?

संसद-कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) सामान्यतया, आकाशवाणी में एक 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव' को पांच वर्ष से अधिक एक केन्द्र में काम करने की अनुमति नहीं है फिर भी एक केन्द्र में उसका सेवाकाल मुख्यतया सेवा की आवश्यकताओं जैसे उस केन्द्र की कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं, किसी विशेष कार्यक्रम के लिए उस व्यक्ति की विशेष आवश्यकता, उसके भाषा सम्बन्धी ज्ञान, आदि पर निर्भर करता है।

(ख) १९।

बेतर बांध क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

१८९. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिक पुंछ में बेतर बांध के निकट भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आये और भारतीय भूमि पर कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय नागरिक को झरने से पानी भी लाने नहीं दिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को इस बारे में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस विरोध पत्र का क्या उत्तर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी हाँ। १८ मई, १९६४ को पाकिस्तानी सैनिकों ने ३ भारतीय असैनिक कर्मचारियों को, जो पुंछ के लगभग ३ मील उत्तर में बेतर बांध क्षेत्र में झरने से पानी भर रहे थे हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको पीटा और झरने से पानी न भरने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद, पाकिस्तानी सैनिकों ने उसी क्षेत्र में हमारे असैनिक कर्मचारियों पर एक गोली चलाई।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास युद्धविराम सीमा के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायत भेजी दर्ज की गई। एक संयुक्त राष्ट्र अधिकारी इस मामले की छान बीन करने के लिये घटना स्थल पर गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

विदेशों में दलाई लामा के कार्यालय

१९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने भारत के बाहर कार्यालय खोलने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां। दलाई लामा ने एक या दो देशों में अपने निजी प्रतिनिधियों के कार्यालय खोलने की इच्छा व्यक्त की है। भारत सरकार ने उन्हें बता दिया है कि इस मामले पर विचार किया जायेगा।

भारत में निवासी राज्यविहीन चीनी

१९०-ख. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राज्यविहीन" घोषित किये गये व्यक्तियों में से सरकार भारत में निवासी क्युमिंतांग चीन तथा साम्यवादी चीन के नागरिकों में किस आधार पर भेद करती है ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस मामले में हाल ही में क्युमिंतांग चीन समर्थक ओवरसीज चाइनीज ऐसोसियेशन आफ इंडिया की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जहां तक राज्यविहीन चीनी नागरिकों का प्रश्न है, भारत में निवासी क्युमिंतांग तथा साम्यवादी चीनियों में भेद करना सम्भव नहीं है क्योंकि उनके पास उनकी राजनीतिक निष्ठा दिखाने वाले दस्तावेज नहीं हैं। चीनी उद्भव के व्यक्तियों से व्यवहार करने सम्बन्धी सरकारी नीति अपनाते समय केवल देश की सुरक्षा का ही ध्यान रखा जाता है।

(ख) भारत सरकार को ओवरसीज चाइनीज ऐसोसिएशन आफ इंडिया की ओर से हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) इस अभ्यावेदन में उल्लिखित विभिन्न बातों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का अध्ययन दल

१९०-ग. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग शीघ्र ही पूर्वी पाकिस्तान से भारत में शरणार्थियों के सामूहिक आगमन के कारणों का अध्ययन करने के लिये अपने कुछ तटस्थ विधिवेत्ता सदस्य नि क्त करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग तथा भारत सरकार के बीच कुछ प्रारम्भिक बातचीत हुई है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय आय

१९०-घ. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाता है। इन आंकड़ों में सुधार करने की संभावनाओं की कई अध्ययनों द्वारा, जो लगभग इस वर्ष के अंत तक पूरे हो जायेंगे, पूरी लगन से खोज की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTFR OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत–चीन सीमा विवाद

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर-उत्तर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"चीन द्वारा विसैन्यीकृत क्षेत्र में चौकियां न रखने के आधार पर बातचीत संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कथित सूचना ।"

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): १३ अप्रैल को अनुदानों की मांग के संबंध में उत्तर देते हुए हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में असैनिक चौकियों के बारे में जिक्र किया था। चौकियों का यह सवाल इस लिये खड़ा हुआ था कि चीनियों ने कोलम्बो प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। सदन को याद होगा कि कोलम्बो प्रस्तावों के विषय में चीनियों को दो शर्तों में से एक यह थी कि इस विसैन्यीकृत क्षेत्र में चीनी अपनी कथित असैनिक चौकियां रखेंगे लेकिन इस क्षेत्र में कोई भारतीय असैनिक चौकी नहीं होगी। चूंकि कोलम्बो प्रस्तावों पर गतिरोध मुख्यतया चीनियों के इस एतराज पर केन्द्रित था, इसलिये भरत और चीन, दोनों के मित्र पक्षों ने इस बात की कोशिश की कि कोलम्बो प्रस्तावों के आशय से दूर हटे बिना कोई रास्ता निकाला जाय ।

१३ अप्रैल को सदन को यह सूचना दी गई थी कि श्रीमती बंदारनायक ने अपने हाल ही के एक पत्र में हम से पूछा था कि अगर विसैन्यीकृत क्षेत्र से सारी चीनी चौकियां हटा ली जायें तो क्या हम इसे कोलम्बो प्रस्तावों की पूर्ति मान लेंगे । पिछली गर्मियों में लार्ड रसेल के जो दो प्रतिनिधि यहां आ कर स्वर्गीय प्रधान मंत्री से मिले थे, उन्हों ने इसी विचार का समर्थन किया था। लार्ड रसेल के प्रतिनिधियों को और श्रीमती बंदारनायक को भी यह सूचना दे दी गई थी कि अगर चीन उचित रूप से इस बात को रख तो हम इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। इस प्रश्न पर हमारी स्थिति में कोई परवर्तन नहीं हुआ है। हम ने घोषणा की है कि हम सीमा प्रश्न को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिये हल करने को तैयार हैं। हम ने कोलम्बो स्तावों की सिफारिशों को कोई शर्त लगाए बगैर स्वीकार कर के अपनी तत्परता प्रदर्शित कर दी है ।

इस विषय में पेकिंग से जो वक्तव्य निकले हैं, वे उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। माननीय सदस्यों ने चौकियों को हटाने के प्रश्न पर न्यु चाइना न्युज एजेंसी द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में रिपोर्ट देखी होंगी। । इस सुझाव को "दोनों देशों के बीच बातचीत करने की पहली शर्त" कहा गया है और यह भी कि यह सुझाव "कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर सीधी बातचीत करने के विरुद्ध भारत के कठोर रवैय्ये पर पर्दा डालने की कोशिश" है। अगर न्यू चाइना न्यूज एजेंसी की टिप्पणी चीन सरकार के निश्चित मत का प्रतिनिधित्व करती है तो यह स्पष्ट है कि अपनी कथनी और करनी में अन्तर होने के बावजूद चीन न तो कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी रखता है और न फिलहाल भारत के साथ सीधी बातचीत करने में ही ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या पेकिंग में हमारे कार्यदूत ने चीन के प्रधान मंत्री से मिल कर इस प्रस्ताव के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इस नये प्रस्ताव से हमारी मूल नीति पर कोई प्रभाव पड़ता है और उस का तात्पर्य क्या है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि बताया जा चुका है न्यू चाईना न्यूज़ एजैन्सी ने हमारी ओर से किसी ऐसे सुझाव पर विचार किये जाने के बारे में असहमति प्रकट की है। जहां तक इस प्रस्ताव के तात्पर्य का संबंध है यदि चीन उस क्षेत्र से अपनी सात चौकियां हटा लेता है और हमारी कोई चौकी वहां पर है नहीं, तो इस से दोनों पक्ष एक स्तर पर आ जायेंगे ।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : क्या भारत सरकार की मूल नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं।

लोक-सभा में साम्यवादी दल के नेतृत्व के बारे में

Re : LEADERSHIP OF COMMUNIST GROUP IN LOK SABHA

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलियां अर्पित करते समय आप ने साम्यवादी दल के उप नेता को बुलाया जब कि इस दल के नेता श्री अ० क० गोपालन यहां उपस्थित थे । क्या आपने इस नेता को दी गयी मान्यता को वापस ले लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि मुझे जिसे मैं चाहूं उसे बुलाने का अधिकार है। दूसरे ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवादी दल दो भागों में बट गया है। परन्तु इस दल के सदस्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते।

परन्तु कठिनाई इस कारण पैदा होती है कि श्री वासुदेवन नायर ने मुझे लिखा कि दल की बैठक में श्री अ० क० गोपालन के स्थान पर श्री ही० ना० मुकर्जी को चुना गया, जब कि श्री नम्बियार ने लिखा कि वह बैठक ही असांवैधानिक थी । परन्तु बैठक सांवैधानिक थी अथवा असांवैधानिक इस बारे में निर्णय न्यायालय कर सकता है, मैं नहीं कर सकता ।

मैं ने दल के सचिव और ह्विप को लिखा कि इस बारे में सदस्यों की राय जान कर स्थिति स्पष्ट की जाय । परन्तु वह आग्रह करते हैं कि सदस्यों की राय मैं जानूं । इसलिये मेरे लिये दल के सदस्यों की राय जानना जरूरी हो गया है । मैं जांच कर रहा हूं और इस जांच के पूरा हो जाने पर अन्तिम निर्णय की घोषणा करूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ५४५ ।

(दो) दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ५९६ जिसमें सीमा-शुल्क बाण्ड में निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, १९६४ दर्ज है ।

(तीन) दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ६०० ।

(चार) दिनांक १७ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ६३७ ।

(पांच) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९३ ।

(छै) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९४ ।

(सात) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९५ ।

(आठ) दिनांक २ मई, १९६४ का जी० एस० आर० ६९६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० २८९६/६४]

(२) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) दिनांक २१ मार्च, १९६४ का जी० एस० आर० ४९१ ।

(दो) दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ५९७ ।

(तीन) दिनांक ११ अप्रैल, १९६४ का जी० एस० आर० ५९८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० २८९७/६४]

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ११ अप्रल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९९ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८९८/६४]

(४) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १७ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४२

में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८९९/६४]

(५) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या २/६४, जिसमें भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों की अनुसूची 'ग' और 'घ' के संशोधन दर्ज हैं, की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २९००/६४]

विधेयक पर रायें

OPINIONS ON BILL

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक, जो सभा के निदेश से १३ सितम्बर, १९६३ को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, के बारे में पत्र संख्या ३ सभा पटल पर रखती हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

उन्सठवां तथा साठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गह (बारसाट) : मैं उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(१) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयात का कार्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६२वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी उन्सठवां प्रतिवेदन (भाग १) ।

(२) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६३वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी साठवां प्रतिवेदन (भाग २) ।

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक—१९६४

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मेरा अनुरोध है कि स्थायी सरकार के बनने तक और प्रधान मंत्री के विधिवत रूप से चुने जाने तक इस महत्वपूर्ण विधान को मुलतवी रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मेरी शक्ति से परे है।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : मेरा अनुरोध है कि इस समय देश शोकग्रस्त है और नयी सरकार बनने वाली है इसलिये इस विवादास्पद संशोधन को इस समय पारित न किया जाय।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : संविधान में स्थायी अथवा अस्थायी सरकार सम्बन्धी उल्लेख नहीं पाया जाता। जो विधान पुरःस्थापित किया गया है उसे पारित करना और कार्यान्वित करना सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं ने अनुरोध किया था कि इस विधेयक के लिये समय बढ़ा कर दस घंटे कर दिया जाय परन्तु अब इस पर केवल तीन घंटे ही चर्चा होगी। इस बारे में कार्य-मंत्रणा समिति से भी परामर्श नहीं किया गया। मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इस का समय बढ़ाया जाय। पिछली बार जब इसी विधेयक पर चर्चा हुई थी तब से अब तक कई घटनायें घट चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद संशोधन है। मैं चेतावनी देता हूं कि देश में यह धारणा बनने न दी जाय कि इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : इस विधयक में एक अनुसूची ६३ अधिनियमों की है इसलिये इस का अच्छी प्रकार से अध्ययन करने और इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। मेरा भी अनुरोध है कि इस पर चर्चा के लिये समय बढ़ा कर दस घंटे कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर सामान्य चर्चा ८ घंटे तक हो चुकी है। श्री रंगा इस विधयक का विरोध करना चाहते हैं। मैं स्वयं नहीं चाहता कि कोई कह सके कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन सदस्यों को जो इसका विरोध करना चाहते हैं मैं उतना ही समय दूंगा जितना कि उन्हें उस सूरत में मिल सकता था यदि इसका समय १० घंटे होता। मैं उन्हें पूरा समय दूंगा और वह समय कांग्रस दल के समय में से निकाल लिया जायगा। जो सदस्य विरोध करना चाहते हैं उन्हें पर्याप्त समय दिया जायगा।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : संविधान का उन्नीसवां संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया है और उसी पर सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। यदि बाद में इसे सत्रहवां संशोधन विधेयक नाम देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया गया तो कठिनाई उत्पन्न होगी।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि इससे क्या अन्तर होता है।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। संयुक्त समिति में भी इसके प्रत्येक अधिनियम का अध्ययन किया गया। पिछली बार यह विधेयक इसलिये अस्वीकृत हुआ चूंकि उल्लिखित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं थे। परन्तु हम ने देश को वचन दे रखा ह कि सभी राज्यों में भूमि सुधार विधान पारित किये जायेंगे और इस काम में कोई बाधा नहीं आने दी जायगी।

कुछ क्षेत्रों में 'सम्पदा' शब्द का बहुत सीमित अर्थ लगाया गया और रयतवाड़ी बन्दोबस्त के लिये भूमि सुधार सम्बन्धी विधान लागू करना असम्भव हो गया है। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रैयतवाड़ी बन्दोबस्त को भूमि सुधार विधान के अन्तर्गत लाया जा चुका है। इसलिये, इस संशोधन विधेयक के दो उद्देश्य हैं : एक तो यह कि 'सम्पदा' शब्द की परिभाषा को अधिक विस्तृत किया जाय और दूसरे, कुछ अधिनियम इस कारण रद्द किये गये हैं कि इन से संविधान के अनुच्छेद १९ और १४ का उल्लंघन होता है। इस त्रुटि को दूर किया जाना भी वांछनीय है। इस विधेयक द्वारा यही उद्देश्य पूरे होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को २९ अगस्त, १९६४ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री रंगा : आप कृपा कर के हमें एक घंटे का समय और देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जितना समय माननीय सदस्य चाहते हैं उन्हें दिया जायगा। इस बारे में किसी सदस्य को शिकायत नहीं होगी।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): एक मास पूर्व यही विधेयक सभा द्वारा अस्वीकार किया गया था। तब समाचारपत्रों ने, विशेषकर हिन्दू ने टिप्पण दिया था कि इसके अस्वीकृत होने पर देश में काफी राहत का अनुभव किया गया। जनता की यही राय है कि इस विधेयक को पारित न किया जाय। परन्तु २७ मई को उसे फिर पुर:स्थापित किया गया। यह विधेयक अप-शकुन वाला है। उसी दिन एक अत्यन्त दुखद घटना देश में हुई। परन्तु खेद का विषय ह कि इसके बावजूद भी देश के किसानों के इस विधान के प्रति विदधि की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

विधि मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि काश्तकार भूमि का स्वामी बन सके। परन्तु वास्तव में इसके परिणामस्वरूप किसान भूमि से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य देशों में भी भू-धारण सम्बन्धी सीमायें हैं परन्तु वहां किसानों को उचित मुआवजा दिया जाता है। जापान में एक किसान २ एकड़ भमि रख सकता है परन्य वहां किसानों को मुआवजे से वंचित नहीं रखा गया। इसी प्रकार राष्ट्रवादी चीन में भू-धारण की सीमा ७ एकड़ प्रति व्यक्ति है परन्तु जिन किसानों से वहां भूमि ली गई उन्हें पूरा मुआवजा दिया गया। इसी के कारण ताय वान में संसार भर की अपेक्षा अधिक चावल पैदा होता है और जापान का नम्बर चावल के उत्पादन में दूसरा है।

[श्री मी० रु० मसानी]

इसलिये, इस विधेयक का उद्देश्य गैर-सरकार भू-स्वामियों के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करना है ।

इस विधेयक की अनुसूची का भूमि सुधारों से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं उस सिलसिले में दो उदाहरण दूंगा । गुजरात उत्तरजीवी अन्य-संक्रामण उत्पादन अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है इस विधेयक द्वारा उस प्रतिकर को कम किया जा रहा है । इसी प्रकार मसूर ग्रामीण कार्यालय उत्पादन अधिनियम, १९६१ द्वारा ग्रामीण कार्यालयों, ग्रामीण लेखापालकों आदि को अधिकार दिया गया है । इस संशोधन द्वारा उस अधिकार का क्यों हरण किया जा रहा है ? इस संशोधन का भूमि सुधार से क्या सम्बन्ध है ? इसीलिये मेरा कहना है कि इस विधान का भूमि सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

'सम्पदा' शब्द की परिभाषा सम्बन्धी एक अजीब सा खंड २(२) है । इसका असर काश्तकारों और कृषि श्रमिकों पर पड़ता है बड़े बड़े जमींदारों पर नहीं । किसी काश्तकार की एक या दो एकड़ भूमि को 'सम्पत्ति' नहीं कहा जा सकता । 'सम्पदा' का अर्थ तो बड़ा फार्म या बड़ी सम्पत्ति होता है । इस विधेयक का उद्देश्य काश्तकार को जमींदार का नाम देकर उसे समाप्त करना है । ऐसी बातें पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी राज्य में तो उचित लगती होंगी, संसार के प्रमुख जनतंत्र में नहीं ।

यदि इस खण्ड को स्वीकार कर लिया गया तो छोटे छोटे किसान सदा के लिए सरकारी अधिकारियों और सरकार के रहम पर हो जायेंगे । इस बारे में मेरा निवेदन है कि खण्ड २(२) में दी गई शब्द 'सम्पदा' की परिभाषा से यह पता चलता है कि विधेयक में बड़े बड़े जागीरदारों पर प्रहार नहीं किया गया है, किन्तु जिन वर्गों पर प्रहार है वह हैं भूमि को जोतने वाले लोग, कृषि, मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर । 'किसी भी विधि के अधीन जो उस समय प्रभावी हों' शब्दों का अर्थ है कि इससे कोई भी राज्य सरकार भूमि की अधिकतम सीमा को कम कर सकेगी । मेरे विचार में यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है । इस विधेयक का मतलब यह भी लिया जा सकता है कि नागपुर प्रस्ताव जो कि अपनी इच्छा से सामूहिक खेती करने पर था नितान्त असफल हो गया है । और आज दमन के रूप में इस संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया जा रहा है । नागपुर प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत में ३ वष में सामूहिक खेती का कार्यक्रम चलाने के लिए लोग अपनी इच्छा से आगे आयेंगे । मेरे विचार में ३ या ३० वष में भी इस दिशा में सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि किसान अपनी जमीन से प्यार करता है । इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण ऐसा नहीं है जहां कि किसानों ने अपनी मर्जी से सामूहिक खेती के लिए अपनी धरती दे दी हो]

इस संशोधन द्वारा किसानों को सामहिक खेती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया जायेगा । उसकी जमीन ले ली जायेगी और वह बेचारा अदालत में नहीं जा सकेगा । यह लोकतन्त्र की बात नहीं कही जा सकती । यह तो तानाशाही है । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को उन संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए जिनमें कहा गया है कि विद्यमान अधिकतम सीमा की गारन्टी बनी रहेगी । जिन देशों ने भी सरकारी तथा सामूहिक खेती को कराने का प्रयत्न किया है वे बुरी तरह असफल हुए हैं । हमारे देश में भी सरकार को इसी प्रकार की असफलता मिली है । अब हमारी सरकार अथवा कांग्रस दल किसानों का प्रतिनिधि नहीं रह गया है ।

मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि पांच कारणों से मैं इस विधेयक का विरोधी हूं। प्रथम बात यह है कि यह संसद इसको पास नहीं कर सकती। १९६२ के आम चुनाव में इस मामले को चुनाव घोषणा पत्र में नहीं दिया गया। अतः इसे अब पारित करना अवैध भी है। वैसे भी बिना सुझावजा दिये भमि ले लेना कोई नैतिक बात नहीं कही जा सकती। केवल थोड़े से बहुमत से भी इस प्रकार का विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिये। मेरा यह दावा है कि आज इस सदन के ७० प्रतिशत सदस्य कांग्रेसी हैं और वह अब जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे हैं। उन्होंने १९६२ के आम चुनाव में ४४.७२ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे क्या ४५ प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त करने वाला कांग्रेस दल इस प्रकार का विधेयक पारित करने का अधिकार रखता है। इसी लिए तो मैं कहता हूं कि लोक सभा नैतिक दृष्टि से इस विधेयक को पारित नहीं कर सकती। परन्तु खेद की बात है कि वह आज अपनी अस्थायी बहुमत की स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही है।

दूसरी बात जिसके कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं वह यह है कि इस संशोधन में न्यायपालिका के प्रति नितान्त अनादर भाव व्यक्त किया गया है। अदालतों द्वारा जो न्याय देशवासियों को मिल सकता है उन्हें इस विधेयक द्वारा वंचित करने का प्रयत्न किया गया है। हमारे देश की सब से बड़ी अदालत ने यह घोषित किया है कि इस तरह का विधान अवैध और अनैतिक है। परन्तु फिर भी हम नियमों के हेर फेर करके देश को धोखा देने जा रहे हैं। परिवर्तन करके हम अवैध बात को वैध बना रहे हैं। मुझे आशा करनी चाहिए कि अभी हाल जो नयी सरकार बनेगी वह कुछ इस समस्या के प्रति ज्यादा जागरूक होगी और अदालतों के प्रति अनादर का भाव दिखाने की परम्परा को हटाने का प्रयत्न करेगी।

देश द्वारा किसान को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिये और उनकी भूमि उन से नहीं लेनी चाहिये। अधिकांश भारतीय इस विधेयक का विरोध करते हैं अतः सदन को इस विधेयक को स्वीकार नहीं करना चाहिये। देश के किसान इसका विरोध करेंग। जून १९५१ में तत्कालीन विधि मंत्री डा० अम्बेदकर ने आश्वासन दिया था कि रैयतवाड़ी किसानों से उनकी भूमि के लेने के लिये अनुच्छेद ३१-क का उपयोग नहीं किया जायेगा। वह आश्वासन आज तोड़ा जा रहा है। किसान स्वेच्छापूर्वक सहकारी खेती में सम्मिलित नहीं हुए और विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये किये गये सरकारी प्रयत्न का विरोध करेंगे।

अन्त में मेरा कहना यह है कि सरकार ने मतदाताओं को धोखा दिया है। और जो वचन उन्हें दिया गया था उनको भंग किया जा रहा है हमारा दल १९५९ में किसानों और उनकी भूमि की विशेष रूप से रक्षा करने से ही स्थापित किया गया था। वास्तव में दल की स्थापना नागपुर प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ही की गई थी। हमने सामूहिक खेती का विरोध किया है। मेरे विचार में यदि सरकार ने इस विधेयक को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया तो गड़बड़ हो जाने की संभावना है। कानून बदला जा सकता है परन्तु लोगों के दिलों को नहीं बदला जा सकता। अतः मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वह समय रहते चेत जाये।

श्री अ० क० गोपालन (केसर गोड़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ ही संयुक्त समिति ने जो कुछ किया है उसके प्रति अपना विरोध प्रगट करता हूं कहा गया है कि यह परस्पर विरोधी विधान है। मेरा निवदन है कि जब तक इस देश में और समाज में परस्पर विरोधी परिस्थितियां रहेगी तो विधान भी परस्पर विरोधी होंगे ही। प्रश्न बड़ा सीधा है क्या आप प्रगति का समथन करेंगे अथवा प्रतिक्रियावाद का। जो लोग प्रगतिशील विचारधारा के

[श्री अ० क० गोपालन]

हैं उन्हें तो इसका समर्थन करना ही पड़ेगा। जो लोग प्रगति और समाजवाद में विश्वास नहीं रखते वह ज़रूर इसका विरोध क रे।

नवीं अनुसूची के सभी अधिनियम किसानों को राहत नहीं देते और उन अधिनियमों में अनेक त्रटियां हैं। केरल भूमि सम्बन्ध अधिनियम के स्थान पर जो साम्यवादी सरकार द्वारा पारित किया गया था, नवीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम रखा गया है। बाद वाला अधिनियम भस्वामियों और केन्द्रीय सरकार के दबाव के अधीन आ कर केरल सरकार द्वारा पारित किया गया था। वह केरल भूमि सम्बन्ध अधिनियम द्वारा खेतिहरों को दिये गये अधिकारों को छीन लेता है। इसके बावजूद विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह खेतिहरों को कुछ लाभ पहुंचाता है और भू-स्वामियों को न्यायालयों में जाने से रोकता ह। समिति द्वारा विधेयक की अनुसूची से कुछ अधिनियमों को निकाला जाना वांछनीय नहीं है।

वास्तविक भूमि सम्बन्धी सुधार वही कहा जा सकता है जिससे देश के छोटे छोटे तथा भूमि-हीन किसानों को लाभ पहुंचे तथा उनके हितों की रक्षा हो सके। किन्तु प्रस्तुत विधेयक में अनेक त्रटियां रह जाने के कारण इससे किसानों को अधिक लाभ नहीं पहुंच पायेगा।

जहां तक केरल भूमि सुधार सम्बन्धी कानून का सम्बन्ध है नये अधिनियम के अनुसार बहुत से मामलों में भू-स्वामियों को उपरिसीमा के क्षेत्र से बाहर रखा गया। यह विधान में एक बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है। इस त्रुटि का सहारा लेकर अधिकांश भू-स्वामी उपरिसीमा सम्बन्धी मामलों में कानून की पकड़ में नहीं आते हैं।

वास्तव में नवीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम, जो साम्यवादी सरकार ने पास किया था, रखा जाना चाहिए था किन्तु इसमें नया अधिनियम, जो भू-स्वामियों और केन्द्रीय सरकार के दबाव में आकर पारित किया गया था, रखा गया है। इससे किसानों को अधिक लाभ होने की आशा नहीं है क्योंकि यह पहिले वाले अधिनियम द्वारा किसानों को दिये गये बहुत से अधिकारों को छीन लेता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भूमिहीन तथा छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं चाहती है। यह समाजवाद की ओर बढ़ने का कोई उचित तरीका नहीं है।

इसे नवीं अनुसूची में शामिल करने का विरोध करने के बावजूद भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे किसानों को थोड़ी राहत तो मिलती है और यह विधेयक भू-स्वामियों को न्यायालयों में जाने से रोकता है।

संयुक्त समिति द्वारा विधेयक की अनुसूची में से अन्य अनेक अधिनियमों को नहीं निकाला जाना चाहिए था क्योंकि इन से किसानों को संरक्षण मिलता था।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार हुई घटना को देखते हुए हम इस पर चर्चा के लिये कोई समय निर्धारित कर लें ताकि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सरकार इसके लिये ३ घंटे समय निर्धारित करने के लिये सहमत हो गई है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री रंगा ने मुझ से इस समय को बढ़ा कर ५ घंटे करने को कहा है। यदि मैं समय एक घंटे बढ़ा कर चार घंटे कर दूं तो हमें इसे सामान्य चर्चा, खंडवार चर्चा तथा यदि संभव हुआ तो, तृतीय वाचन के लिये बांटना होगा।

श्री रंगा : मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। मत विभाजन ही आधा घंटा समय ले लेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : पहिले मुझे बताया गया था कि स्वतन्त्र पार्टी की ओर से केवल एक वक्ता श्री मसानी ही हैं। अब पता चला है कि एक और सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं मैं उन्हें भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री रंगा : स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त और भी दलों के सदस्य हैं जो विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री रंगा : आप और अधिक समय बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ४ घंटे का समय काफी होगा। इसमें से तीन घंटे सामान्य चर्चा तथा एक घंटा खंडवार विचार करने के लिये निर्धारित किया जायेगा। मत विभाजन ३.४५ बजे मध्यान्ह पश्चात् होगा। अतः मैं ३.३० बजे मध्यान्ह पश्चात माननीय मंत्री को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री रंगा : मुझे आशा है कि तृतीय वाचन के लिए काफी समय बचेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं तीसरे वाचन में माननीय सदस्य को बोलने का समय दूंगा।

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दवान) : प्रस्तुत विधेयक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक के अधिकतर विरोध का लोगों को इसके प्रति पैदा हुई भ्रान्ति है। मैं जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप यह विधेयक लाया जा रहा है। इसे नवीं सूची में जोड़ने का अर्थ यह होगा कि मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर यह कुर्क नहीं की जा सकेगी। किन्तु यदि विधायी क्षमता का अन्तर्निहित अभाव हो, तो उसे संविधान की नवीं अनुसूची में जोड़ देने से ही विधिमान्य नहीं बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार कोई भी कानून जो मूलभूत अधिकारों का हनन करता है विधिमान्य नहीं हो सकता है।

एक अधिनियम, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के प्रति कपटपूर्ण घोषित कर दिया है, उसे फिर एक अधिनियम के रूप में वैध नहीं माना जा सकता।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : उसे विधिमान्य नहीं बनाया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : विधिमान्य बनाया जाने वाला विधेयक उसी श्रेणी का है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : श्री नि० चं० चटर्जी जिसका उल्लेख कर रहे हैं उसे वैध नहीं बनाया जा रहा है। संयुक्त समिति ने इस पर विचार करने के बाद अनुसूची से निकाल दिया है।

श्री नि० चं० चटर्जी : यह अच्छी बात है कि इसे अनुसूची से निकाल दिया गया है किन्तु इसमें इसी प्रकार के अन्य कानून भी हैं जो कटु आलोचना के योग्य हैं। प्राचीन

[श्री नि० चं० चटर्जी]

काल में ग्राम समुदाय सम्पत्ति का मालिक होता था। हिन्दू विधिशास्त्र के अनुसार सामूहिक सम्पत्ति को महत्व दिया गया है। नवीन आर्थिक व्यवस्था के अनुसार सम्पत्ति को जन साधारण के लाभ की दृष्टि से सामाजिक नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। दूसरे देशों के संविधान के अनुसरण में भी सम्पत्ति करारोपण, प्रमुख भू-सम्पदा तथा अन्य बातों के अधीन होना चाहिए।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि केरल विधान के बारे में लोगों में भ्रान्ति है। राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मद्रास का कुछ भाग केरल राज्य में आ गया था केरल राज्य के विधान को वैधमान्यता देने के लिए सरकार ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। उच्चतम न्यायालय ने तो केवल यह कहा था कि यह उस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है जो मद्रास से केरल में आगया है। इसमें संविधान के साथ कपट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार को इससे नियमित रूप से लागू करने के लिए औपचारिक कार्यवाही करनी चाहिए थी।

प्रस्तुत विधेयक में 'सम्पत्ति' की परिभाषा को, जिसमें रैयतवाड़ी भूमि भी शामिल है, व्यापक बनाने की व्यवस्था की गई है।

कुछ माननीय सदस्यों का यह अर्थ लगाना कि इस विधेयक द्वारा रैयतवाड़ी भूमि को अनुचित ढंग से जब्त करने का प्रयत्न किया गया है, बिल्कुल निराधार है। सरकार केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा बतायी गई त्रुटि को सुधारना चाहती है जिससे यह कानून उस क्षेत्र विशेष में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*}

विधेयक के अनुच्छेद ३१-क के खंड (१) में प्रस्तावित नया संशोधन बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। प्रवर समिति इस संशोधन के लिये बधाई की पात्र है। इससे किसानों को काफी सीमा तक संरक्षण मिल सकेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य विधेयक का समर्थन करें। डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने विधेयक की कमी को दूर करने के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इससे उच्चतम सीमा की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): प्रस्तुत विधेयक पर हमें, विभिन्न देशों के भूमि संबंधी सुधारों को देखते हुए विचार करना चाहिए। आज संसार में वे परिस्थितियां नहीं रही हैं जो आज से २५ वर्ष पहिले।

यह सराहनीय बात है कि देश स्वतंत्र होने के बाद हम में भूमि संबंधी सुधार करने की भावना उत्पन्न हुई। भूमि सुधार संबंधी कार्य जमींदारी तथा विचौलियों को समाप्त करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। इस कार्य को सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

वर्ष १९५१ में जब संविधान में भूमि संबंधी सुधार की दृष्टि से पहला संशोधन किया गया, कोई यह नहीं जानता था कि इस संशोधन के पीछे यह भी उद्देश्य छिपा हुआ है कि रैयतवाड़ी प्रथा को भी समाप्त किया जायेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध काश्तकार किसानों के स्वामित्व से है इसलिए सरकार को इस व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्य में कुछ भू-स्वामी रैयत की श्रेणी में रखे गये हैं। किन्तु वास्तव में वे जमींदारों के समान हैं। परन्तु कानून किसी स्थान पर पाई जाने वाली छोटी मोटी बुराई को ही नहीं अपितु सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये बनाया जाता है।

हम यह विधेयक लाकर दूरदर्शिता का परिचय नहीं दे रहे हैं। हम यह मानते हैं कि इस समय किसी व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि हो सकती है। किन्तु कुछ समय बाद हिन्दुओं की परम्परा के अनुसार वह भूमि भाइयों में आपस में बंट जायेगी। इस प्रकार उनके पास गुजारे लायक भूमि भी नहीं रह जायेगी। हिन्दू समाज आदर्श सहधर्मता व्यवस्था के लिए संसार भर में विख्यात है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर हिन्दू परम्परा पर कुठाराघात होगा।

आज प्रायः यह सुनने को मिलता है कि सम्पूर्ण भूमि पर सरकार का स्वामित्व है, जब कि भारत में प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा के अनुसार भूमि का स्वामी किसान माना जाता है क्योंकि वह मेहनत करके उसमें अन्न पैदा करता है। अतः इस परम्परा का आदर किया जाना चाहिए और इसकी पवित्रता को बनाये रखना चाहिए। किसान केवल इसी प्रेरणा और उत्साह के साथ काम करता है कि वह भूमि का मालिक है। यदि वह सोचने लगे कि वह केवल एक मजदूर की हैसियत से भूमि में कार्य कर रहा है तो उसमें दासत्व की भावना आजायेगी जिससे देश के कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक का उद्देश्य भूमि सुधार नहीं है। इससे किसानों को हानि ही अधिक पहुंचेगी। विधेयक की अनुसूची में बहुत से ऐसे अधिनियम जोड़े गये हैं जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं है। उदाहरणार्थ, मैसूर ग्राम पद उन्मूलन अधिनियम जो अनुसूची में ४९ वें क्रम पर है, १२,००० लेखापालों को उनके पदों से वंचित कर देगा। यह ठीक है कि ये पद मौरूसी नहीं होने चाहिए किन्तु जो इन पदों पर काम कर रहे हैं उनकी रोजी छीनना उचित बात नहीं है। इसका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं है। अतः हम इसे वैध नहीं मान सकते हैं। यह मामला इस समय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। अतः सरकार को ऐसे मामलों में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इसका जन-साधारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यह सराहनीय बात नहीं है कि हम संविधान में अब तक १४ वर्षों की अवधि में १७ संशोधन कर चुके हैं। यह अच्छी बात है कि खंड २ में यह व्यवस्था की गई है कि उपरिसीमा के अन्तर्गत भमि को सरकार नहीं लेगी। यदि आवश्यकता पड़ने पर ले भी लेगी तो किसानों को बाजार मूल्य पर प्रतिकर दिया जायेगा।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर): यह सराहनीय बात है कि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत विधेयक में काफी संशोधन किये गये हैं और विधि मंत्री महोदय ने उन्हें स्वीकार किया है।

यह बात स्वीकार करनी होगी कि सरकार को योजना आयोग से भूमि संबंधी सुधारों के बारे में जो मसौदा प्राप्त हुआ है और जिसके आधार पर यह विधेयक पारित किया जा रहा है, वह बहुत ही निकम्मा था। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी अवस्था में विधेयक द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था उचित नहीं है और इसकी विस्तृत जटिलताओं पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है। आयोग द्वारा देश के भूमि संसाधनों तथा इसके उपयोग का कोई भी विधिवत् सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भूमि संबंधी तथ्यों तथा जानकारी पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से विधेयक तैयार करने के स्थान पर सरकार तथा योजना आयोग ने आर्थिक रुढ़िवादिता तथा हठधर्मी से कार्य किया गया है। इस विधेयक से देश के किसानों को किसी प्रकार लाभ होने की आशा नहीं है और न ही यह देश में प्रगतिशील कृषि उत्पादन का प्रेरक सिद्ध होगा। भूमिहीन किसानों की समस्या उसी प्रकार बनी रहेगी जैसी वह इस समय है।

सरकार को एक ऐसा विधान ला कर, जिसे वह पूर्ण रूप से न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती है, संसद् का अनादर नहीं करना चाहिये। पूर्व तिथि से कोई विधान लागू करना हमारे न्यायशास्त्र के अनुसार उतना ही आपत्तिजनक है जितना कि एक अवैध विधान को वैध बनाने का प्रयत्न करना। जिन कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध ठहराया जा चुका है उनको वैध बनाने का प्रयत्न करना संविधान का उपहास करना है। सरकार को अपनी आर्थिक नीति के पीछे लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। हमें राष्ट्र की समस्याओं का सामूहिक हल निकालना है। वह हल हमें संविधान के मातहत रहते हुए निकालना है। मैं सरकार के इस दावे का खण्डन करता हूं कि संविधान में यह संशोधन किये बिना भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार का ऐसा कहना सचाई के बिल्कुल विपरीत बात है। मैं केवल वैधिक दृष्टिकोण से ही इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं अपितु यह उन सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल जाता है जिनके प्रति इस राष्ट्र की हमेशा निष्ठा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस संशोधन द्वारा जनता के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात क्यों कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास भूमि सुधार अधिनियम को इस कारण अवैध घोषित कर दिया था कि उसमें परिवार की भेदभावपूर्ण तथा जाली परिभाषा दी हुई है। जब कि सरकार इस विधेयक द्वारा उस अधिनियम को वैध बनाने जा रही है। सरकार के लिये भूमि सुधारों की आड़ में यह भेदभाव करना कतई उचित नहीं होगा।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने अन्तिम रूप से संशोधित प्रारूप को संविधान सभा में पेश करते हुए कहा था कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति विशेष के किसी सम्पत्ति में अधिकार और समुदाय के उस सम्पत्ति में हित दोनों को ध्यान में रख कर बीच का मार्ग अपनाना होगा; उन्होंने कहा था कि विधान मण्डलों को मआवजे के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार होगा तथा न्यायपालिका को नहीं। परन्तु सरकार उस समय दिये गये आश्वासन का अब उल्लंघन करने जा रही है। देश ऐसे अन्यायपूर्ण विधान को स्वीकृति नहीं दे सकता। यह विधान न ही भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षण देने में सफल हो सकेगा और न ही देश में कृषि के विकास में लाभदायक सिद्ध होगा। इसके विपरीत देश में अशान्ति फैल जायेगी। सरकार ने यह विधेयक ला कर संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति जो अनादर प्रकट किया है, वैसा अभी तक नहीं किया गया है।

प्रस्तावित खण्ड २ के अनुसार विधान में कोई परिवर्तन करना राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ा जा रहा है परन्तु मैं अपने संशोधन द्वारा चाहता हूं कि २५ मार्च, १९६४ को लागू किसी भी विधि में दी गई अधिकतम सीमा के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि को अर्जित करने का राज्य सरकारों को अधिकार नहीं होगा। हम यह बात राज्य सरकारों की इच्छा पर नहीं छोड़ सकते। हम उसी अधिकतम सीमा को रखना चाहते हैं जिस पर प्रवर समिति तथा इस सभा में विचार किया जा चुका है। यह तिथि इसीलिये सुझाई गई है क्योंकि इस तिथि को ही यह विधेयक प्रवर समिति की ओर से सभा में प्रस्तुत किया गया था। मैंने नवीं अनुसूची से कई अधिनियम निकालने के बारे में संशोधन दिये हैं। मैंने काफी सोच विचार के बाद यह कदम उठाया है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और भविष्य में वह ऐसे महत्वपूर्ण विधान काफी सोच विचार के पश्चात् ही सभा में प्रस्तुत करेगी।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The wording of the present Bill is very confusing and ambiguous. If this Bill is passed into a law it will only help those people who believe in communist ideologies and none else. The persons who favour land reforms wish that farmer should be made the real owner of the land that he is tilling and no room should be left for any uncertainty in his mind in regard to the ownership of his land. He should not be made to feel that cooperative or joint farming will be forced upon him. One way to dispel these doubts is that the Government should accept the amendment given by me and also by Dr. L. M. Singhvi. The Government should give this assurance to farmers that the land that they cultivate would not be acquired under the law. Unless that is done there will be no increase in agricultural production and the farmers will continue to be exploited as before.

Government are used to bring about legislation in a casual manner without giving any serious thought to it. The Government has brought this Bill in the name of the Constitution (Nineteenth Amendment) Bill whereas it should have been brought as Constitution (Seventeenth Amendment) Bill. The Government should try to remove the shortcomings pointed out by the Members from important legislations like this. This legislation which is being enacted in the garb of land reforms will have the effect of creating uncertainty in the minds of the people of this country.

I have given some amendments but the Government would not even care to look into them because it has the brute majority behind it. But the Government should now be prepared to bear the consequences of such wrong policies thrust upon the people, by the force of its brute majority in Parliament.

It is said that the land will only be acquired with the concurrence of the farmers. Then there is no justification to include the Gujarat land ceiling act in the Ninth Schedule wherein it is provided that the land covered under the cooperative farming programme would be forcefully acquired and some other land would be given to them in compensation.

The Government is going to legalise the Bombay Act which has been declared null and void by the Courts. It shows the Government's utter disregard for the judiciary in this country. Mining leases have also been brought under the Bengal Act which also finds a place in the Ninth Schedule. The Government should make suitable amendments in the present Bill in the light of the decisions of the High Courts and the Supreme Court on some of the enactments included in the Ninth Schedule. The Government

[Shri Kashi Ram Gupta]

has not furnished any figures regarding the big landlords who will be affected by this legislation. The implementation of this kind of legislation will make the lot of the middle class or poor classes even more miserable. The courts do not question the fundamental principle of fixing ceilings but they disapprove of the Acts fixing the ceiling in an arbitrary and discriminatory manner. We are of the view that the right of a farmer to property as an individual should be protected and should not be taken away. Otherwise democracy cannot succeed in this country. In the light of these suggestions the Government should consider these amendments and make suitable adjustments in the Bill.

डा० ब० ना० सिंह (हजारीबाग) : यह विधेयक एक समाजविरोधी तथा घृणित विधान है और विधि तथा न्याय के सिद्धांतों पर कुठाराघात करता है। सरकार ने संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक अस्वीकार किये जाने के तुरन्त पश्चात यह विधेयक लाकर यह साबित कर दिया है कि वह देश के कृषकों पर इस विधेयक द्वारा होने वाले विनाशकारी प्रभावों की कोई परवाह नहीं करती है। इस संशोधन द्वारा सरकार अबाध अधिकार प्राप्त करने जा रही है। इस विधेयक के द्वारा मालिक किसान अपने खून पसीने से प्राप्त की हुई भूमि से काल्पनिक मुआवजा देकर वंचित कर दिये जायेंगे। इस प्रकार किसान लोग अपनी दैनिक आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पूर्ण रूप से इस कांग्रेस सरकार के दास बन जाने पर मजबूर हो जायेंगे। समस्त भूस्वामियों को विचौलिये घोषित करना न्याय के सर्वथा प्रतिकूल बात है जैसा कि इस विधेयक में दी गई परिभाषा का अभिप्राय है। "सम्पदा" शब्द की परिभाषा में उस भूमि को लाना, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत आती है संविधान के साथ खिलवाड़ करना है।

यह विधेयक लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित कर देगा जो उनको समतापूर्ण प्रतिकर के रूप में प्राप्त हैं और इस प्रकार इस देश में तानाशाही के लिये द्वार खुल जायेगा। यदि यह संशोधन पास कर दिया गया, तो समस्त ग्रामीण भारत, जो कि लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है, नष्ट हो जायेगा। सरकार द्वारा सहकारी खेती अपनाने के पक्ष में मुख्य युक्ति यह दी गई है कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। परन्तु यह धारणा बिल्कुल गलत सिद्ध हो चुकी है क्योंकि साम्यवादी चीन और रूस, जहां यह तरीका अपनाया गया है, अपनी खाद्यान्न की मांग विदेशी आयात से पूरी करते हैं।

भूमि की उपज किसान की लगन तथा मेहनत पर निर्भर करती है। भाड़े पर रखे गये मजदूरों अथवा बड़ी बड़ी सहकारी समितियों के सदस्यों से उतनी लगन से खेती करने की आशा नहीं की जा सकती जितनी कि लगन से एक मालिक किसान अपनी भूमि पर खेती कर सकता है। कांग्रेस भी अपनी नीति के हानिकारक प्रभावों से अवगत है परन्तु वह निजी जोतों के पक्ष में नहीं है और किसी भी तरीके से वह उन्हें समाप्त करना चाहती है। कांग्रेस किसी ऐसे वर्ग को कुचलना नहीं चाहती है जो कम संख्या में हों। इसीलिये वह किसानों को समाप्त करने पर तुली हुई है ताकि वह देश में अपनी पसन्द का प्रगतिवादी समाजवाद स्थापित कर सके। परन्तु कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिये कि इस संशोधन को पास करके वह इस देश से अपने को समाप्त करने जा रही है। सरकार अपने मनमाने कानूनों के बल पर भोली भाली जनता को दबा नहीं सकती। जब किसानों को यह मालूम हो जायेगा कि उनके सिर पर सदा डर का भूत सवार है जैसा कि इस संशोधन का अभिप्राय है, तो वे अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिये विद्रोह कर उठेंगे जैसा कि अमरीका और फांस में हुआ था। भारतीय किसान का अपनी भूमि से गहरा लगाव है इसलिये वह इस बारे में कोई हस्तक्षेप

सहन नहीं करेंगा और ऐसा करने के किसी कदम का दृढ़ता से विरोध करेगा। अतः सरकार को इस विधेयक को पास करने से पहले इस पर फिर से विचार करना चाहिये। सरकार सत्ता की इतनी भूखी हो गई है कि वह किसान की भूमि लेने के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी सहन नहीं कर सकती। सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये संसद् को न्याय-पालिका की स्वतंत्रता बनाये रखनी चाहिये। यदि कोई नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी सम्पत्ति लोक हित में प्राप्त नहीं की जा रही है अथवा उसे उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो उसे न्यायालय में मामला ले जाने का अधिकार होना चाहिये। उसे ऐसा करने से रोकना न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा जब भी संविधान में दिये गये मूल अधिकार सरकार की नीति के रास्ते में आते हैं तभी वह तुरन्त संविधान में संशोधन करने के लिये विधेयक ले आती है ताकि उसकी मनमानी कार्यवाहियों को वैध बनाया जा सके। ऐसी सरकार एक लोकतंत्रीय देश में अधिक दिन तक नहीं टिक सकती है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : जितनी संख्या में इस विधेयक के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उससे सिद्ध होता है कि जनता में इसके प्रति कितना विरोध पाया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्यों के विधान के उन उपबंधों का मान्यता प्रदान करना है जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है। कई अन्य अधिनियम भी इसकी सीमा में लाये जा रहे हैं। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा ८८ अधिनियमों की इससे निकालने और नवीं अनुसूची में ८ नये अधिनियमों के लाने से मालूम होता है कि भूमि सुधार संबंधी राज्यों के अधिनियमों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया गया। वास्तव में भूमि सुधार कुछ निश्चित एवं सुगठित सिद्धांतों के आधार पर लाया जाना चाहिए परन्तु इस विधान से सिद्ध होता है कि केन्द्रीय सरकार ने एवं राज्य सरकारों ने भूमि संबंधी देश की स्थिति का समुचित ढंग से अध्ययन ही नहीं किया। भूमि सुधार के बारे में उत्सुकता तो बहुत पाई जाती है परन्तु इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये जिस अध्ययन और निर्वचन की आवश्यकता थी वह नहीं किया गया। सामान्यतया एक कानून को मान्यता प्रदान करने संबंधी विधान स्वयं सम्बद्ध राज्य के विधान मण्डल में लाया जाना चाहिए। उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् केरल सरकार को ही मान्यता प्रदान करने वाला विधान पुरःस्थापित करना चाहिए था। केन्द्रीय सरकार को क्या अधिकार है उन विधानों को मान्यता प्रदान करने का ? संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० के अनुसार संसद् को राज्य सूचि की किसी मद संबंधी विधान बनाने का अधिकार है। परन्तु ऐसा किया जा सकता है यदि या तो आपात की घोषणा की जाय या फिर वह मामला राष्ट्रीय महत्व का हो। परन्तु प्रस्तुत विधान इन आधारों पर नहीं लाया गया। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार का ऐसी कार्यवाही करना गैर कानूनी है। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग करना ही बुद्धि हीनता है और अनुचित है। राज्यों के १२४ अधिनियमों का व्योरेवार निरीक्षण करने का भार संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया जब कि उनके पास सम्बद्ध जानकारी एवं आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन को मान्यता देने का काम स्वयं सम्बद्ध राज्य सरकारों को ही करना चाहिए था चूंकि उन्हें मालूम था कि किन किन परिस्थितियों में उन अधिनियमों को पारित किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नये केरल अधिनियम को, जिसे उच्चत्तम न्यायालय द्वारा संविधान की शक्ति के परे घोषित किया था, अनुसूची में नहीं रखा गया परन्तु इस बीच में केरल सरकार ने एक अन्य विधान पारित किया जिस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है। यह भी समझ में नहीं आया कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्योंकर दखल हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ अधिनियमों को केवल इस डर के कारण सम्मिलित किया गया है कि चूंकि वह शक्ति

[डा० मा० श्री अणे]

से परे घोषित किये जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें घबराहट में थीं और यह नहीं जानती थी कि इस स्थिति में क्या किया जाय। मैं इस विधेयक के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु जो तरीका अपनाया गया है वह गलत है।

Shri Bade (Khargon): As I said during the discussion on the Constitution (Seventeenth) Amendment Bill, if the Government attempt to take away lands from the farmers, they are bound to revolt. They will never tolerate it. Our Constitution gives the right of holding private property to all citizens, and so their right to hold lands should not be taken away. The farmers also have a feeling that why their lands are being taken away when the capitalists and industrialists have a right to expand their business and to set up as many factories as possible. I am not against the principle of land reforms, but I am not in favour of the lands being taken away from the farmers. I am also not in favour of the farmers being deprived of the right of approaching courts.

Cooperative or collective farming is the ultimate aim contemplated in the Five Year Plans, and for the lands taken away, the farmers' are to be paid compensation according to the market value of the land. How this market value is going to be determined. According to the land Acquisition Act if the revenue of a particular piece of land is Re. one, its market value will be ten times this amount. If any person is not satisfied about this market value he cannot approach the courts since you are taking away his right of approaching the courts by passing the proposed legislation.

49th Act incorporated in the Ninth Schedule of the Constitution is the Mysore village Offices Abolition Act, 1961, which includes certain hereditary posts, like a village accountant. You are abolishing such posts and thus rendering about 12000 people un-employed. Notwithstanding the stay order issued by the Supreme Court in this connection, the Government have included the said Act in this piece of legislation. This amounts to showing disrespect for the judiciary. I want to warn the Government against the increasing powers being given to the administration. If the lands of the farmers are taken away, dire consequences will follow. This Bill is not at all meant for land reforms.

Now, I will refer to the land ceiling acts, particularly that of Maharashtra, wherein the lands upon which cane is cultivated have been included, but where grapes are cultivated these lands have been kept out of its purview. As a result of this farmers have started cultivating grapes in place of cane. These land ceiling acts have been passed in an atmosphere where power politics is rampant. Moreover, a period of seven years elapsed since the origin of this idea and the passage of such bills, with the result that people managed to transfer their lands in the names of their family members and relations. These factors were not considered while, preparing the proposed legislation. Our present policy in this regard is very favourable to our Communist friends who want chaos in the country wherein they will have the opportunity to strengthen themselves.

On the one hand we raise, the slogan that land is for the tillers and on the other lands of the farmers are being taken away. If the Government is bent upon passing this legislation, at least a provision should be made by which an aggrieved person may be able to approach the courts. Otherwise, its intention will just be exploitation of farmers) and these farmers will certainly rise against the administrators.

Shri Sarjoo Pandey (Rasda) : I do not agree with the pointless propaganda carried on by the Jan Sangh and Swatantra Parties against this simple legislation the object of which is just to regularise certain acts of the States. No property of any individual is intended to be taken away by this Bill.

It has been pointed out falsely that the passage of the proposed legislation will bringnear communism and break the accepted pattern of the Hindu Society. Even our Vyasa said that large properties cannot be had unless by unfair means. The poeple who mulated others and amassed huge properties to-day demand compensation. They have no right whatsoever to demand compensation. Such people are not even capable of revolting now. I feel this legislation should have been brought forward long before. Now, it is all the more necessary to pass it without delay, since it was our beloved late Prime Minister who initiated it.

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the chair*)

It is imperative that the land reform measures be implemented. Land reform measures in the States are not adequate. Land Reform law in the Mysore State is only a nominal one. Zamindars still possess large properties. Even in U.P. they are the owners of the whole available lands. Masses still have no lands. Therefore, I extend my wholehearted support for this measure.

श्री कृपालानी (अमरोहा) : यूरोप में और हमारे अपने अनुभव से भी यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार की भूमि संबंधी नीति से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्तमान सरकार जो भी विधान बनाती है वह जनता की सुविधा के लिये नहीं वरन उसे तंग करने के लिये ही होता है।

विधि मंत्री यदि शब्द कोष देखते तो कुछ बीघा भूमि की "सम्पदा" नहीं कह सकते थे। आज शब्द कोष के अर्थों में परिवर्तन किया गया है तो कल को यह सरकार इतिहास को भी बदल सकती है।

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विद्वान विधि मंत्री सभी सूक्ष्म तत्वों की उपेक्षा कर के इस विधान को पारित करना चाहते हैं। स्वयं एक वकील होने के नाते उन्हें मालूम होना चाहिए था कि यही सूक्ष्म तत्व प्रक्रियायें हैं। यदि आप एक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप कानून पर कुठाराघात करते हैं। प्रक्रिया की अवहेलना करने पर स्वयं गांधीजी ने मुझे कहा था कि इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं।

न्यायपालिका द्वारा एक फैसला दिये जाने के तुरन्त पश्चात् संविधान का संशोधन करना न्यायपालिका के प्रति असम्मान प्रकट करना है। जब कभी उच्चतम न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय किसी विधान को अमान्य घोषित करता है यह सरकार संविधान में संशोधन करती है। इससे बेहतर यही होगा यदि इस संसद् को इंग्लैंड की संसद् के समान सर्वोच्च मान लिया जाय। इस से बेहतर होगा कि आप एक संशोधन ला कर यह घोषित कर दें कि न्यायपालिका संसद के किसी विधान को अमान्य घोषित नहीं कर सकती। यह कहना सर्वथा गलत है कि भारतीय संसद् सर्वोच्च है। वास्तव में सर्वोच्च संविधान है। संसद सर्वोच्च उसी समय है जब कि यह संविधान तैयार करती है। हमें स्मरण रखना होगा कि आज हम संविधान सभा के रूप में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं चूंकि अब हम संविधान में परिवर्तन कर रहेहैं। संविधान में संशोधन करने के लिये किसी विधान पर सरकार का

[श्री कृपलानी]

संसद् सदस्यों को व्हिप जारी करना अनैतिक एवं गैर कानूनी है। चूंकि संविधान में परिवर्तन करना है इसलिये आप सदस्यों को अपना अपना मत व्यक्त करने के लिये स्वतंत्रता है। मेरा अनुरोध है कि संसद् सदस्यों को व्हिप न जारी किया जाय। कानूनी तौर पर भी यही उचित तरीका है।

अमरीका के संविधान में पिछले दो सौ वर्ष में इतने संशोधन नहीं किये गये जितने हमने किये हैं। पहले १९५१ में परिवर्तन हुआ, फिर १९५५ में और अब आप फिर संविधान का संशोधन कर रहे हैं। क्या जो पहले विधि मंत्री थे उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया ? क्या वह आने वाले दस वर्ष की परिस्थितियों के उपयुक्त कार्यवाही नहीं कर सकते थे ? इस ढंग से प्रशासनिक कार्य नहीं किये जाते।

मैं जानता हूं कि कई लोग मुझे प्रतिक्रियावादी कहेंगे परन्तु मैं वही बात कहता हूं जिसे मैं देश के लिये हितकर समझता हूं। यदि आप बार बार कानून में फेर बदल करते रहेंगे तो आप खाद्य समस्या हल नहीं कर सकेंगे। आपने जमींदारी को समाप्त किया वह ठीक था। परन्तु कानून में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नये प्रधान मंत्री की इस समय इस विधान को नहीं लाना चाहिये था। एक व्यक्ति के लिये थोड़ी बहुत सम्पत्ति का होना अनिवार्य है। यदि आप सारी सम्पत्ति ले लेते हैं तो आप जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिये ईश्वर के लिये, अपने आप के लिये संसद् की स्वतंत्रता दीजिये। संसद् सदस्यों को अधिकार दीजिये कि वह जो मत चाहें दें। व्हिप जारी न कीजिये। उसी सूरत में आप को मालूम होगा कि सभा आप से सहमत है अथवा नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं।

श्री अ० कु० सेन : इस विधेयक का उद्देश्य उन भूमिहीन किसानों को भूमि का मालिक बनाना है जो सदियों से भूमि के मालिकों के लिए काम करते आ रहे हैं और इस भूमि में बहुमूल्य अनाज तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं पैदा कर रहे हैं।

श्री रंगा : सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि सरकारी बंजर भूमि भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिए न दी जाये। स्वतंत्र पार्टी इन आदेशों को वापिस लेने के लिए आंध्र प्रदेश में सत्याग्रह कर रही है। इस समय वहां पर १००० लाख एकड़ भूमि सरकारी है। इस सत्याग्रह के लिए सरकार उत्तरदायी है।

श्री अ० कु० सेन : मैं इस सूचना के लिये माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हूं।

आचार्य कृपलानी की इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि स्वतंत्र समाज में प्रत्येक साधारण व्यक्ति के पास कुछ सम्पत्ति का होना नितान्त आवश्यक है। यहां तक कि साम्यवादी देशों में भी प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ मात्रा में निजी सम्पत्ति होती है। अतः हम उस व्यवस्था के विरुद्ध हैं जो लाखों लोगों को इस अधिकार से वंचित करती है। हम इस विधेयक द्वारा काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रत्येक किसान को कम से कम कितनी भूमि दी जायेगी ?

श्री अ० कु० सेन : संविधान में व्यवस्था की गई है भूमि की सीमा निर्धारण सम्बंधित राज्य स्वयं करेंगे। यह स्पष्ट है कि भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिये अधिकतम सीमा के स्थान पर निम्नतम सीमा निर्धारण पद्धति अपनायी जायेगी। इसमें न्यायपालिका के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार का कोई प्रश्न है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था स्वयं संविधान में अन्तर्विहित है।

कुछ लोगों का यह अर्थ निकालना कि संसद् सर्वोपरी है, निराधार है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरी है और सरकार के सभी अंग उसके अधीन अपना कार्य करते हैं। संसद संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करके, कोई कार्य नहीं कर सकती है। जिन सिद्धांतों को हम मान चुके हैं, उन्हें क्रियान्वित करने के लिये जब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो हम करते हैं। यही अब हम कर रहे हैं।

श्री मसानी ने विधेयक की नेकनीयती की चर्चा की है। उनका कहना है कि न तो पिछले आम चुनाव में मतदाताओं को इस विधेयक के बारे में बताया गया था और न ही इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया गया था। मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में इसका स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया था कि भूमि संबंधी सुधारों के लिए उच्चतम सीमा निर्धारित करना नितान्त आवश्यक है।

कुछ अधिनियमों को इस आधार पर अमान्य घोषित किया गया है कि सरकार जिन सम्पदाओं का अर्जन करना चाहती है वे संविधान के अनुच्छेद ३१-क के अन्तर्गत सम्पदा की परिभाषा में नहीं आते हैं। कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी सम्पदाओं तथा इसी प्रकार की अन्य सम्पदाओं को स्थानीय कानून तथा परम्परा के अनुसार सम्पदा नहीं माना जाता, जबकि देश के अन्य भागों में ये सम्पदायें मानी जाती हैं। अतः उन विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में सम्पदा की परिभाषा को व्यापक बनाने तथा उच्चतम सीमा निर्धारण करने वाले कानूनों के लिये मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई ताकि वे अनुच्छेद १४ और १९ के अन्तर्गत अमान्य न हो सकें। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा को कार्यरूप देना है। फालतू भूमि को अर्जित करके भूमिहीन काश्तकारों में निर्धारित सीमा के अनुसार बांटा जायेगा। इन सभी भूमि सुधारों के पीछे यही प्रमुख उद्देश्य है और यह कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में निर्वाचकों के सामने रखा गया था। श्री मसानी को ज्ञात होना चाहिए कि अधिनियम १९६२ के आम चुनाव से पहिले ही पारित किये गये थे। इसलिये श्री मसानी का यह आरोप गलत है कि हमने आम चुनाव में निर्वाचकों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है।

कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप भी गलत है कि हमने न्यायपालिका का निरादर किया है। न्यायिक से आपत्तियां आने पर जब भी कोई संशोधन किया जाता है, सदस्यों द्वारा इसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में कानून में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना वांछनीय है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी से नहीं निभाती है। संसद् का यह कर्त्तव्य है कि वह न्यायालयों द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करे। इसमें संसद् और न्यायपालिका के बीच मतभेद होने का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं यहां पर सिद्धांतों तथा अन्य बातों की चर्चा करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। यह बात स्पष्ट है कि सिद्धांतों के बारे में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक काश्तकार को न्यूनतम जोत का स्वामित्व दिया जाये जिससे वह उस भूमि में मेहनत तथा ईमानदारी से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करे।

[श्री अ० कु० सेन]

मैं श्री मसानी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि भूमि के मालिकों को निर्धारित उच्चतम सीमा से फालतू भूमि के लिये बाजार मूल्य से प्रतिकर दिया जाये। जिन लोगों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि है और जो अपनी इस फालतू भूमि के संबंध में बिचौलिये का कार्य करते हैं, उन्हें बाजार मूल्य से प्रतिकर देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमने यह सिद्धांत जमींदारी उन्मूलन के समय भी नहीं अपनाया था।

हमें सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। यदि भूमि सुधार संबंधी कार्य में किसी प्रकार की कानूनी बाधा आती है तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से संविधान में परिवर्तन करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। उसी कर्तव्य का पालन हम इस समय कर रहे हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): भूतपूर्व विधि मंत्री स्वर्गीय डा० अम्बेदकर ने यह आश्वासन दिया था रैयतवाड़ी काश्तकारों के अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा और उनकी भूमि को बिना पूरा प्रतिकर दिये अर्जित नहीं किया जायेगा। उनके आश्वासन के बावजूद सरकार यह संशोधन क्यों कर रही है ?

श्री अ० कु० सेन: संविधान पहला संशोधन पेश करते समय डा० आम्बेदकर ने अपने भाषण में कहा था कि रैयतवाड़ी काश्तकारों के अधिकार नहीं छीने जायेंगे। उन्होंने रैयतवाड़ी जमींदारों के लिये कुछ नहीं कहा था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है। यह उचित नहीं है कि मंत्री महोदय द्वारा अधिकांश सदस्यों द्वारा यहां पर उठाये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। क्या इसमें केवल औपचारिकता का निर्वाह किया गया है या सरकार के पास सभा में देने के लिये कोई उत्तर है ही नहीं ?

श्री अ० कु० सेन: माननीय सदस्यों ने दो अधिनियमों की चर्चा की है। मैं इन पर खंडवार चर्चा के समय प्रकाश डालूंगा।

श्री कृपालानी: संविधान तैयार करते समय प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य को स्वतंत्रतापूर्वक मत देने का अधिकार दिया गया है। क्या सरकार इस अवसर पर भी सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक मत देने की अनुमति देगी ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को यह समझ लेना चाहिए कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं और न ही मैं इस बारे में मंत्री महोदय पर दबाव डाल सकता हूं। मैं पहिला संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर २९ अगस्त १९६४ तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में ३२; विपक्ष में ३८७

"Ayes" 32; "Noes" 387

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में ३८९; विपक्ष में ३०

Ayes 389; Noes 30

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The motion is carried by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड २—(अनुच्छेद ३१-क का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशी राम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस खंड में संशोधन संख्या १० नहीं है ।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलोर) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं अपने संशोधन संख्या ३१ और ३२ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विधेयक के खंड २ की पंक्ति १३ में कहा गया है कि राज्य सरकारें फिलहाल निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत किसी भी कानून द्वारा भूमि का अर्जन नहीं कर सकेंगी । इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है । सरकार को इसके लिये एक तिथि, अर्थात २५ मई, १९६४ निर्धारित करनी चाहिए । क्योंकि हमें इसी तिथि को पता चला कि राज्य की विधान सभाओं ने इस प्रकार का कानून अधिनियमित किया था । भविष्य में राज्य विधान सभाओं द्वारा कानून पास करते समय इसका उल्लेख करना विधि संबंधी प्रक्रिया का उपहास करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हम सब खंडों तथा संशोधनों पर पूरा विचार करने के बाद ही इन पर मत विभाजन करेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: माननीय मंत्री को या तो इसमें स्पष्टरूप से तिथि निर्धारित करनी चाहिए या मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए अन्यथा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

मुझे पूर्ण आशा है मंत्री महोदय तिथि निर्धारित करना स्वीकार कर लेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : मेरा संशोधन कुछ ऐसे अधिनियमों के बारे में है जिनमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं । मेरा सुझाव है कि कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए । अन्यथा राज्य सरकारों को कठिनाई होगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय मिलना चाहिए ।

मंत्री महोदय का यह कहना कि राज्य सरकारें विधान बनाने में स्वतंत्र हैं उचित नहीं है । मंत्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकारों को इस प्रकार सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिससे प्रत्येक काश्तकार को कम से कम निम्नतम निर्धारित सीमा के अन्दर भूमि दी जा सके । इसलिए निम्नतम निर्धारित सीमा में बार बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । नहीं तो लोगों में सदैव भय बना रहेगा । राज्यों को विधान बनाने के मामले में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए । इसके साथ साथ राज्य सरकारों को न्यायालयों के निर्णय के अनुसार अधिनियमों में संशोधन करने के लिए काफी समय मिलना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: मैं संशोधन संख्या ६ के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार वास्तव में यदि भूमिहीन काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देना चाहती है तो उसे उस परन्तुक को स्वीकार कर लेना चाहिये जिसमें उसकी शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था की गई है । अतः सरकार को संशोधन संख्या ६ स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री काशी राम गुप्त: मैं डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए । इससे लोगों में इस विधेयक के प्रति जो अस्पष्टता और भ्रान्ति है वह दूर हो जायेगी ।

श्री अ० शं० आल्वा: निर्धारित सीमा के अन्दर किसी व्यक्ति की भूमि का अर्जन करने के लिए उसे पूरा प्रतिकर दिया जाना चाहिए, चाहे वह भूमि में स्वय खेती करता हो या नहीं । भूमि सुधार संबंधी कुछ अधिनियम बन जाने के परिणामस्वरूप वर्ष १९५२-५३ के बाद भूमि के मालिक काश्तकारों से भूमि नहीं ले सके । इसलिये प्रतिकर देने के लिये यह शर्त रखना कि निजी खेती का अर्जन करने की अवस्था में ही प्रतिकर दिया जायेगा, उचित नहीं है । मेरा अनुरोध है कि सरकार को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं डा० सिंघवी के संशोधन संख्या ४ का समर्थन करता हूं । सरकार को विधेयक के उद्देश्य के बारे में अस्पष्टता को दूर करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करनी चाहिए । मेरा अनुरोध है विधि मंत्री महोदय को संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री कृष्णपाल सिंह : कुछ समय से प्रायः सभी कृषि विशेषज्ञ इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा जाये और लोगों के पास लाभप्रद जोत रहे। किन्तु सरकार इसके विपरीत भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने जा रही है। सरकार का यह सोचना निराधार है कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का अर्जन करके, यह भूमि देश के समस्त भूमिहीन किसानों में बांटी जा सकेगी। भूमि पर पहिले ही काफी भार है जिससे उत्पादन में कमी होती जा रही है। इस विधेयक के पारित हो जाने से भूमि लाभप्रद नहीं रह जायेगी और कृषि उत्पादन और कम हो जायेगा। संसार के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है भूमि पर जितना कम भार होगा उतना ही उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री अ० कु० सेन : एक औचित्य प्रश्न है। विधेयक पर सामान्य चर्चा समाप्त हो चुकी है। अतः माननीय सदस्य को खंड पर बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात संक्षिप्त करें।

श्री कृष्णपाल सिंह : शहरी क्षेत्रों की सम्पत्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पत्ति के बारे में भेदभाव की नीति अपनाना उचित नहीं है। इस बात की चर्चा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विधेयक पर विचार करते समय भी की गई थी। इससे लोगों की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मुझे आशा है सरकार भूमि के और अधिक छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने देगी और डा० सिंघवी के संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय अभी उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : जैसा आप चाहें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मंत्री महोदय सारे संशोधनों का एक साथ उत्तर दें।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I support an amendment put forward by Shri Sinhgvi. Government can put an end to the ceiling that we have today. There is a different ceiling in Punjab, U.P. and Bengal. We were given this assurance that for forty years there will be no reform. But this new reform has come and it is not going to benefit anybody. Government may have some advantage. But Government should realise that the good of the Government lies in the good of the people. Without this country cannot go ahead.

So many land reforms have come during the last 14 years, but it has not increased the production. Government is planning to snatch land from the small land-holders. No where it is done like that. But this is being done in this country. People have been deprived of their right to go to the Courts. This was not done in the rule of demon Ravana. The exploited masses are finding it difficult to go ahead. That is why I oppose this bill with all my might.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री महोदय संशोधन संख्या ४ और ५ को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। उसमें कोई गलत बात नहीं है। उपरिसीमा के सम्बन्ध में हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस सीमा के बीच कितनी भी भूमि किसान के पास हो वह छीनी नहीं जायेगी। यदि ली जायेगी तो भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत उसका मुआवजा दिया जायेगा। यह तो हम कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी भी भूमिदार को उसकी

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

सम्पत्ति से वंचित किया जाये। यदि हम उपरिसीमा को कम करने लगेंगे तो वह तो कम होते होते एक एकड़ तक आ जायेगी। मेरे विचार में संयुक्त समिति ने ऐसी बात कभी नहीं सोची थी।

हमने जो सिद्धान्त स्वीकार किया था वह यह है उपरिसीमा के अन्तर्गत आने वाले भूमि किसानों से नहीं ली जानी चाहिये। इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को यदाकदा उपरिसीमा में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिये। 'इस समय लागू शब्द के स्थान पर, जिनका प्रयोग' उपरिसीमा विधियों के सम्बन्ध में खण्ड २ में किया गया है, उपरिसीमा के लिये कोई तिथि निर्धारित करने वाले शब्द रखे जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री खण्ड २ में प्रस्तुत हुए संशोधनों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री अ० कु० सेन : गत बार संयुक्त समिति में हम ने इस विषय पर विवाद किया था। इस संरक्षण को नये उपबन्ध के रूप में संविधान में लाने का जो उद्देश्य था वह इससे पहिले नहीं था। इस परन्तुक को लाने से पहिले राज्य सरकारों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं थी। सारा उद्देश्य यह है कि जो लोग खुद खेती करते हैं उसके अधिकारों की रक्षा की जाय। राज्य सरकारों को यहां तक अधिकार थी कि वह उपरिसीमा को एक एकड़ तक कर सकती थी और उसके लिए मुआवजा देने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे बचाव के लिए ही यह संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। कुछ भी हो हम किसानों को बिना मुआवजा दिये भूमि से वंचित नहीं कर सकते। अतः मुझे इस बात का खेद है कि सरकार संशोधन संख्या ५ को स्वीकार नहीं कर सकती।

संशोधन संख्या ६ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे हर मामले में मुकदमेबाजी होने की सम्भावना है। मेरे विचार में मैंने इस मामले में स्पष्टीकरण कर दिया है इससे ज्यादा इस मामले में कुछ अधिक कहने की गुंजाइश नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मैं अपने संशोधन संख्या ७, ९, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २४, २५, २६, २७ और २९ प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर): मैं अपने संशोधन संख्या ८, २८ और ३० प्रस्तुत करता हूं।

श्री अ० प्र० जैन : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १५,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय

"Except in so far as this Act relates to an alienation referred to in Sub-clause (d) of clause (3) of Section 2 thereof".

["जहां तक कि इस अधिनियम का इसकी धारा २ के खंड (३) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट भूमि के अन्य संक्रामण से सम्बन्ध है"] (१०)

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह खण्ड और सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: मैं सामूहिक रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं। वर्तमान विधेयक के रूप में सरकार ने मूलभूत संवैधानिक सिद्धान्तों के प्रति अभूतपूर्व अनादर प्रकट किया है। मेरा निवेदन है कि बहुत से विधानों को नवीं अनुसूची से निकाल दिया जाना चाहिये था जैसे कि

गुजरात तालुकदारी अधिनियम, गुजराती अन्य सुक्रमण अधिनिदम आदि । इनमें सीधे तौर पर भूमि सुधार की कोई बात नहीं, यह तो मिले हुए हक को छीनने के बराबर है । यही कारण है कि मैं और मेरे माननीय मित्र श्री अ० प्र० जैन ने संशोधन संख्या १० का नोटिस दिया था । मैंने तो सारे विधेयक को ही समाप्त कर देने की बात कही थी । मेरे विचार में यह विधान इस बात का प्रतीक है कि सरकार ने इस मामले में गंभीरता से विचार नहीं किया है । इसके साथ ही यह भी ठोस तथ्य है कि देश की विभिन्न अदालतों ने इस तरह के बहुत से भूमि सुधार अधिनियमों को अवैध घोषित कर दिया था ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय विधि मंत्री ने परिवार की जो परिभाषा दी है वह बहुत लंगड़ी सी परिभाषा है । और जो बहाना उन्होंने उनके लिए प्रस्तुत किया है वह भी जंचता नहीं । बस यही लगता है कि सरकार अलोकतंत्रीय और असंविधानिक रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को समाप्त करना है । श्री चटर्जी ने कहा है कि यह विधान हमारे संविधान की भावना के बिलकुल विपरीत है यह हमारे अधिकार ही नहीं छीनता प्रत्युत मूलभूत अधिकारों से भी हमें वंचित करता है । सरकार को बड़े सोच समझ कर इस तरह का कानून बनाना चाहिये । विधि मंत्री द्वारा जो यह बात कही गई है कि भूमिहीन किसानों को भूमि देकर वह एक क्रान्ति पैदा कर रहे हैं बिलकुल निराधार बात है । और मैं इस दावे का बड़े जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं ।

इसमें कुछ ऐसे भी अधिनियम सम्मिलित किये जा रहे हैं जिनको अभी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गयी और उनके बारे में हमें यह भी पता नहीं कि उनके लिए किस प्रकार की चुनौती सम्भव है । ऐसे सभी अधिनियमों को सुरक्षित किया जा रहा है परन्तु हमें यह नहीं बताया जा रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है । इसी तरह दो तीन तरह के और विधान भी इस विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं जिनके बारे मंत्री महोदय ने कोई स्पस्टीकरण नहीं किया और उसका औचित्य सिद्ध करने में विधि मंत्री असफल रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो विधान सम्मिलित किये गये हैं उनमें से प्रत्येक के लिये सरकार को विस्तृत तथा विश्वासनीय स्पस्टीकरण देना चाहिये । यदि हमने तर्क और न्याय का रास्ता छोड़ दिया तो हमारे देश में लोकतंत्र मजाक बन कर रह जायेगा । मेरे विचार में हमें यह आशा करनी चाहिये कि विधि मंत्री सविस्तार इस मामले में संतोषजनक तर्क प्रस्तुत करेंगे और प्रत्येक उस विधान के बारे में जिसको शामिल किया जा रहा है कि उसे क्यों लिया जा रहा है ।

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को सम्मिलित करते समय सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये थी जिसके आधार पर वे आगे बढ़ते, परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई । शुरू शुरू में इसमें १२४ अधिनियम सम्मिलित किये गये थे । परन्तु बाद में संयुक्त समिति के विचार करने के समय ८८ अधिनियम वापिस ले लिये गये । जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है तो कोई उत्तर नहीं दिया गया । जो अधिनियम रखे गये थे वह भी लगभग ऐसे ही थे जिनको कि वापिस ले लिया गया था । कुछ ऐसे अधिनियम भी हैं जो कि १९६५ में समाप्त हो जायेंगे । उनको इसमें शामिल करने का क्या लाभ हो सकता है । कारण यह है कि सरकार ने इस विधेयक के बारे में किसी आधारभूत नीति का निर्माण नहीं किया । इसीलिए ऐसा हो रहा है ।

[श्री काशी राम गुप्त]

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अधिनियम भी हैं जो कि भूमि उपरिसीमा अधिनियम के विपरीत हैं। उन पर विचार करते हुए संयुक्त समिति ने काफी समय लिया। बहुत से दोष होने के कारण ही मैंने अपना अन्तिम संशोधन संख्या ३० प्रस्तुत किया है मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय को विचारशील होना चाहिये। जो भूल की गयी है उसका सुधार इसी रूप में हो सकता है कि राज्य सरकारों को कहा जाय कि वह अपने अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें सूची से हटा दें। यह राज्य सरकारों की कमजोरी है कि वह अपनी मर्जी के अनुसार संविधान के अनुरूप अधिनियम नहीं बना सके। राज्य सरकारों को संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन अधिनियमों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २ जून, १९६४/१२ ज्येष्ठ, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 2nd June, 1964/12 Jyaistha, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III 806 (Ai) LS—17-7-64—600